

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 289]

नई दिल्ली, शुक्रवार, दिसम्बर 13, 2013/अग्रहायण 22, 1935

No. 289]

NEW DELHI, FRIDAY, DECEMBER 13, 2013/AGRAHAYANA 22, 1935

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 दिसम्बर, 2013

अंतिम जांच परिणाम

विषय:— यूरोपियन यूनियन, दक्षिण अफ्रीका, सिंगापुर और यूएसए के मूल के अथवा वहां से निर्यातित एसीटोन के आयातों पर अधिरोपित पाटनरोधी शुल्क की निर्णायक समीक्षा।

सं. 15/1/2012-डीजीएडी.— वर्ष 1995 में यथा संशोधित सीमा शुल्क प्रशुल्क अधिनियम, 1975 (जिसे एतदपश्चात अधिनियम कहा गया है) और सीमा शुल्क (पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर पाटनरोधी शुल्क अथवा अतिरिक्त शुल्क का आकलन एवं संग्रहण तथा क्षतिनिर्धारण) नियमावली, 1995 (जिसे एतदपश्चात नियमावली कहा गया है) को ध्यान में रखते हुए।

क. मामले की पृष्ठभूमि

यतः, उपर्युक्त नियमों को ध्यान में रखते हुए, निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिन्हें एतदपश्चात प्राधिकारी कहा गया है) ने यूरोपियन यूनियन, चीनी ताइपेई, सिंगापुर, दक्षिण अफ्रीका और यूएसए के मूल के अथवा वहां से निर्यातित एसीटोन के कथिन पाटन के संबंध में पाटनरोधी जांच दिनांक 7 सितम्बर, 2006 को प्रारंभ की थी और प्राधिकारी के दिनांक 25 अप्रैल, 2007 की सीमा शुल्क अधिसूचना संख्या 77/2007 के तहत अनंतिम पाटनरोधी शुल्क अधिरोपित किया गया था। अंतिम जांच परिणाम को दिनांक 04 जनवरी, 2008 की अधिसूचना के तहत अधिसूचित किया गया था और राजस्व विभाग ने सम्बद्ध देशों से सम्बद्ध वस्तु पर निर्णायक पाटनरोधी शुल्क का अधिरोपण दिनांक 11 मार्च, 2008 की अधिसूचना सं. 33/2008 के तहत किया था।

2. और यतः, निर्दिष्ट प्राधिकारी ने ताईवान से सम्बद्ध वस्तु के आयातों के सम्बंध में मध्यावधि समीक्षा जांच का आयोजन किया और ताईवान के मूल की अथवा वहां से निर्यातित सम्बद्ध वस्तु से पाटनरोधी शुल्क अपने दिनांक 10 अप्रैल, 2012 की अधिसूचना के निष्कर्ष के तहत वापस लेने की सिफारिश की। राजस्व विभाग ने दिनांक 29 मई, 2012 की अधिसूचना संख्या 29/2012-सीमा शुल्क (एडीडी) के तहत पाटनरोधी शुल्क वापस ले लिया।

3. और यतः, मैसर्स हिन्दुस्तान आर्गेनिक कैमिकल्सी लिमिटेड (एच ओ सी एल) ने यूरोपियन यूनियन, सिंगापुर, दक्षिण अफ्रीका और यू एस ए के मूल के अथवा वहां से निर्यातित सम्बद्ध वस्तु के सतत पाटन का आरोप लगाते हुए पाटनरोधी नियमावली और अधिनियम के अनुसार एक विधिवत साक्ष्यांकित आवेदनपत्र दायर किया और पाटनरोधी शुल्क की समीक्षा करने एवं उसकी निरन्तरता बनाए रखने का अनुरोध किया। इस बात से संतुष्ट होते हुए कि याचिकाकर्ता ने पुनरीक्षा के लिए जरूरत को साक्ष्यांकित किया है, निर्दिष्ट प्राधिकारी ने दिनांक 15 जून, 2012 की अधिसूचना संख्या 15/1/2012-डीजीएडी के तहत एक निर्णायक समीक्षा जांच प्रारंभ करना उचित समझा। सम्बद्ध देशों से सम्बद्ध वस्तु के आयात पर पाटनरोधी शुल्क की वैधता केन्द्रीय सरकार द्वारा दिनांक 19 जुलाई, 2012 की अधिसूचना सं. 37/2012-सीमा शुल्क के तहत दिनांक 18 जून, 2013 तक बढ़ा दी। इसके अतिरिक्त, केन्द्रीय सरकार ने जांच पूरी करने तथा अंतिम जांच परिणाम अधिसूचित करने के लिए 14 दिसम्बर, 2013 तक का अतिरिक्त समय प्रदान किया।

और यतः, निर्दिष्ट प्राधिकारी ने सम्बद्ध वस्तु के आयातक से एक लिखित आवेदनपत्र प्राप्त होने के आधार पर दिनांक 23 दिसम्बर, 2011 की एक अधिसूचना के तहत मध्यावधि समीक्षा जांच प्रारंभ की। तथापि दिनांक 15 जून, 2012 को वर्तमान निर्णायक समीक्षा जांच की शुरुआत को ध्या न में रखते हुए वह मध्यावधि समीक्षा जांच समाप्त कर दी गई।

ख. सामान्य प्रक्रिया

4. इस जांच के सम्बंध में निम्नलिखित प्रक्रिया का अनुपालन किया गया है:

क. प्राधिकारी ने निर्णायक समीक्षा जांच प्रारंभ करते हुए दिनांक 15 जून, 2012 को एक सार्वजनिक अधिसूचना सं. 15/1/2012-डीजीएडी जारी की, जिसे भारत के राजपत्र असाधारण में प्रकाशित किया गया।

ख. प्राधिकारी ने उस सार्वजनिक नोटिस की एक प्रति सम्बद्ध देशों में ज्ञात उत्पादकों और/ या निर्यातकों को अग्रेषित की और नियम 6(2) के अनुसार पत्र की तारीख से चालीस दिनों के अंदर अपने विचारों से लिखित रूप में अवगत कराने तथा संगत जानकारी प्रदान कराने के लिए अवसर प्रदान किया गया।

ग. प्राधिकारी ने इस सार्वजनिक नोटिस की एक प्रति भारत में सम्बद्ध वस्तु के सभी ज्ञात आयात को और/ या उपभोक्ताओं को प्रेषित की तथा उन्हें संगत सूचना प्रदान कराने और नियम 6(2) के अनुसार पत्र जारी होने की तारीख से चालीस दिनों के अंदर अपने विचारों से लिखित रूप में अवगत कराने का परामर्श दिया।

घ. प्राधिकारी ने आवेदनपत्र के अगोपनीय पाठ की प्रतियां ज्ञात उत्पादकों और/ या निर्यातकों तथा सम्बद्ध देशों के राजदूतावासों को प्रमुख नियम 6(3) के अनुसार प्रदान कराई। आवेदनपत्र के अगोपनीय पाठ की एक प्रति, अनुरोध करने पर, अन्यो हितबद्ध पक्षकारों को भी उपलब्ध कराई गई।

ड. प्राधिकारी ने नियम 6(4) के अनुसार ज्ञात निर्यातकों/ उत्पादकों तथा सम्बद्ध देशों की सरकारों को संगत सूचना स्पष्ट करने के लिए एक प्रश्नावली भेजी। तथापि, सिंगापुर और दक्षिण अफ्रीका के सिवाय सम्बद्ध देशों के किसी भी निर्यातक/उत्पादक ने प्रश्नावली का प्रत्युत्तर नहीं भेजा।

च. यह प्रश्नावली नियम 6(4) के अनुसार आवश्यक सूचना प्रदान कराने के लिए ज्ञात आयातकों अथवा उपभोक्ताओं को भी भेजी गई। प्राधिकारी ने विचाराधीन उत्पादों के व्यक्तिगत प्रयोक्ताओं को भी पाटन, क्षति तथा नुकसान के सम्बंध में इस जांच से संगत समझी गई सूचना प्रस्तुत करने का अवसर भी प्रदान किया।

छ. निम्नलिखित कम्पनियों ने प्रश्नावली प्रत्युत्तर प्रस्तुत किया है:—

- मैसर्स सासोल साल्वेट एवं मैसर्स सासोल मध्यपूर्व एफ जेड सी ओ।
- मैसर्स पेट्रोकेम मध्यपूर्व एफ जेड ई और मैसर्स पेट्रोकेम मध्यपूर्व (भारत) प्राइवेट लिमिटेड

- मैसर्स सुमिटोमो कारपोरेशन एशिया पीटीई लिमिटेड, सिंगापुर।
 - मित्सुई एंड कंपनी (एशिया पैसिफिक) पीटीई लिमिटेड (एम ए पी) एवं मित्सुई फिनाल्स सिंगापुर पीटीई लिमिटेड, (एमपीएस) सिंगापुर
 - मैसर्स हारेश पेट्रोकेम सिंगापुर पीटीई लिमिटेड और हारेश पेट्रोकेम प्राइवेट लिमिटेड, भारत
- ज. प्राधिकारी ने हितबद्ध पक्षकारों को संगत सूचना मौखिक रूप से देने का अवसर प्रदान कराने के लिए 07 मार्च, 2013 को एक सार्वजनिक सुनवाई का आयोजन किया। इस सार्वजनिक सुनवाई में उपस्थित होने वाले पक्षकारों को सलाह दी गई कि वे मौखिक रूप से प्रस्तुत की गई सूचना को लिखित रूप में भी प्रस्तुत करें। प्राधिकारी ने हितबद्ध पक्षकारों से प्राप्त लिखित प्रस्तुतिकरणों और प्रति प्रत्युत्तरों पर विचार किया ।
- झ. जांच के दौरान घरेलू उद्योग सहित, हितबद्ध पक्षकारों द्वारा उठाए गए तर्कों और प्रदान कराई गई सूचना/ साक्ष्यों पर वर्तमान जांच से संगत समझी गई सीमा तक, प्राधिकारी द्वारा उचित ढंग से विचार किया गया है।
- ञ. प्राधिकारी ने जांच की कार्यवाई के दौरान प्रदान कराई गई उन सभी सूचना, जिस पर यह सभी जांच परिणाम आधारित हैं, की यथार्थता से स्वयं संतुष्टि की। प्राधिकारी ने संगत एवं आवश्यक समझी गई सीमा तक घरेलू उद्योग के परिसरों का स्थल सत्यापन किया। घरेलू उद्योग से क्षति के संबंध में अतिरिक्त/ अनुपूरक विवरण भी मांगे गए जो प्राप्त भी हो गए।
- ट. प्रमुख नियमों के नियम 16 के अनुसार इस जांच परिणामों के लिए आवश्यक समझे गए तथ्यों/आधारों का सभी ज्ञात हितबद्ध पक्षकारों को प्रकटन किया गया और उन पर प्राप्त टिप्पणियों पर इस अंतिम जांच परिणाम में विचार किया गया। निम्नलिखित हितबद्ध पक्षकारों ने प्रकटन विवरण पर टिप्पणियां की:—
- मैसर्स सासोल साल्वेट एवं मैसर्स सासोल मध्यपूर्व एफ जेड सी ओ।
 - मैसर्स पेट्रोकेम मध्यपूर्व एफ जेड ई और मैसर्स पेट्रोकेम मध्यपूर्व (भारत) प्राइवेट लिमिटेड
 - मैसर्स सुमिटोमो कारपोरेशन एशिया पीटीई लिमिटेड, सिंगापुर।
 - मित्सुई एंड कंपनी (एशिया पैसिफिक) पीटीई लिमिटेड (एम ए पी) एवं मित्सुई फिनाल्स सिंगापुर पीटीई लिमिटेड, (एमपीएस) सिंगापुर
 - घरेलू उद्योग
- ठ. प्राधिकारी ने, घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य का अगोपनीय पाठ प्राधिकारी द्वारा अनुरक्षित एक सार्वजनिक फाइल में उपलब्ध कराया और उसे नियम 6(7) के अनुसार हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निरीक्षण के लिए खुला रखा।
- ड. भारत में सम्बद्ध वस्तु की इष्टतम उत्पादन लागत और उसे बनाने तथा उसकी बिक्री करने की लागत का निर्धारण करने के लिए सामान्यतः स्वीकृत लेखाकरण सिद्धांतों (जीएएपी) और आवेदक द्वारा प्रस्तुत सूचना के आधार पर लागत जांच यह सुनिश्चित करने के लिए की गई कि क्या पाटन मार्जिन से न्यूनतर पाटनरोधी शुल्क घरेलू उद्योग की क्षति को दूर करने के लिए पर्याप्त होगा।
- ढ. **** हितबद्ध पक्षकारों द्वारा गोपनीय आधार पर प्रस्तुत की गई सूचना का प्रतिनिधित्व करता है और उस पर प्राधिकारी द्वारा नियमों के अंतर्गत गुणावगुण आधार पर विचार किया गया।
- ण. यह जांच 1 जनवरी, 2011 से प्रारंभ करके 31 दिसम्बर, 2011 की अवधि (12 माह) तक के लिए की गई और उसकी जांच की अवधि अथवा पीओआई के रूप में उल्लेख किया गया है। क्षति विश्लेषण के संदर्भ में प्रवृत्तियों की जांच करने के लिए वर्ष 2008-09, 2009-10, 2010-11 और जांच की अवधि को भी शामिल किया गया। पाटन एवं क्षति की संभावना का निर्धारण करने के लिए जांच की अवधि के परे के (जनवरी से जून 12) आकड़ों की जांच भी की गई है।
- त. जहां कहीं किसी हितबद्ध पक्षकार ने वर्तमान जांच की कार्यवाई के दौरान आवश्यक सूचना तक पहुंच की मनाही की अथवा उसे अन्यथा प्रदान नहीं किया अथवा जांच में पर्याप्त अवरोध उत्पन्न किया वहां प्राधिकारी उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम रिकार्ड करेंगे।

थ. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा गोपनीय आधार पर प्रदान कराई गई सूचना की दावे की गोपनीयता की पर्याप्तता के संबंध में जांच की गई। संतुष्ट होने पर प्राधिकारी ने यथावांछित गोपनीयता की अनुमति दे दी और उक्त सूचना को गोपनीय के रूप में माना गया तथा उसका प्रकटन नहीं किया गया।

द. केन्द्रीय सरकार ने जांच पूरी करने तथा अंतिम जांच परिणाम अधिसूचित करने की समयावधि 14 दिसम्बर, 2013 तक बढ़ा दी।

घ. जांच की अवधि के लिए विनिमय दर 1 अमरीकी डालर 48.14 प्रतिशत रुपये ली गई।

ग. विचाराधीन उत्पाद का दायरा एवं समान वस्तु

5. वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद एसीटोन है। मूल जांच में विचाराधीन उत्पाद एसीटोन था। वर्तमान समीक्षा के प्रयोजनार्थ विचाराधीन उत्पाद वही रहेगा। प्राधिकारी द्वारा की गई मूल जांच के अनुसार, इस उत्पाद को निम्नवत परिभाषित किया गया:—

“विचाराधीन उत्पाद एसीटोन” है। एसीटोन एक आर्गनिक रसायन है जिसे डाइमिथायल कीटोन के नाम से भी जाना जाता है और बल्क फार्मास्युटिकल्स, कृषि रसायनों, हाई स्टफ्स, कतिपय विस्फोटकों, डाउनस्ट्रीम रसायनों का विनिर्माण करने में इसका उपयोग किया जाता है। एसीटोन को सीमा शुल्क प्रशुल्क अधिनियम के अध्याय 29 के अंतर्गत उपशीर्ष 29141100 के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है।

“यह एक आधारभूत आर्गनिक रसायन है जिसका उत्पादन एकल ग्रेड में किया जाता है। यह एक रंगहीन द्रव है, इसकी ईंथर जैसी खुशबू होती है। इसको साल्वेट अथवा मध्यवर्ती के रूप में विभिन्न आर्गनिक संयोजनों के रूप में प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग बल्क फार्मास्युटिकल्स, कृषि रसायनों डाईस्टफ, कतिपय विस्फोटकों और डाउनस्ट्रीम रसायनों का विनिर्माण करने के लिए किया जाता है। एसीटोन का प्रयोग आईसोफोरोन, डाइएसीटोन, अल्कोनहल, मिथाइल मिथाक्राइलेट और विश्फेयनाल ए के विनिर्माण में विशेष रूप से किया जाता है। इसके अतिरिक्त और इसका प्रयोग कतिपय रबड़ रसायनों अथवा आक्सी एशियायलीन सेल्युलोज एसीटेट का विनिर्माण करने में भी किया जाता है।

6. एसीटोन को सीमाशुल्क प्रशुल्क शीर्षक संख्या 2914.11 के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है। तथापि यह सीमा शुल्क वर्गीकरण केवल संकेतक है और यह किसी भी रूप में वर्तमान जांच और प्रस्तावित साधन के दायरे के अंतर्गत बाध्यकारी नहीं है।

7. वर्तमान जांच एक निर्णायक समीक्षा जांच होने तथा सम्बद्ध देशों से सम्बद्ध वस्तु के आयातों पर प्राधिकारी द्वारा पूर्व में संस्तुत पाटनरोधी शुल्क प्रभावी होने के कारण प्राधिकारी का विचार है कि वर्तमान में विचाराधीन उत्पाद का दायरा वही रहेगा जो मूल जांच में था। इसके अतिरिक्त किसी भी हितबद्ध पक्षकार ने समीक्षा के इस दायरे में किसी संशोधन (कटौती सहित) का कोई संगत अनुरोध प्रस्तुत नहीं किया है।

घ. घरेलू उद्योग एवं आधार

घरेलू उद्योग द्वारा किए गए प्रस्तुतिकरण

8. घरेलू उद्योग का दायरा एवं उसके आधार के संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित प्रस्तुतिकरण किए गए हैं:—

i. याचिकाकर्ता भारत में सम्बद्ध वस्तु का प्रमुख उत्पादक है। देश में इस विचाराधीन उत्पाद का याचिकाकर्ता के अलावा, एक अन्य उत्पादक अर्थात् एस आई ग्रुप इंडिया लिमिटेड है।

ii. वर्तमान याचिका निर्णायक समीक्षा जांच के लिए है। निर्णायक समीक्षा जांच में याचिकाकर्ता के आधार से संबंधित मुद्दा संगत नहीं है।

iii. कंपनी का वर्तमान प्रबंधन अपने हाथ में लिए जाने से लेकर अब तक एस आई ग्रुप ने किसी भी जांच में कोई भाग नहीं लिया है। न ही याचिकाकर्ता एस आई ग्रुप को जांच में भाग लेने के लिए बाध्य कर सकता है।

आयातकों, उपभोक्ताओं, निर्यातकों और अन्य हितबद्ध पक्षकारों के विचार

9. घरेलू उद्योग का आधार एवं दायरे के संबंध में विरोधकर्ता हितबद्ध पक्षकारों ने निम्नलिखित प्रस्तुतिकरण किए हैं:—

i. एस आई ग्रुप से कोई समर्थन पत्र नहीं है जैसा कि घरेलू उद्योग द्वारा तर्क दिया गया है।

ii. एस आई ग्रुप बड़ी आसानी से, बिना कोई स्पष्टीकरण प्रदान किए घरेलू उद्योग के रूप में भाग लेने से बच गया। माननीय निर्दिष्ट प्राधिकारी को, एच ओ सी एल को घरेलू उद्योग के रूप में विचार करने से पहले तथ्यात्मक परिस्थितियों पर स्वतंत्रतापूर्वक विचार करना चाहिए।

प्राधिकारी द्वारा जांच

10. यह आवेदनपत्र मैसर्स हिन्दुस्तान आर्गेनिक कैमिकल्स लिमिटेड द्वारा दायर किया गया है। सम्बद्ध वस्तु का एक अन्य घरेलू उत्पादक मैसर्स एस आई ग्रुप इंडिया लिमिटेड है। एस आई ग्रुप इंडिया लिमिटेड ने इस आवेदनपत्र का समर्थन किया है और उनका समर्थन पत्र प्राधिकारी के रिकार्ड में है। यह नोट किया जाता है कि मैसर्स हिन्दुस्तान आर्गेनिक कैमिकल्स लिमिटेड का उत्पादन कुल घरेलू उत्पादन का 47.40 प्रतिशत है और इसलिए वह "प्रमुख अनुपात" बनता है। यद्यपि वर्तमान जांच एक निर्णायक समीक्षा जांच है, फिर भी आवेदक को पाटनरोधी नियमावली के नियम 2 (ख) और 5(3) के अनुसार घरेलू उद्योग के रूप में वर्तमान आवेदनपत्र दायर करने का आधार है।

11. मैसर्स एस आई ग्रुप इंडिया लिमिटेड ने घरेलू उद्योग द्वारा दायर आवेदनपत्र का समर्थन किया है। तथापि उनके द्वारा घरेलू उद्योग के लिए आवेदनपत्र प्रपत्र के स्वरूप और ढंग से कोई क्षति प्रत्युत्तर दायर नहीं किया गया है। अतः, प्राधिकारी ने एस आई ग्रुप को घरेलू उद्योग के दायरे के अंतर्गत नहीं माना है। तथापि, एस आई ग्रुप द्वारा प्रदान कराई गई सूचना को उपयुक्त शीर्षकों के अंतर्गत पृथक जांच की गई है।

ड. विविध प्रस्तुतिकरण

घरेलू उद्योग के विचार

12. घरेलू उद्योग ने निम्नलिखित विविध प्रस्तुतिकरण किए हैं:-

i. रक्षोपाय शुल्क की अवधि को छोड़कर, कुछ आयातों पर पाटनरोधी शुल्क अधिरोपित होते हुए भी कुछ न कुछ ऐसे अवसर बने रहे जिनका उपयोग करके उपभोक्ताओं ने पाटनरोधी शुल्क की न्यून अथवा शून्य प्रमात्रा में आयात किया है।

ii. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा उठाए गए मुद्दों का प्रत्युत्तर देते हुए घरेलू उद्योग ने प्रस्तुतिकरण किया है कि घरेलू उद्योग द्वारा बनायी गई विस्तार योजना का रसायन एवं पेट्रोरसायन मंत्रालय द्वारा कमी अनुमोदन नहीं किया गया। उद्योग को रसायन एवं पेट्रोरसायन मंत्रालय में संबंधित सक्षम विभाग का अनुमोदन लिए बिना निर्णय लेने की आजादी नहीं है।

iii. यह तथ्य कि अग्रिम लाइसेंस के अंतर्गत आयात को पाटनरोधी शुल्क से छूट दी गई है इसका आशय यह नहीं है कि अग्रिम लाइसेंस के अंतर्गत किए गए आयातों पर क्षति विश्लेषण के प्रयोजनार्थ विचार नहीं किया जाना चाहिए। इन आयातों का घरेलू उद्योग पर भारी विपरीत कीमत प्रभाव है।

आयातकों, उपभोक्ताओं, निर्यातकों और अन्य हितबद्ध पक्षकारों के विचार

13. आयातकों, उपभोक्ताओं, निर्यातकों और अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने निम्नलिखित विविध प्रस्तुतिकरण किये हैं:

i. एचओसीएल पिछले लगभग 15 वर्षों से अपनी कार्यकुशलता को बनाये रखने के लिए व्यापार उपचारी साधनों के बफर सहित कार्य कर रहा है यह अपनी उत्पाद सुविधा अथवा प्रक्रिया को अपने शुरुआत से बढ़ाने में असफल रहा है और इसलिए इसके कार्यकुशलता के स्तर में कोई सुधार नहीं हुआ है।

ii. याचिकाकर्ता ने अत्यधिक गोपनीयता का दावा किया है। वर्ष 2011 का व्यापार नोटिस संख्या 1 गोपनीयता के सिद्धांतों का सख्त अनुप्रयोग अधिदेशित करता है।

iii. क्षति और पाटन के जांच करने के लिए विचारित आयात की मात्रा से अग्रिम लाइसेंस निर्यात आयात का अपवर्जन कर दिया जाना चाहिए। शुल्क समाप्त करने का प्रभाव केवल शुल्क प्रदत्त आयातों पर ही पड़ेगा।

निर्यातकों और आयातकों द्वारा प्रकट विवरण संबंधी प्रस्तुतिकरण

iv. जांच शुरुआत के समय त्रुटिपूर्ण पाटन मार्जिन क्रियापद्धति अपनाई गई। इसके अतिरिक्त संबद्ध देशों से पाटित आयातों के कारण कोई क्षति न हुई न ही होने की संभावना थी। व्यापार उपचारी क्रियाओं का याचिकाकर्ताओं द्वारा लगातार दुरुपयोग किया गया निर्दिष्ट प्राधिकारी ने यूरोप और यूएस ने प्रचलित आईसीआईएस एलओआर के आधार पर भरोसा किया। तथापि निर्दिष्ट प्राधिकारी ने प्रकटन विवरण में उक्त का समायोजन फैक्ट्री बाह्य कीमत निर्धारण के लिए उल्लेख नहीं किया है। ऐसा प्रतीत होता है कि निर्दिष्ट प्राधिकारी ने आईसीआईएस एलओआर ने कीमत के रूप में वर्णित कीमतों पर सामान्य मूल्य के रूप में भरोसा कर लिया उन्होंने इस क्रियापद्धति ने उत्पादकों और निर्यातकों के लिए एकल भारत औसत पर प्रस्तुतिकरण किया है ।

प्राधिकारी द्वारा जांच

14. इस तर्क के संबंध में कि याचिकाकर्ता अपनी अक्षमता को छुपाने के लिए व्यापार उपचारी साधनों का आशय ले रहा है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि पाटनरोधी शुल्क की सिफारिश विधि में निर्धारित पैरामीटरों द्वारा निर्देशित होती है और जब यह सभी पैरामीटर पूरे हो रहे होते हैं तभी पाटनरोधी शुल्क उद्ग्रहित अथवा अनुरक्षित किया जाता है। केवल आवेदन पत्र दायर कर देने से ही पाटनरोधी शुल्क उद्ग्रहित नहीं कर दिया जाता है।

15. इस तर्क के संबंध में कि अग्रिम लाइसेंस निर्यात आयातों को क्षति विश्लेषण से अपवर्जित कर दिया जाना चाहिए, यह ध्यान दिलाया जाता है कि प्राधिकारी ने पिछले निष्कर्षों में यह नोट किया है कि शुल्क छूट स्कीम के अंतर्गत किये गये आयात प्रतिस्पर्धा सृजित करते हैं और कीमत में परिवर्तन लाते हैं क्योंकि आयातकों को माल का अधिप्रापण वस्तु के निर्यातकों या उत्पादकों जो कोई प्रतिस्पर्धी कीमत प्रदान करता है, से करना पड़ता है। इसलिए शुल्क छूट स्कीम के अंतर्गत किये गये आयातों के लिए यह नहीं सोचा जा सकता है कि वे बाजार में कीमते प्रभावित नहीं करते हैं। प्राधिकारी क्षति विश्लेषण के लिए इस उत्पाद के सभी आयातों पर निरंतर विचार करते हैं चाहे वह शुल्क दत्त हो या शुल्क मुक्त हो। अतः क्षति विश्लेषण के प्रयोजनार्थ शुल्क मुक्त आयातों का अपवर्जन नहीं किया जा सकता है।

16. अत्यधिक गोपनीयता के तर्क के संबंध में यह स्पष्ट किया जाता है कि प्राधिकारी ने हितबद्ध पक्षकारों के गोपनीयता के दावों की जांच करने और उनसे संतुष्ट होने के पश्चांत गोपनीयता प्रदान की है।

17. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रकट विवरण टिप्पणियों के संबंध में यह नोट किया जाता है कि उनके अधिकांश तर्क दोहराये गये हैं जिनका इस जांच परिणाम में अन्यत्र समाधान कर दिया गया है। प्राधिकारी ने अतिरिक्त प्रस्तुतिकरणों की जांच भी की है इस तर्क के संबंध में कि पीओआई आंकड़े विलम्ब से प्रस्तुत किये गये, प्राधिकारी नोट करते हैं कि पीओआई के बाद के आंकड़े लिखित प्रस्तुतिकरणों के साथ ही प्रस्तुत किये गये। यह सब सार्वजनिक फाइल में है।

18. आईसीआईएस एलओआर कीमतों का समायोजन करने के संबंध में प्राधिकारी नोट करते हैं कि निवल निर्यात कीमत और उतराई मूल्य पर पहुंचने के लिए कीमत समायोजन किया गया है।

च. पाटन मार्जिन

घरेलू उद्योग का विचार

19. घरेलू उद्योग ने निम्नलिखित विचार प्रस्तुत किये हैं:

i. संबद्ध देश घरेलू बाजार में वस्तुओं का निरंतर पाटन कर रहे हैं।

ii. कुछ उत्पादकों ने वस्तु की बिक्री एक से अधिक शृंखला के माध्यम से की है। अतः यदि कोई शृंखला ऋणात्मक क्षति मार्जिन प्राप्त करने में सक्षम होती है तो उत्पादक उस शृंखला के लिए शून्य शुल्क प्राप्त करने में सक्षम होता है और उसके पश्चात अपनी संपूर्ण सामग्री उस शृंखला से निर्यात कर सकता है। इसलिए प्राधिकारी को चाहिए कि वह एक उत्पादक और निर्यातक को एक शुल्क प्रदान करे। आयातकों, उपभोक्ताओं, निर्यातकों तथा अन्य हितबद्ध पक्षकारों के विचार

20. आयातकों, उपभोक्ताओं, निर्यातकों तथा अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने निम्नलिखित प्रस्तुतिकरण किये हैं।

- i. प्रत्येक मामले के गुणावगुण आधार पर समायोजन की जांच करना प्राधिकारी का कर्तव्य होता है। केवल इस तर्क पर कि समायोजन पहले प्रदान नहीं किया गया है, ऐसे समायोजन के त्रुटिपूर्ण अपवर्जन को न्यायोचित नहीं बना देता है।
- ii. विभिन्न उत्पादकों-निर्यातकों के संयोजन के लिए पाटन एवं क्षति मार्जिन का परिकलन करने की क्रियापद्धति में अभिहाल ही में परिवर्तन हुआ है। उत्पादकों और निर्यातकों के लिए एकल भारित औसत शुल्क की क्रियापद्धति में परिवर्तन करना निरंकुश तथा यह विधिसम्मत प्रत्याशाओं और उचित प्रक्रिया के सिद्धांत का उल्लंघन होगा क्योंकि पक्षकारों को अपने हितों की रक्षा करने का अवसर प्रदान नहीं किया गया। इसके अतिरिक्त परंपरा में ऐसे परिवर्तन को न्यायोचित ठहराने के लिए कोई तर्क संगत आदेश नहीं है।
- iii. उत्पादक आधारित मार्जिनों की स्वीकृति संपूर्ण विश्व में डब्लू टी ओ से संगत परम्परा का अभिन्न अंग मानी जाती है। तथापि उस पर स्वीकृत शुल्क संयोजन में नहीं दिये जाते हैं। यदि प्राधिकारी इस परम्परा को अपनाना चाहते हैं तो उन्हें पहले सभी हितबद्ध पक्षकारों को यह स्पष्ट करना होगा कि चूंकि इससे प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के प्रति उनकी प्रतिबद्धता का उल्लंघन होता है इसलिए कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाएगी।
- iv. यदि प्राधिकारी अपने प्रक्रिया में परिवर्तन करना चाहते हैं तो वह डब्लू टी ओ संगत ढंग से ऐसा कर सकते हैं। इसलिए शुल्क की सिफारिश संयोजन आधार पर न करके उत्पादक विशिष्ट आधार पर करनी चाहिए।

प्राधिकारी द्वारा जांच

21. धारा 9क (1) (ग) के अंतर्गत किसी वस्तु के संबंध में सामान्य मूल्य का आशय निम्नलिखित है:-

- i. व्यापार के सामान्य अनुक्रम में समान वस्तु के लिए तुलनीय कीमत जब वह उपधारा 6 के अंतर्गत बनाये गये नियमों के अनुसार यथानिर्धारित निर्यातक के देश अथवा भू-भाग में खपत के लिए हो; अथवा
- ii. यदि निर्यातक के देश या भू-भाग की घरेलू बाजार में व्यापार के सामान्य अनुक्रम में समान वस्तु की बिक्री नहीं होती है अथवा किसी खास बाजार स्थिति अथवा निर्यात के देश में अथवा भू-भाग की घरेलू बाजार में बिक्री की न्यून मात्रा के कारण जब ऐसे बिक्रियां उचित तुलना की अनुमति नहीं देती है तो सामान्य मूल्य या तो-
 - (क) समान वस्तु की तुलनीय प्रतिनिधिक कीमत होती है जब उसका निर्यात निर्यातक के देश अथवा भू-भाग से अथवा उपधारा (6) के अंतर्गत बने नियमों में यथापरिभाषित किसी उपयुक्त तृतीय देश से किया गया हो; अथवा
 - (ख) उद्गम के देश में उक्त वस्तु की उत्पादन लागत जिसमें उपधारा 6 के अंतर्गत बने नियमों में यथा निर्धारित प्रशासनिक, बिक्री और सामान्य लागत तथा लाभ को जोड़ा गया हो।

22. प्राधिकारी ने संबद्ध देशों और भारत के ज्ञात निर्यातकों और आयातकों को प्रश्नावलियां यह सुझाव देते हुए भेजी की वे निर्धारित स्वरूप और ढंग से सूचना प्रदान करें तथापि निम्नलिखित उत्पादकों, निर्यातकों और संबद्ध आयातकों को छोड़कर संबद्ध देशों के किसी उत्पादक/निर्यातक तथा भारत के किसी भी आयातक ने प्रश्नावली का प्रत्युत्तर देकर इस जांच में सहयोग नहीं किया। निम्न- लिखित कंपनियों ने ही प्रश्नावली का प्रत्युत्तर दायर किया:

- मैसर्स सासोल साल्वेट एवं मैसर्स सासोल मध्यमपूर्व एफ जेड सी ओ।
- मैसर्स पेट्रोकेम मध्यपूर्व एफ जेड ई और मैसर्स पेट्रोकेम मध्यपूर्व (भारत) प्राइवेट लिमिटेड
- मैसर्स सुमिटोमो कारपोरेशन एशिया पीटीई लिमिटेड, सिंगापुर।
- मित्सुई एंड कंपनी (एशिया पैसिफिक) पीटीई लिमिटेड (एम ए पी) एवं मित्सुई फिनाल्स सिंगापुर पीटीई लिमिटेड, (एमपीएस) सिंगापुर
- मैसर्स हारेश पेट्रोकेम सिंगापुर पीटीई लिमिटेड और हारेश पेट्रोकेम प्राइवेट लिमिटेड, भारत

23. चूंकि उपर्युक्त कंपनियों ने प्रश्नावली का प्रत्युत्तर दायर किया है इसलिए पाटन मार्जिन का निर्धारण उनके प्रश्नावली प्रत्युत्तर के आधार पर इन कंपनियों के लिए ही किया गया है।

24. सम्बद्ध देशों में अन्य उत्पादकों/निर्यातकों से सहयोग के अभाव में प्राधिकारी ने सामान्य मूल्य का निर्धारण डब्लू टी ओ करार के अनुच्छेद 6.8 के साथ पठित पाटनरोधी नियमावली के नियम 6(8) के अनुसार उपलब्ध तथ्यों के आधार पर किया है।

25. तदनुसार प्राधिकारी ने संबद्ध देशों के उत्पादकों/निर्यातकों के बारे में सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन का निर्धारण निम्नवत किया है।

प्रत्युत्तरदाता निर्यातकों के सामान्य मूल्य का निर्धारण करने के लिए अपनाई गई सामान्य क्रियापद्धति

26. घरेलू उद्योग द्वारा यह तर्क दिया गया है कि जांच की अवधि के दौरान संबद्ध वस्तु की कीमतों में उतार-चढ़ाव रहा है। इसलिए प्राधिकारी ने पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन का निर्धारण करने के लिए समस्त आंकड़ों का माहवार विश्लेषण किया है। माहवार आधार पर विश्लेषण करने के लिए सहयोगकर्ता उत्पादकों/निर्यातकों से आवश्यक आंकड़े मंगाये गये जो उन्होंने प्रस्तुत कर दिए और पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन का आकलन माहवार आधार पर किया गया।

27. प्राधिकारी ने सामान्य मूल्य का आकलन उत्पादकों और निर्यातकों द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना के आधार पर और नियमों के अनुसार किया है। पहले यह देखा गया कि क्या प्रत्युत्तरदाता निर्यातकों/उत्पादकों द्वारा संबद्ध वस्तु की अपनी गृह बाजारों में की गई घरेलू बिक्रियां प्रतिनिधिक बिक्रियां थी और वे अपनी घरेलू बिक्री कीमत के आधार पर सामान्य मूल्य का निर्धारण करने की अनुमति देने के लिए अक्षम थी और क्या प्रत्युत्तरदाताओं द्वारा प्रदान कराये गये आंकड़ों के अनुसार व्यापार के सामान्य अनुक्रम का परीक्षण संतोषजनक था। अपने प्रत्युत्तर में, प्रतिवादियों ने अपनी घरेलू बाजार में की गई बिक्रियों का लेनदेनवार विवरण प्रदान कराया है। इसके अतिरिक्त यह निर्धारण करने के लिए की क्या घरेलू बिक्रियां व्यापार के सामान्य अनुक्रम में हुई हैं, संबद्ध वस्तु की उत्पादन लागत के संदर्भ में सभी घरेलू बिक्री लेनदेन की जांच की गई। यह भी देखा गया कि क्या घाटेवाले लेनदेन कुल बिक्री का 20 प्रतिशत है या नहीं और। जब कभी लाभदायक घरेलू बिक्री लेन देन कुल बिक्रियों का 80 प्रतिशत से अधिक पाया गया वहां घरेलू बिक्रियों की भारित औसत कीमत पर विचार किया गया। तथापि जहां कहीं लाभदायक बिक्रियों की मात्रा 80 प्रतिशत से कम पाई गई वहां लाभदायक घरेलू बिक्रियों की भारित औसत कीमत पर विचार किया गया है।

सिंगापुर के सहयोगकर्ता उत्पादकों और निर्यातकों के लिए सामान्य मूल्य

28. सिंगापुर से सहयोगकर्ता उत्पादकों और निर्यातकों तथा यूई के असंबद्ध व्यापारी के प्रत्युत्तर की जांच करने के पश्चात यह नोट किया जाता है कि सिंगापुर से मैसर्स मितसुई फिनोल्स सिंगापुर पीटीई लिमिटेड (एमपीएस) और मैसर मितसुई एंड कंपनी (एशिया पैसिफिक) पीटीई लिमिटेड (एमएपी) ने ही प्राधिकारी को प्रत्युत्तर दिया और और अपना निर्यातक प्रश्नावली प्रत्युत्तर प्रस्तुत किया। उनके प्रत्युत्तर तथा कार्यवाई के दौरान प्रस्तुत अतिरिक्त सूचना की जांच की गई और यह नोट किया गया कि संबंधित उत्पाद का उत्पादन कंपनी मितसुई फिनोल्स सिंगापुर पीटीई लिमिटेड (एमपीएस) द्वारा किया जाता है। पुनः यह नोट किया जाता है कि उत्पादन प्रक्रिया के अनुसार बेंजीन और प्रोपाइलिन का अधिप्रापण क्यूमीन का उत्पादन करने के लिए घरेलू तथा आयातित स्रोत से किया जाता है। क्यूमीन से कंपनी फिनोल और एसीटोन का उत्पादन करती है। प्रत्युत्तर के दौरान यह नोट किया गया कि घरेलू बिक्रियां इस कंपनी द्वारा सीधे घरेलू उपभोक्ताओं को अथवा इसके सहबद्ध व्यापार घराने अर्थात् एमएपी के जरिए की जाती हैं। यह भी नोट किया गया कि यह कंपनी घरेलू बाजार में भी संबद्ध वस्तु की बिक्री कर रही थी जिसे इसने अपनी संबद्ध कंपनी मैसर्स एमपीएस से खरीदा था।

29. इन कंपनियों द्वारा दायर प्रत्युत्तर जांच की गई। प्रश्नावली प्रत्युत्तर से यह नोट किया जाता है कि मैसर्स एमपीएस ने संबद्ध वस्तु के लिए माहवार लागत प्रस्तुत की है। प्रस्तुत की गई सूचना से यह नोट किया जाता है कि घरेलू बिक्रियां पर्याप्तता परीक्षण को पूरा करती हैं। व्यापार परीक्षण के सामान्य अनुक्रम को पूरा करने के प्रयोजनार्थ प्रत्युत्तर के परिशिष्ट-8ख में यथा इंगित संबद्ध वस्तु की उत्पादन लागत को स्वीकार किया गया है। उसके समायोजन की अनुमति दी गई है। इन निर्धारणों के आधार पर माहवार रूप से सामान्य मूल्य का निर्धारण किया गया है।

30. असहयोगकर्ता निर्यातकों के लिए सामान्य मूल्य का निर्धारण करने हेतु सहयोगकर्ता पक्षकारों के लिए निर्धारित सामान्य मूल्य को अपनाया गया है। फैक्टरी बाह्य सामान्य मूल्य पर पहुंचने के लिए सहयोगकर्ता निर्यातकों के लिए अनुमत समायोजनों का समायोजन किया गया है।

दक्षिण अफ्रीका से सहयोगकर्ता उत्पादक और निर्यातक के लिए सामान्य मूल्य

31. प्राधिकारी नोट करते हैं कि मैसर्स सासोल साल्वेंट, दक्षिण अफ्रीका और मैसर्स सासोल मिडिल इस्ट एफजेडसीओ, यूएई ने प्राधिकारी को प्रत्युत्तर दिया है और अपना निर्यातक प्रश्नावली प्रत्युत्तर प्रस्तुत किया है। इस प्रत्युत्तर तथा कार्यवाई के दौरान प्रस्तुत अतिरिक्त सूचना की जांच की गई और यह नोट किया गया कि संबंधित उत्पाद का उत्पादन मैसर्स सासोल साल्वेंट द्वारा किया जाता है और भारत को उसका निर्यात मैसर्स सासोल मिडिल इस्ट, जो एक अनुषंगी कंपनी है, द्वारा किया जाता है। यह भी नोट किया गया कि घरेलू बिक्रियां मैसर्स सासोल सेल्वेंट द्वारा सीधे घरेलू ग्राहकों की जाती हैं।

32. घरेलू बिक्रियों का लेन-देन वार विवरण मैसर्स सासोल सेल्वेंट द्वारा प्रस्तुत किया गया है और सामान्य मूल्य का निर्धारण करने के लिए उसी पर भरोसा किया गया। इस कंपनी द्वारा दायर प्रत्युत्तर की जांच की गई। प्रश्नावली प्रत्युत्तर से नोट किया जाता है कि कंपनी ने संबद्ध वस्तु के लिए महावार लागत प्रदान की है। जांच से यह नोट किया जाता है कि घरेलू बिक्रियां पर्याप्तता परीक्षण को पूरा करती हैं। व्यापार के सामान्य अनुक्रम का परीक्षण करने के प्रयोजनार्थ प्रत्युत्तर के परिशिष्ट-8ख में यथा इंगित संबद्ध वस्तु की उत्पादन लागत को स्वीकार किया गया है। जांच के पश्चात उसके समायोजनों की अनुमति दे दी गई है। मैसर्स सासोल साल्वेंट द्वारा अंतरदेशीय भाड़ा, टर्मिनल/भंडारण व्यय, क्रेडिट लागत पर हुए व्यय के दावे का समायोजन सामान्य मूल्य का निर्धारण करने के लिए किया गया। इन निर्धारणों के आधार पर सामान्य मूल्य का परिकलन माहवार आधार पर किया गया है।

दक्षिण अफ्रीका के असहयोगकर्ता उत्पादकों और निर्यातकों के लिए सामान्य मूल्य

33. असहयोगकर्ता निर्यातकों के लिए सामान्य मूल्य का निर्धारण करने हेतु सहयोगकर्ता निर्यातकों के लिए निर्धारित सामान्य मूल्य को अपनाया गया है सहयोगकर्ता निर्यातक को अनुमत समायोजनों का समायोजन उनके फैक्ट्री बाह्य सामान्य मूल्य पर पहुंचने के लिए किया गया।

यूएसए के सभी उत्पादकों/ निर्यातकों के लिए सामान्य मूल्य

34. यह नोट किया जाता है कि यूएसए के किसी निर्यातक ने प्राधिकारी को प्रत्युत्तर नहीं दिया है। आवेदक ने यूएसए में सामान्य मूल्य का विवरण संबद्ध वस्तु की आईसीआईएस-एलओआर में यथा प्रकाशित कीमत के आधार पर किया है। यह नोट किया जाता है कि आईसीआईएस-एलओआर विश्व का सबसे बड़ा पेट्रो-रसायन बाजार सूचना प्रदाता है और कीमत निर्धारण आंकड़े, उच्च मूल्य समाचार, विश्लेषण और स्वतंत्र परामर्श जिसमें कीमत निर्धारण सूचना प्रदान करने के लिए 30 वर्षों का अनुभव है, प्रदान करता है। संबद्ध निर्यातकों से किसी प्रकार के प्रत्युत्तर के अभाव में प्राधिकारी ने यूएसए में सभी उत्पादकों/निर्यातकों के लिए सामान्य मूल्य का निर्धारण आईसीआईएस-एलओआर कीमतों के आधार पर की है।

ईयू के सभी उत्पादकों/ निर्यातकों के लिए सामान्य मूल्य

35. ईयू के किसी भी निर्यातक ने प्राधिकारी को उत्तर नहीं दिया आवेदनकर्ता ने ईयू में सामान्य मूल्य का विवरण आईसीआईएस एलओआर द्वारा प्रकाशित आंकड़ों के आधार पर दिया है। आईसीआईएस एलओआर विश्व का सबसे बड़ा सूचना प्रदाता, कीमत आंकड़ा उच्च वैल्यू सूचना और विश्लेषण देने वाला पेट्रोकेमिकल बाजार सूचना प्रदायक है। संबद्ध निर्यातकों से प्रत्युत्तर के अभाव में प्राधिकारी ने ईयू के उत्पादकों/निर्यातकों के लिए सामान्य मूल्य का निर्धारण आईसीआईएस एलओआर कीमतों के आधार पर किया है।

च2. निर्यात कीमत

प्रत्युत्तरदाता निर्यातकों के लिए निर्यात कीमत का निर्धारण करने हेतु सामान्य क्रिया पद्धति

36. प्राधिकारी ने प्रत्युत्तरदाता निर्यातकों के संबंध में निर्यात कीमत की जांच उनके द्वारा दायर प्रश्नावली प्रत्युत्तर के आधार पर की है। निर्यात कीमत और उसके समायोजन की अनुमति जांच के पश्चात दी गई। फैक्ट्री बाह्य स्तर पर निर्यात कीमत का परिकलन उत्पादक तक सभी फैक्ट्री पश्चात व्यय को घटाकर किया गया है।

मिर्त्सुई एंड कंपनी, (एशिया प्रशांत) पीटीई लिमिटेड (एमएपी) के जरिए भारत को मिर्त्सुई फिनोल्स सिंगापुर पीटीई लिमिटेड (एमपीएस), सिंगापुर, के लिए निर्यात कीमत

37. प्रत्युत्तर से यह नोट किया जाता है कि मैसर्स एमपीएस ने अपनी संबद्ध कंपनी मैसर्स एमएपी के जरिए भारत को जांच की अवधि के दौरान एसीटोन का निर्यात किया है। यह देखा जाता है कि निर्यातक ने भारत को केवल बल्क बिक्रियां ही की हैं। इसलिए बल्क

के लिए निर्यात कीमत का निर्धारण किया गया है। यह नोट किया जाता है कि भारत को संबद्ध वस्तु की सभी बिक्रियां एफओबी आधार पर की गई हैं और एफओबी तक निर्यात के संबंध में हुए व्यय का वहन उत्पादक द्वारा किया गया है। कंपनी ने कमीशन, सीमाशुल्क निकासी शुल्क बैंक डिस्काउंट ब्याज, बैंक प्रभार, पत्तन सुविधा प्रभार, बंदरगाह प्रबंधन शुल्क, व्यापार संवर्धन सेवा शुल्क, बंदरगाह प्रहस्तन शुल्क, माल चढ़ाई सर्वेक्षण शुल्क और भंडारगार प्रवाह के कारण समायोजन का दावा किया है। समायोजन के यह दावे स्वीकार कर लिये गये हैं, और उसके पश्चात फैक्टरी बाह्य निर्यात कीमत का परिकलन माहवार आधार पर किया गया है। पुनः यह नोट किया जाता है कि मैसर्स एमएपी एक व्यापारी है और वह अपनी संबद्ध कंपनी मैसर्स मित्सुई फिनोल्स, सिंगापुर पीटीई लिमिटेड (एमपीएस) तथा अन्य स्रोतों से भी संबद्ध वस्तु का अधिप्राण करती थी। तथापि जांच की अवधि के दौरान उन्होंने भारत को जिस संबद्ध वस्तु की बिक्री की है उसका अधिप्राण केवल एमपीएस से किया गया था। उत्पादक एमपीएस सिंगापुर की ओर से फैक्टरी बाह्य निर्यात कीमत का निर्धारण आवश्यक समायोजन, जिसका उल्लेख ऊपर किया गया है, करने के पश्चात किया गया है।

एमएपी सिंगापुर और मैसर्स हारेश पेट्रोकेम सिंगापुर पीटीई लिमिटेड, सिंगापुर (एचपीएसपीएल) के जरिए भारत को मित्सुई फिनोल्स सिंगापुर पीटीई लिमिटेड के लिए निर्यात कीमत

38. यह पुनः नोट किया जाता है कि सहयोगकर्ता उत्पादक मैसर्स एमपीएस, सिंगापुर तथा संबद्ध व्यापारी मैसर्स एमएपी सिंगापुर द्वारा जांच की अवधि के दौरान हारेश पेट्रोकेम सिंगापुर द्वारा संबद्ध वस्तु का भारत को निर्यात किया गया था। मैसर्स हारेश पेट्रोकेम सिंगापुर पीटीई लिमिटेड सिंगापुर (एचपीएसपीएल) केवल एक निर्यातक है जिसने एमएपी तथा अन्य स्रोतों से सम्बद्ध वस्तु प्राप्त करके उसका भारत को निर्यात किया है और फिर उसका हारेश पेट्रोकेम प्राइवेट लिमिटेड (भारत) और भारत में अन्य को उसका निर्यात किया है। संबद्ध वस्तु जिसका क्रय हारेश पेट्रोकेम सिंगापुर पीटीई लिमिटेड सिंगापुर (एचपीएसपीएल) द्वारा मित्सुई एंड कंपनी (एशिया प्रशांत) पीटीई लिमिटेड, सिंगापुर से किया गया है उसका उत्पादन मित्सुई फिनोल्स सिंगापुर पीटीई लिमिटेड, सिंगापुर द्वारा किया जाता है। उत्पादक एमपीएस सिंगापुर के लिए फैक्टरी बाह्य निर्यात कीमत का निर्धारण करने लिए श्रृंखला के अन्य व्यापारियों के संबंध में आवश्यक समायोजन किये गये हैं।

सुमिटोमो और मैसर्स पेटोकेम मध्य-पूर्व (एफजेडई) दुबई के जरिए भारत को मैसर्स मित्सुई फिनोल्स सिंगापुर पीटीई लिमिटेड के लिए निर्यात कीमत

39. पुनः यह नोट किया गया कि मैसर्स सुमिटोमो एक अन्य व्यापारी है और वह अपनी असंबद्ध कंपनी मैसर्स मित्सुई फिनोल्स सिंगापुर पीटीई लिमिटेड (एमपीएस) और अन्य स्रोतों से संबद्ध वस्तु का अधिप्राण कर रहा था। तथापि जांच की अवधि के दौरान उन्होंने संबद्ध वस्तु की भारत को भी बिक्री की है उसका अधिप्राण एमपीएस से किया गया था। यह भी नोट किया गया कि मैसर्स सुमिटोमो ने भारत से क्रय की गई इन सब संबंध वस्तुओं का निर्यात एक अन्य असंबद्ध व्यापारी अर्थात् मैसर्स दुबई पेट्रोकेम एफजेडई के जरिए किया गया था। इन खेपों का विनिर्माण मैसर्स मित्सुई फिनोल्स सिंगापुर पीटीई लिमिटेड (एमपीएस) द्वारा किया गया था। उत्पादक एमपीएस सिंगापुर, की ओर से फैक्टरी बाह्य निर्यात कीमत का निर्धारण करने के लिए श्रृंखला में व्यापारियों से संबंधित आवश्यक समायोजन किये गये हैं।

सिंगापुर के असहयोगकर्ता उत्पादकों/ निर्यातकों के लिए निर्यात कीमत

40. चूंकि सिंगापुर से संबद्ध वस्तु के किसी अन्य निर्यातक/ उत्पादक से कोई अन्य प्रत्युत्तर प्राप्त नहीं हुआ है इसलिए प्राधिकारी ने निर्यात कीमत का निर्धारण पाटनरोधी नियमावली के नियम 6(8) में उल्लिखित शर्तों के अनुसार उपलब्ध तथ्यों के अनुरूप किया है। इस आंकड़े का सहयोगकर्ता निर्यातकों द्वारा प्रदान कराई गई सूचना का सहयोजन किया गया।

मैसर्स सासोल मध्य पूर्व एफजेडसीओ, दक्षिण अफ्रीका की ओर से सासोल साल्वेंट के लिए निर्यात कीमत।

41. मैसर्स सासोल मध्य पूर्व एफजेडसीओ द्वारा भारत को किये गये निर्यातों का लेनदेन बार ब्यौरे की जांच निर्यात कीमत का निर्धारण करने के लिए माहवार आधार पर की गई है। सासोल साल्वेंट और सासोल मध्यपूर्व द्वारा व्यय किये गये दावों का समायोजन फैक्टरी बाह्य निर्यात कीमत जैसे समुद्री भाड़ा, निकासी एवं प्रहस्तन, क्रेडिट लागत आदि पर पहुंचने के लिए किया गया। भारत को किये गये निर्यातों की तुलना संबंधित माह के लिए की गई जिसमें घरेलू बिक्रियां की गईं। इस तरीके को अपनाकर सहयोगकर्ता उत्पादकों और निर्यातकों के लिए निर्यात कीमत का निर्धारण किया गया।

दक्षिण अफ्रीका के असहयोगकर्ता उत्पादकों/ निर्यातकों के लिए निर्यात कीमत

42. चूंकि दक्षिण अफ्रीका से संबद्ध वस्तु के किसी भी अन्य उत्पादक/निर्यातक से कोई अन्य प्रत्युत्तर प्राप्त नहीं हुआ है। इसलिए प्राधिकारी ने निर्यात कीमत का निर्धारण कीमत का निर्धारण पाटनरोधी नियमावली के नियम 6(8) के अनुसार उपलब्ध तथ्यों के आधार पर किया है। इस आंकड़े की तुलना सहयोगकर्ता निर्यातकों द्वारा प्रदान कराई सूचना से की गई।

यूएसए में सभी उत्पादकों/ निर्यातकों के लिए निर्यात कीमत

43. यूएसए के किसी निर्यातक ने प्राधिकारी को प्रत्युत्तर नहीं दिया। प्राधिकारी ने डीजीसीआईएंडएस प्राप्त सूचना पर विचार किया है और विचाराधीन उत्पाद के भारत को सभी आयातों पर विचार करते हुए निर्यात कीमत का निर्धारण किया गया है। याचिकाकर्ता घरेलू उद्योग द्वारा किये गये दावे के आधार पर कीमत समायोजन किया गया है।

ईयू के सभी उत्पादकों/ निर्यातकों के लिए निर्यात कीमत

44. ईयू के किसी निर्यातक ने प्राधिकारी को प्रत्युत्तर नहीं दिया है। प्राधिकारी ने डीजीसीआईएंडएस प्राप्त सूचना पर विचार किया है और विचाराधीन उत्पाद के भारत को सभी आयातों पर विचार करते हुए निर्यात कीमत का निर्धारण किया गया है। याचिकाकर्ता घरेलू उद्योग द्वारा किये गये दावे के आधार पर कीमत समायोजन किया गया है।

पाटन मार्जिन का निर्धारण

45. आंकड़ों का विश्लेषण करने के पश्चात पाटन मार्जिन की गणना निम्नवत की गई है:-

उदगम का देश	निर्यात का देश	उत्पादक	निर्यातक	पाटन मार्जिन यूएस डालर/ मी.टन	पाटन मार्जिन (%)	भारित औसत पाटन मार्जिन यूएस डालर/ मी.टन	भारित औसत पाटन मार्जिन (%)	पाटन मार्जिन (%) रेंज
सिंगापुर	सिंगापुर	मैसर्स मित्सुई फैनोल्स सिंगापुर पीटीई लिमिटेड	मैसर्स मित्सुई एंड कंपनी (एशिया प्रशांत) पीटीई लिमिटेड	***	***	***	***	0-5
सिंगापुर	सिंगापुर	मैसर्स मित्सुई फैनोल्स सिंगापुर पीटीई लिमिटेड	मैसर्स मित्सुई एंड कंपनी (एशिया प्रशांत) पीटीई लिमिटेड, मैसर्स सिमुटोमो कारपोरेशन एशिया पीटीई लिमिटेड, मैसर्स पेट्रोकेम मध्य	***	***			

उदगम का देश	निर्यात का देश	उत्पादक	निर्यातक	पाटन मार्जिन यूएस डालर/ मी.टन	पाटन मार्जिन (%)	भारित औसत पाटन मार्जिन यूएस डालर/ मी.टन	भारित औसत पाटन मार्जिन(%)	पाटन मार्जिन (%) रेंज
			पूर्व एफजेडई,यूई					
सिंगापुर	सिंगापुर	मैसर्स मित्सुई फैनोल्स सिंगापुर पीटीई लिमिटेड	मैसर्स मित्सुई एंड कंपनी (एशिया प्रशांत) पीटीई लिमिटेड और मैसर्स हारेश पेट्रोकेम सिंगापुर पीटीई लिमिटेड	***	***			
सिंगापुर	सिंगापुर	सिंगापुर से अन्य सभी उत्पादक और निर्यातक		***	***			15-20
दक्षिण अफ्रीका	दक्षिण अफ्रीका	मैसर्स सासोल साल्वेंट	मैसर्स सासोल मध्य पूर्व एफजेडसीओ,यूई	***	***			0-5
दक्षिण अफ्रीका	दक्षिण अफ्रीका	दक्षिण अफ्रीका से अन्य सभी उत्पादक एवं निर्यातक		***	***			30-35
ईयू	यूरोपियन यूनियन	ईयू से अन्य सभी उत्पादक एवं निर्यातक		***	***			(0-5)
यूएसए	यूएसए	यूएसए से सभी उत्पाद एवं निर्यातक		***	***			5-10

छ. क्षति निर्धारण

घरेलू उद्योग के विचार

46. क्षति तथा कारणात्मक संबंध के बारे में घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित प्रस्तुतिकरण किये गये हैं।
- संबद्ध देशों से आयातों में वृद्धि हुई जिसके कारण घरेलू उद्योग को क्षति हुई
 - संबद्ध देशों से आयात घरेलू उद्योग की कीमतों का अधोदहन कर रहे हैं।
 - घरेलू उद्योग की लाभदायकता और उसके परिणामस्वरूप निवेश पर अर्जन तथा नकद लाभ की स्थिति में गिरावट आयी है।
 - आयात पाटित कीमतों पर अभी भी हो रहे हैं।
 - घरेलू उद्योग को संबद्ध वस्तु के पाटन से क्षति का सामना करना पड़ रहा है। इसके अतिरिक्त, यह विश्वास करने का कोई अन्य कारण अथवा औचित्य नहीं है कि शुल्क का प्रतिसंहरण से पाटन की निरंतरता और उसमें उच्चतर स्तर पर वृद्धि नहीं होगी और उसके परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग को क्षति नहीं होगी।
 - घरेलू उद्योग के आंकड़े स्पष्ट बिक्री मात्रा में गिरावट और उसके परिणाम स्वरूप उत्पादन तथा क्षमता उपयोग में गिरावट प्रदर्शित कर रहे हैं।
 - देश में स्पष्ट मांग-आपूर्ति अंतराल के बावजूद घरेलू उद्योग की बिक्री मात्रा में गिरावट आयी है। वास्तव में, भारी मांग आपूर्ति अंतराल की स्थिति में घरेलू उद्योग को अपनी समस्त सामग्री की बिक्री कर लेनी चाहिए थी।
 - भारी वैश्विक वेशी की स्थिति में निर्यातकों को प्रचलित कीमतों पर बिक्री करनी पड़ी। यदि वैश्विक बाजार में वर्तमान उत्पाद जैसे किसी उत्पाद की कीमतों में गिरावट आ रही है तो कोई भी निर्यातक अपनी निजी कीमतें लागू करने की स्थिति में नहीं होता है।
 - वार्षिक रिपोर्ट स्पष्टतया यह उजागर करती है कि कंपनी की क्षति का प्रमुख कारण इस उत्पाद का पाटन होना है जबकि याचिकाकर्ता के निष्पादन और वैश्विक उत्पादकों के निष्पादन में समग्र अंतर अन्य कारकों जैसे उत्पाद का पाटन होने के कारण निष्पादन में गिरावट भी हो सकते हैं।
- आयातकों, उपभोक्ताओं, निर्यातकों तथा अन्य हितबद्ध पक्षकारों के विचार
47. आयातकों, उपभोक्ताओं, निर्यातकों तथा अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा क्षति एवं कारणात्मक संबंध के बारे में निम्न लिखित प्रस्तुतिकरण किये हैं।
- घरेलू उद्योग द्वारा दावा की गई क्षति ताईवान से आयातों तथा लागत और कीमतों असमान्य वृद्धि के कारण स्पष्ट प्रतीत होती है दोनों घटनाओं में से किसी में भी संबद्ध देशों में शुल्क की समाप्ति के परिणामस्वरूप कोई भी कथित क्षति नहीं हुई है।
 - याचिकाकर्ता ने बड़े आसानी से जांच की अवधि के पश्चात की अवधि के लिए आयात आंकड़े प्रदान कराने से मनाही कर दी है। जांच की अवधि के पश्चात के 6 माह के आंकड़ों पर विचार किया जा सकता है।
 - आंकड़े बताते हैं कि संबद्ध देशों के बाजार हिस्से में गिरावट आयी है और अन्य देशों के बाजार हिस्से में बढ़ोतरी हुई है।
 - घरेलू उद्योग की बिक्री में गिरावट आयी है जबकि अन्य उत्पादक अपनी बिक्रियां बनाये रखने में सक्षम हुए हैं।
 - फिनोल की मांग में गिरावट हो सकती है जिसकी बजह से हो सकता है एसीटोन की आपूर्ति में कमी आई हो।
 - ऐसी स्थिति में जब आयात आदेशात्मक हो तो घरेलू उद्योग का यह दावा पूरी तरह से यह गलत है कि इसके निष्पादन में गिरावट आयात के कारण आयी है। शुल्क का अधिरोपण डाउनस्ट्रीम उद्योग पर विपरीत प्रभाव डालेगा।
 - घरेलू उद्योग वस्तु की बिक्री गैर क्षतिकारी कीमत से अधिक कीमत पर कर रही है। और इसलिए उसे क्षति नहीं हो रही है।
 - घरेलू उद्योग यह बताने में असफल रहा है कि संबद्ध देशों के बाजार हिस्से जांच की अवधि के दौरान वास्तव में गिरावट आयी है।
 - घरेलू उद्योग की उत्पादकता निरंतर ही अपर्याप्त बनी रही। याचिकाकर्ता एक इतने लंबे समय तक कम निष्पादक रहा की इसे एसआईसीए के अंतर्गत बीआईएफआर ने रुग्ण कंपनी के रूप में वर्गीकृत कर दिया।
 - घरेलू उद्योग का क्षति का दावा बिक्री में कमी तथा उसके परिणामस्वरूप उत्पादन में गिरावट के कारण हुआ है।

- xi. शुल्क की समाप्ति और अग्रिम लाइसेंस आयात लाइसेंसों के बीच कोई संबंध स्थापित नहीं हुआ है क्योंकि अग्रिम आयात लाइसेंसों पर शुल्क कभी लगाया ही नहीं गया।
- xii. सभी पाटनरोधी जांच में यह प्रदर्शित होना चाहिए कि संबद्ध देशों से आयात पाटित कीमतों पर प्रवेश कर रहे हैं और वे घरेलू उद्योग की मात्रा और कीमतों पर विपरीत प्रभाव डाल रहे हैं।
- xiii. घरेलू उद्योग काफी समृद्ध रहा है और विगत कई वर्षों से यह भारी लाभ अर्जन कर रहा है। जांच की अवधि के दौरान घरेलू उद्योग ने सर्वोच्च लाभ अर्जन किया।
- xiv. उत्पादन और बिक्री में गिरावट का दावा भ्रामक है। अन्य भारतीय उत्पादकों की बिक्री में भारी वृद्धि हुई है। घरेलू उद्योग के उत्पादन और बिक्री में गिरावट अन्य कारणों से भी आ सकती है।
- xv. घरेलू उद्योग ने मध्यावधि समीक्षा जांच में 62 प्रतिशत आरओसीई दर्ज की है निर्दिष्ट प्राधिकारी ने किसी भी क्षति का निष्कर्ष नहीं निकाला और इस समय 75 प्रतिशत आरओसीई है, क्षति का कोई दावा नहीं हो सकता है।
- xvi. निर्दिष्ट प्राधिकारी को घरेलू उद्योग द्वारा अर्जित आरओसीई अपनाना चाहिए जब पाटन का आरोप नहीं था क्योंकि लाभदायक लाभमार्जन था ना की 22 प्रतिशत।
- xvii. स्टॉक कम है और बिक्री एवं उत्पादन अनुपात में जांच की अवधि के दौरान और जांच की अवधि के पश्चात की अवधि के दौरान इसमें वृद्धि हुई है। इसका आशय यह है कि घरेलू उद्योग के ना केवल बिक्री मात्रा में बल्कि उत्पादन में भी गिरावट आयी है।
- xviii. कीमत मात्रा प्रभाव स्थापित नहीं किया गया है।
- xix. याचिकाकर्ता द्वारा क्षति का दावा बिक्री और उसके परिणामस्वरूप बिक्री में गिरावट के कारण किया गया है।
- xx. शुल्क की समाप्ति और अग्रिम लाइसेंस शुल्क के बीच कोई संबंध स्थापित नहीं होता है क्योंकि अग्रिम लाइसेंस आयातों पर शुल्क कभी लागू ही नहीं किया गया।
- xxi. ताईवान से आयात उसी स्तर पर बने हुए हैं जिस स्तर पर वे शुल्क अधिग्रहण किये जाने से पहले थे।

प्राधिकारी द्वारा जांच

48. अनुबंध-2 के साथ पठित पाटन रोधी नियमावली के नियम 11 में प्रावधान है कि क्षति निर्धारण में उन कारकों की जांच भी की जाएगी जो घरेलू उद्योग को क्षति पहुंचाने का संकेत देते हो, '.... पाटित आयातों की मात्रा, घरेलू बाजार में समान वस्तु की कीमतों पर उनके प्रभाव तथा इन आयातों का इन वस्तुओं के घरेलू उत्पादकों पर परिणामी प्रभाव सहित सभी संगत कारकों पर ध्यान देते हुए....'। कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव पर विचार करते समय यह जांच करना आवश्यक समझा जाता है कि क्या भारत में समान वस्तु की कीमतों की तुलना में पाटित आयातों से भारी कीमत अधोरदन हुआ है अथवा इन आयातों का प्रभाव अन्यथा कीमतों को भारी मात्रा में कम देता अथवा कीमतों को बढ़ने से रोकता जो अन्यथा भारी मात्रा में हुई होती।
49. नियमावली के नियम 23 में प्रावधान है कि समीक्षा के मामले में नियम 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 17, 18, 19 और 20 नियम के प्रावधान यथावश्यक परिवर्तनों सहित लागू होंगे। यदि घरेलू उद्योग का निष्पादन यह दर्शाता है कि घरेलू उद्योग को चालू अवधि के दौरान कोई क्षति नहीं हुई है तो प्राधिकारी यह निर्धारित करेंगे कि क्या वर्तमान शुल्क को समाप्त कर देने से घरेलू उद्योग को क्षति बने रहने अथवा उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना है।
50. पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-2 में (क) घरेलू बाजार में समान वस्तु के लिए पाटित आयातों की मात्रा और कीमतों पर पाटित आयातों का प्रभाव; तथा (ख) इन वस्तुओं के घरेलू उत्पादकों पर इन आयातों के परिणामी प्रभाव की उद्देश्यपरक जांच किये जाने का प्रावधान है। पाटित आयातों के मात्रा प्रभाव के संबंध में प्राधिकारी को यह जांच करना अपेक्षित होता है कि क्या पाटित आयातों में भारी मात्रा में वृद्धि समग्र रूप से अथवा उत्पादन और भारत में खपत के संगत रूप से हुई है। पाटित आयातों के कीमत प्रभाव के संबंध में प्राधिकारी को यह जांच करना अपेक्षित होता है कि क्या भारत में समान उत्पाद की कीमतों की तुलना में पाटित आयातों द्वारा भारी कीमत अधोरदन हुआ है अथवा क्या इन आयातों का प्रभाव कीमतों का भारी मात्रा में निग्रह करने का रहा है अथवा यह कीमतों में वृद्धि होने से रोक रहे हैं जो अन्यथा भारी मात्रा में घटित हुई होती।

51. घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों के प्रभाव के संबंध में पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-2 के पैरा (iv) में उल्लेख है कि:-

“संबंधित घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों के प्रभाव की जांच में उन सभी संगत आर्थिक कारकों और देशनाकों का मूल्यांकन शामिल होता है जिनका उद्योग की स्थिति पर प्रभाव पड़ता है। इसमें शामिल है बिक्री, लाभ, आउट-पुट, बाजार हिस्सा, उत्पादकता, निवेश पर अर्जन और क्षमता उपयोग में प्राकृतिक एवं संभावित गिरावट; घरेलू कीमतों को प्रभावित करने वाले कारक, पाटन के मार्जिन की मात्रा, नकदी प्रवाह, माल-सूची, रोजगार, वेतन, विकास, पूंजीगत निवेश में वृद्धि करने की क्षमता पर वास्तविक एवं संभावित नकारात्मक प्रभाव।

52. भारत में घरेलू उद्योग पर आयातों के प्रभाव की जांच करने के लिए प्राधिकारी ने प्रमुख नियम के अनुबंध-2(iv) के अनुसार उन सभी देशनाकों पर विचार किया जिनका उद्योग की स्थिति पर प्रभाव पड़ता है जैसे उत्पादन, क्षमता उपयोग, बिक्री प्रमात्रा, स्टॉक, लाभप्रदायकता, निवल बिक्री प्रापण, पाटन की मात्रा एवं मार्जिन।

मांग का आकलन एवं बाजार हिस्सा

53. मांग एवं बाजार हिस्से का निर्धारण करने के प्रयोजनार्थ प्राधिकारी ने भारतीय उत्पादकों की बिक्री तथा विभिन्न स्रोतों से आयातों पर विचार किया है। भारत में उत्पाद की मांग की संगणना भारतीय उत्पादकों की घरेलू बिक्री और विभिन्न स्रोतों से आयात आयातों के योग से की गई है। इस तरह आकलित मांग को निम्नलिखित तालिका में दर्शाया गया है:-

मांग में बाजार हिस्सा	मापन की इकाई	2008-09	2009-10	2010-11	जांच की अवधि	जांच की अवधि के पश्चात	वार्षिकीकृत
घरेलू उद्योग की बिक्रियां	मी.टन	26,007	22,658	27,419	20,817	8,864	17,729
अन्य भारतीय उत्पादकों की बिक्रियां	मी.टन	14,542	18,644	21,023	21,338	10,932	21,864
कुल आयात	मी.टन	68,576	80,601	78,857	96,059	51,631	1,03,263
संबद्ध देशों से आयात	मी.टन	30,219	34,896	25,398	22,349	16,066	32,132
ई यू	मी.टन	6,366	10,953	2,064	3,249	1,646	3,292
सिंगापुर	मी.टन	9,645	12,716	17,728	16,147	11,543	23,086
दक्षिण अफ्रीका	मी.टन	10,399	9,388	2,505	2,183	1,366	2,732
यूएसए	मी.टन	3,809	1,839	3,101	770	1,511	3,022
अन्य देशों से आयात जिन पर पाटनरोधी शुल्क लगा है	मी.टन	26,460	32,756	28,285	33,243	13,571	27,141
अन्य देश-आयात	मी.टन	11,896	12,949	25,174	40,467	21,995	43,990

मांग में बाजार हिस्सा	मापन की इकाई	2008-09	2009-10	2010-11	जांच की अवधि	जांच की अवधि के पश्चात	वार्षिकीकृत
कुल मांग	मी.टन	1,09,125	1,21,903	1,27,299	1,38,213	71,428	1,42,856
घरेलू उद्योग	%	24%	19%	22%	15%	12%	12%
अन्य घरेलू उत्पादक	%	13%	15%	17%	15%	15%	15%
संबद्ध देश	%	28%	29%	20%	16%	22%	22%
ईयू	%	6%	9%	2%	2%	2%	2%
सिंगापुर	%	9%	10%	14%	12%	16%	16%
दक्षिण अफ्रीका	%	10%	8%	2%	2%	2%	2%
यूएसए	%	3%	2%	2%	1%	2%	2%
अन्य देशों से आयात जिन पर पाटनरोधी शुल्क लगा है	%	24%	27%	22%	24%	19%	19%
अन्य देश	%	11%	11%	20%	29%	31%	31%
		100%	100%	100%	100%	100%	100%

54. यह नोट किया जाता है कि संबद्ध वस्तु की स्पष्ट खपत में क्षति अवधि के दौरान लगातार वृद्धि हुई। यद्यपि क्षति अवधि के दौरान ईयू के अलावा संबद्ध आयातों के बाजार हिस्से में गिरावट आयी है। इस बात पर विचार करते हुए इन आयातों पर पाटनरोधी शुल्क प्रभावी था फिर भी यह काफी अधिक रहा।

(क) पाटित आयातों का मात्रा प्रभाव

मात्रा प्रभाव एवं बाजार हिस्सा

55. पाटित आयातों की मात्रा के संबंध में प्राधिकारी को यह विचार करना होता है कि क्या पाटित आयातों में भारी वृद्धि समग्र या भारत में उत्पादन अथवा खपत के संबंध में हुई है। क्षतिविक्षेपण के प्रयोजनार्थ प्राधिकारी को सभी देशों के लिए डीजीसीआईएंडएस आंकड़ों पर भरोसा करना पड़ता है। सम्बद्ध देशों से संबद्ध वस्तु के आयातों की मात्रा का निम्नवत विक्षेपण किया गया है:-

मांग में बाजार हिस्सा	मापन की इकाई	2008-09	2009-10	2010-11	जांच की अवधि	जांच की अवधि के पश्चात	वार्षिकीकृत
संबद्ध देश	मी.टन	30,219	34,896	25,398	22,349	16,066	32,132
ईयू	मी.टन	6,366	10,953	2,064	3,249	1,646	3,292
सिंगापुर	मी.टन	9,645	12,716	17,728	16,147	11,543	23,086
दक्षिण अफ्रीका	मी.टन	10,399	9,388	2,505	2,183	1,366	2,732
यूएसए	मी.टन	3,809	1,839	3,101	770	1,511	3,022
अन्य देश जिन पर पाटनरोधी शुल्क लगा है	मी.टन	26,460	32,756	28,285	33,243	13,571	27,141
अन्य देश	मी.टन	11,896	12,949	25,174	40,467	21,995	43,990
कुल आयात	मी.टन	68,576	80,601	78,857	96,059	51,631	1,03,263
आयातों में बाजार हिस्सा							
संबद्ध देश	%	31%	30%	24%	19%	24%	24%
ईयू	%	6%	9%	2%	3%	2%	2%
सिंगापुर	%	10%	11%	17%	14%	17%	17%
दक्षिण अफ्रीका	%	11%	8%	2%	2%	2%	2%
यूएसए	%	4%	2%	3%	1%	2%	2%
अन्य देश जिन पर पाटनरोधी शुल्क लगा है	%	27%	28%	27%	28%	20%	20%
अन्य देश	%	12%	11%	24%	34%	32%	32%
कुल आयात	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

56. यह नोट किया जाता है कि संबद्ध देशों से आयातों में वर्ष 2009-10 में वृद्धि हुई और फिर उनमें गिरावट आयी। तथापि ईयू को छोड़कर अन्य सभी देशों से आयातों की मात्रा इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए की पाटनरोधी शुल्क प्रभावी है, बहुत रही है जांच की अवधि में संबद्ध देशों से आयात, ई यू को छोड़कर भारत में कुल आयातों का 21 प्रतिशत रहा है और इसे बहुत अधिक माना गया है। सम्बद्ध वस्तु के उत्पादन और खपत के संबंध में संबद्ध देशों से आयात, ई यू को छोड़कर उक्त अवधि के दौरान बहुत अधिक रहे हैं। सभी संबद्ध देशों से जांच की अवधि में भारत में कुल आयात का 24 प्रतिशत आयात हुआ और इसे बहुत अधिक माना जाता है।

कीमत प्रभाव

57. पाटित आयातों के कीमत प्रभाव के संबंध में निर्दिष्ट प्राधिकारी को यह विचार करना होता है कि क्या भारत में समान उत्पाद की कीमतों की तुलना में पाटित आयातों द्वारा भारी कीमत अधोरदन किया गया है अथवा इन आयातों का प्रभाव अन्यथा कीमतों को भारी मात्रा में निग्रहित करने अथवा कीमतों को बढ़ने से वंचित करना है जो अन्यथा भारी मात्रा में घटित हुआ होता। पाटित आयातों का घरेलू उद्योग की कीमतों के संबंध में प्रभाव की जांच कीमत अधोरदन, कीमत निग्रहन और कीमत अवमंदन, यदि कोई, के संदर्भ में की गई है।

कीमत अधोरदन और कीमत अधोबिक्रयण

58. यह निर्धारित करने के लिए क्या। आयात बाजार में घरेलू उद्योग का कीमत अधोरदन कर रहे हैं, प्राधिकारी को आयातों की उतराई कीमत की तुलना घरेलू उद्योग के निवल बिक्री प्रापण से करनी होती है निम्नलिखित तालिका घरेलू उद्योग निवल बिक्री प्रापण, पाटित आयातों का उतराई मूल्य और कीमत अधोरदन दर्शाती है:-

यूएसए

मांग में बाजार हिस्सा	मापन की इकाई	2008-09	2009-10	2010-11	जांच की अवधि	जांच की अवधि के पश्चात	वार्षिकीकृत
निवल बिक्री प्रापण	रुपये/मी.टन	***	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति		100	97	100	124	141	141
पाटनरोधी शुल्क के बिना उतराई मूल्य	रुपये/मी.टन	48,643	34,518	49,596	69,179	51,011	51,011
प्रवृत्ति		100	71	102	142	105	105
पाटनरोधी शुल्क सहित उतराई मूल्य	रुपये/मी.टन	58,433	44,843	59,466	79,192	62,239	62,239
प्रवृत्ति		100	77	102	136	107	107
पाटनरोधी शुल्क के बिना कीमत अधोरदन	रुपये/मी.टन	***	***	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	100	1,572	6	-897	2,200	2,200
	%	***	***	***	***	***	***

मांग में बाजार हिस्सा	मापन की इकाई	2008-09	2009-10	2010-11	जांच की अवधि	जांच की अवधि के पश्चात	वार्षिकीकृत
	रैंज %	0-10	25-35	0-10	(10-20)	20-30	20-30
पाटनरोधी शुल्क सहित कीमत अधोरदन	रुपये/मी.टन	***	***	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	-100	33	-110	-197	82	82
	%	***	***	***	***	***	***
	रैंज	(10-20)	0-10	(15-25)	(25-35)	10-20	10-20

सिंगापुर

मांग में बाजार हिस्सा	मापन की इकाई	2008-09	2009-10	2010-11	जांच की अवधि	जांच की अवधि के पश्चात	वार्षिकीकृत
निवल बिक्री प्रापण	रुपये/मी.टन	***	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति		100	97	100	124	141	141
पाटन रोधी शुल्क के बिना उतराई मूल्य	रुपये/मी.टन	44,210	43,703	42,400	54,870	60,323	60,323
प्रवृत्ति		100	99	96	124	136	136
पाटनरोधी शुल्क सहित उतराई मूल्य	रुपये/मी.टन	55,204	55,298	53,485	66,115	72,933	72,933
प्रवृत्ति		100	100	97	120	132	132
पाटनरोधी शुल्क के बिना कीमत अधोरदन	रुपये/मी.टन	***	***	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	100	78	137	127	176	176
	%	11%	9%	15%	11%	13%	13%
	रैंज %	5-15	0-10	10-20	5-15	5-15	5-15

मांग में बाजार हिस्सा	मापन की इकाई	2008-09	2009-10	2010-11	जांच की अवधि	जांच की अवधि के पश्चात	वार्षिकीकृत
पाटनरोधी शुल्क सहित कीमत अधोरदन	रुपये/मी.टन	***	***	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	-100	-131	-67	-79	-58	-58
	%	-12%	-16%	-8%	-7%	-5%	-5%
	रैंज	(10-20)	(10-20)	(0-10)	(0-10)	(0-10)	(0-10)

दक्षिण अफ्रीका

मांग में बाजार हिस्सा	मापन की इकाई	2008-09	2009-10	2010-11	जांच की अवधि	जांच की अवधि के पश्चात	वार्षिकीकृत
निचल बिक्री प्रापण	रुपये/मी.टन	***	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति		100	97	100	124	141	141
पाटन रोधी शुल्क के बिना उतराई मूल्य	रुपये/मी.टन	44,619	38,251	47,344	57,154	54,083	54,083
प्रवृत्ति		100	86	106	128	121	121
पाटनरोधी शुल्क सहित उतराई मूल्य	रुपये/मी.टन	52,846	46,928	55,639	65,569	63,520	63,520
प्रवृत्ति		100	89	105	124	120	120
पाटनरोधी शुल्क के बिना	रुपये/मी.टन	***	***	***	***	***	***

कीमत अधोरदन							
	प्रवृत्ति	100	196	47	91	319	319
	%	***	***	***	***	***	***
	रेंज %	5-15	15-25	0-10	5-15	15-25	15-25
पाटनरोधी शुल्क सहित कीमत अधोरदन	रुपये/मी.टन	***	***	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	-100	26	-179	-118	181	181
	%	***	***	***	***	***	***
	रेंज	(0-10)	0-10	(10-20)	(0-10)	5-15	5-15

59. प्राधिकारी नोट करते हैं कि सिंगापुर, दक्षिण अफ्रीका और यूएसए से पाटनरोधी शुल्क के बिना आयातों का उतराई मूल्य संपूर्ण क्षति अवधि और जांच की अवधि के पश्चात की अवधि के दौरान (जांच की अवधि के दौरान यूएसए से आयातों के अपवाद सहित) घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत से कम रहा है। इस प्रकार आयात घरेलू उद्योग की कीमतों का भारी मात्रा में कीमत अधोरदन कर रहे हैं।

कीमत अधोबिक्रयण

60. निम्नलिखित तालिका घरेलू उद्योग की गैर क्षतिकारी कीमत, पाटित आयातों की उतराई कीमत और कीमत अधोबिक्रयण को दर्शाती है। माह दर माह आधार पर भारी लागत और कीमत अंतर को ध्यान में रखते हुए प्राधिकारी ने माह दर माह आधार पर तुलना की है।

कीमत अधोबिक्रयण

सिंगापुर

विवरण	मापन की इकाई	जांच की अवधि	जांच की अवधि के पश्चात
घरेलू उद्योग की गैर क्षतिकारी कीमत	रुपया/मी.टन	***	***
प्रवृत्ति		100	111
पाटनरोधी शुल्क के बिना उतराई मूल्य	रुपया/मी.टन	***	***
प्रवृत्ति		100	110
पाटनरोधी शुल्क के बिना कीमत अधोबिक्रयण	रुपया/मी.टन	***	***
	%	***	***

विवरण	मापन की इकाई	जांच की अवधि	जांच की अवधि के पश्चात
	रैंज %	(0-10)	(0-10)

दक्षिण अफ्रीका

विवरण	मापन की इकाई	जांच की अवधि	जांच की अवधि के पश्चात
घरेलू उद्योग की गैर क्षतिकारी कीमत	रुपया/मी.टन	***	***
प्रवृत्ति		100	111
पाटनरोधी शुल्क के बिना उतराई मूल्य	रुपया/मी.टन	***	***
प्रवृत्ति		100	95
पाटनरोधी शुल्क के बिना कीमत अधोबिक्रयण	रुपया/मी.टन	***	***
	%	***	***
	रैंज %	(5-15)	0-10

यूएसए

विवरण	मापन की इकाई	जांच की अवधि	जांच की अवधि के पश्चात
घरेलू उद्योग की गैर क्षतिकारी कीमत	रुपया/मी.टन	***	***
प्रवृत्ति		100	110.98
पाटनरोधी शुल्क के बिना उतराई मूल्य	रुपया/मी.टन	***	***
प्रवृत्ति		100	73.74
पाटनरोधी शुल्क के बिना कीमत अधोबिक्रयण	रुपया/मी.टन	***	***
	%	***	***
	रैंज %	(30-35)	(10-15)

61. यह नोट किया जाता है कि जांच की अवधि के दौरान सिंगापुर, दक्षिण अफ्रीका और यूएसए के संबंध में कीमत अधोबिक्रयण नकारात्मक है जबकि जांच की अवधि के पश्चात की अवधि के दौरान वह सिंगापुर के संबंध में नकारात्मक और दक्षिण अफ्रीका तथा संयुक्त राज्य अमेरिका के संबंध में सकारात्मक है।

कीमत निग्रहण एवं अवमंदन

62. घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों का कीमत निग्रहण और अवमंदन प्रभाव की जांच करने के लिए घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत की प्रवृत्ति की तुलना उत्पादन लागत से की गई। निम्नलिखित आंकड़े दर्शाते हैं कि घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत संपूर्ण क्षति अवधि के दौरान बिक्री लागत से अधिक रही है। वर्ष 2009-10 में बिक्री कीमत में गिरावट उत्पादन लागत में गिरावट की तुलना में कम रही। वर्ष 2010-11 में उत्पादन लागत में कमी आयी और बिक्री कीमत में वृद्धि हुई। तथापि जांच की अवधि में, उत्पादन लागत और बिक्री कीमत दोनों में वृद्धि हुई फिर भी उत्पादन लागत में बढ़ोतरी बिक्री कीमत में हुई बढ़ोतरी की तुलना में बहुत अधिक थी।

विवरण	मापन की इकाई	2008-09	2009-10	2010-11	जांच की अवधि	जांच की अवधि के पश्चात	वार्षिकीकृत
उत्पादन लागत	रुपया/मी.टन	***	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	अनुक्रमणिका	100	93	79	113	148	148
निवल बिक्री कीमत	रुपया/मी.टन	***	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	अनुक्रमणिका	100	97	100	124	141	141
लाभ/हानि	रुपया/मी.टन	***	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	अनुक्रमणिका	100	303	1,402	827	-286	-286
उतराई कीमत-सिंगापुर	रुपया/मी.टन	44,210	43,703	42,400	54,870	60,323	60,323
प्रवृत्ति	अनुक्रमणिका	100	99	96	124	136	136
उतराई कीमत-दक्षिण अफ्रीका	रुपया/मी.टन	44,619	38,251	47,344	57,154	54,083	54,083
प्रवृत्ति	अनुक्रमणिका	100	86	106	128	121	121
उतराई कीमत-यूएसए	रुपया/मी.टन	48,643	34,518	49,596	69,179	51,011	51,011
प्रवृत्ति	अनुक्रमणिका	100	71	102	142	105	105

ख. घरेलू उद्योग को प्रभावित करने वाले आर्थिक पैरामीटर

63. पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-2 के अनुसार प्राधिकारी को संबंधित घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों के प्रभाव की जांच किया जाना अपेक्षित होता है जिसमें सभी संगत आर्थिक कारकों और देशनाकों जिनका उद्योग की स्थिति पर प्रभाव पड़ता है का मूल्यांकन करना पड़ता है। इनमें शामिल है बिक्री, लाभ, आउटपुट, बाजार हिस्सा, उत्पादकता, निवेश पर अर्जन अथवा क्षमता उपयोग में प्राकृतिक और संभावित गिरावट; घरेलू उद्योग की कीमतों को प्रभावित करने वाले कारक, पाटन के मार्जिन की मात्रा नकदी प्रवाह पर वास्तविक और संभावित ऋणात्मक प्रभाव, मालसूची, रोजगार, वेतन, विकास, पूंजी निवेश उगाहने की क्षमता। तदनुसार घरेलू उद्योग के विभिन्न आर्थिक पैरामीटरों का निम्नवत विश्लेषण किया गया है।

बिक्री, क्षमता, उत्पादन और क्षमता उपयोग

64. बिक्री, क्षमता, उत्पादन और क्षमता उपयोग के संबंध में घरेलू उद्योग का निष्पादन निम्नलिखित रहा है:

विवरण	इकाई	2008-09	2009-10	2010-11	जांच की अवधि	जांच की अवधि के पश्चात	वार्षिकीकृत
संस्थापित क्षमता	मी.टन	24,640	24,640	24,640	24,640	12,320	24,640
प्रवृत्ति		100	100	100	100	100	100
उत्पादन	मी.टन	26,544	23,084	26,959	20,694	8,530	17,060
प्रवृत्ति		100	87	102	78	64	64
क्षमता उपयोग	%	108%	94%	109%	84%	69%	69%
प्रवृत्ति		100.00	86.97	101.56	77.96	64.27	64.27
घरेलू बिक्रियां	मी.टन	26,007	22,658	27,419	20,817	8,864	17,729
अनुक्रमित		100	87	105	80	68	68

65. यह नोट किया जाता है कि उत्पादन, बिक्री और क्षमता उपयोग में वर्ष 2009-10 में भारी गिरावट आयी और उसके पश्चात वर्ष 2010-11 में इसमें भारी वृद्धि हुई। तथापि उत्पादन बिक्री और क्षमता उपयोग में जांच की अवधि में एक बार फिर भारी गिरावट आयी।

मांग में बाजार हिस्सा

66. घरेलू बिक्रियां तथा घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से पर पाटित आयातों का प्रभाव निम्नलिखित है

मांग में बाजार हिस्सा	इकाई	2008-09	2009-10	2010-11	जांच की अवधि	जांच की अवधि के पश्चात	वार्षिकीकृत
घरेलू उद्योग	%	24%	19%	22%	15%	12%	12%
अन्य घरेलू उत्पादन	%	13%	15%	17%	15%	15%	15%

67. यह नोट किया जाता है कि घरेलू उद्योग तथा अन्य भारतीय उत्पादकों के बाजार हिस्से में क्षति अवधि के दौरान गिरावट आयी है।

लाभ, निवेश पर अर्जन और नकदी प्रवाह

68. घरेलू उद्योग की बिक्री लागत, बिक्री कीमत तथा लाभ हानि का विश्लेषण निम्नवत किया गया है-

मांग में बाजार हिस्सा	इकाई	2008-09	2009-10	2010-11	जांच की अवधि	जांच की अवधि के पश्चात
उत्पादन लागत	रुपया/मी.टन	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	अनुक्रमणिका	100	93	79	113	148
निवल बिक्री कीमत	रुपया/मी.टन	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	अनुक्रमणिका	100	97	100	124	141
लाभ/हानि	रुपया/मी.टन	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	अनुक्रमणिका	100	303	1,402	827	-286
लाभ/हानि	लाख रुपये	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	अनुक्रमित	100	264	1,478	662	-97
ब्याज पूर्व लाभ	लाख रुपये	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	अनुक्रमित	100	200	922	469	-11
नकद लाभ	लाख रुपये	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	अनुक्रमित	100	217	1,100	509	-55
लगाई गई पूंजी पर अर्जन	%	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	अनुक्रमित	100	149	1,126	483	-19

69. यह देखा जाता है कि:

क. घरेलू उद्योग की बिक्री लागत और बिक्री कीमत में क्षति अवधि के दौरान वृद्धि हुई है।

ख. वर्ष 2010-11 तक लाभ, नकद लाभ और निवेश पर अर्जन में वृद्धि हुई है तथा उसके पश्चात जांच की अवधि में इसमें गिरावट आयी।

माल सूची

70. सम्बद्ध वस्तु की माल सूची से संबंधित आंकड़े निम्नलिखित तालिका में दर्शाये गये हैं:

मांग में बाजार हिस्सा	इकाई	2008-09	2009-10	2010-11	जांच की अवधि	जांच की अवधि के पश्चात
औसत स्टॉक	मी.टन	***	***	***	***	***
औसत स्टॉक	अनुक्रमणिका	100	208	205	164	218

71. यह नोट किया जाता है कि घरेलू उद्योग की माल सूची में घरेलू बाजार में भारी मांग होने के बावजूद क्षति अवधि में बढ़ोतरी हुई है। मालसूची में यह बढ़ोतरी इस अवधि में न्यून उत्पादन लागत के बावजूद हुई है।

रोजगार और वेतन

72. रोजगार और वेतन के संबंध में स्थिति निम्नलिखित है:

विवरण	इकाई	2008-09	2009-10	2010-11	जांच की अवधि	जांच की अवधि के पश्चात
रोजगार	सं.	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	अनुक्रमित	100	96.8	99.2	99.2	99.2
वेतन	लाख रुपये	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	अनुक्रमित	100	100	232.34	284.33	276.08
उत्पादकता प्रतिकर्मचारी	मी.टन	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	अनुक्रमित	100	89.84	102.38	78.59	32.39
उत्पादकता प्रतिदिन	मी.टन	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	अनुक्रमित	100	86.97	101.56	77.96	32.13

73. घरेलू उद्योग द्वारा यह तर्क दिया गया है कि इस तथ्य पर ध्यान देते हुए की घरेलू उद्योग एक बहु उत्पाद कंपनी है इसलिए देश में श्रमिक कानून और पाटनरोधी शुल्क लागू होने के कारण यह पैरामीटर पाटन के संभावित विपरित प्रभावों को प्रदर्शित नहीं करते हैं। यह नोट किया जाता है कि कर्मचारियों की संख्या वही बनी रही और संदत्त वेतन में वृद्धि हुई।

उत्पादकता

74. उत्पादकता से संबंधित आंकड़े निम्नलिखित हैं:-

विवरण	इकाई	2008-09	2009-10	2010-11	जांच की अवधि	जांच की अवधि के पश्चात
रोजगार	सं.	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	अनुक्रमित	100	96.80	99.20	99.20	99.20
वेतन	लाख रुपये	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	अनुक्रमित	100	100	232.34	284.33	276.08
उत्पादकता प्रतिकर्मचारी	मी.टन	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	अनुक्रमित	100	89.84	102.38	78.59	32.39
उत्पादकता प्रतिदिन	मी.टन	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	अनुक्रमित	100	86.97	101.56	77.96	32.13

75. यह नोट किया जाता है कि घरेलू उद्योग की उत्पादकता में क्षति अवधि के दौरान गिरावट आयी है पाटन की मात्रा

76. ई यू को छोड़कर सभी देशों के लिए निर्धारित पाटन मार्जिन न्यूनतम और बहुत अधिक है।
वृद्धि

वर्ष दर वर्ष वृद्धि		2009-10	2010-11	जांच की अवधि	जांच की अवधि के पश्चात
उत्पादन	%	-13	17	-23	-59
बिक्री	%	-13	21	-24	-57
लाभ	%	164	460	-55	-115
बाजार हिस्सा	%	49	656	-57	-104
आरओआई	%	-22	16	-30	-18

77. यह नोट किया जाता है कि प्रमुख पैरामीटरों में वृद्धि जांच की अवधि और जांच की अवधि के पश्चात नकारात्मक प्रवृत्ति प्रदर्शित करती है।

क्षति मार्जिन की मात्रा

78. घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तु की प्राधिकारी द्वारा यथानिर्धारित गैर क्षतिकारी कीमत की तुलना जांच की अवधि के दौरान क्षति मार्जिन का निर्धारण करने के लिए निर्यातों के उतराई मूल्य से की गई। सभी देशों के लिए, दक्षिण अफ्रीका और सिंगापुर के अवशिष्ट उत्पादकों और निर्यातकों के सिवाए, क्षति मार्जिन नकारात्मक रहा है। क्षति मार्जिन की गणना निम्नलिखित की गई है:

निर्यात का देश	उत्पादक	निर्यातक	क्षति मार्जिन अमरीकी डालर/मी.टन	क्षति मार्जिन (%)	भारित औसत क्षति मार्जिन अमरीकी डालर/मी.टन	भारित औसत क्षति मार्जिन (%)	क्षति मार्जिन प्रतिशत रेंज
सिंगापुर	मैसर्स मित्सुई फिनोल्स सिंगापुर पीटीई लिमिटेड	मैसर्स मित्सुई एंड कंपनी (एशिया प्रशांत) पीटीई लिमिटेड	***	***			(0-5)
सिंगापुर	मैसर्स मित्सुई फिनोल्स सिंगापुर पीटीई लिमिटेड	मैसर्स मित्सुई एंड कंपनी (एशिया प्रशांत) पीटीई लिमिटेड, मैसर्स सुमिटोमो कारपोरेशन एशिया पीटीई लिमिटेड, मैसर्स पेट्रोकेम मध्यपूर्व एफजेडई, यूएई	***	***	***	***	
सिंगापुर	मैसर्स मित्सुई फिनोल्स सिंगापुर पीटीई लिमिटेड	मैसर्स मित्सुई एंड कंपनी (एशिया प्रशांत) पीटीई लिमिटेड और मैसर्स हारेश पेट्रोकेम सिंगापुर पीटीई लिमिटेड	***	***			

निर्यात का देश	उत्पादक	निर्यातक	क्षति मार्जिन अमरीकी डालर/मी.टन	क्षति मार्जिन (%)	भारित औसत क्षति मार्जिन अमरीकी डालर/मी.टन	भारित औसत क्षति मार्जिन (%)	क्षति मार्जिन प्रतिशत रेंज
सिंगापुर	सिंगापुर के अन्य सभी आयातक/निर्यातक		***	***			15-20
दक्षिण अफ्रीका	मैसर्स सासोल साल्वेंट	मैसर्स सासोल मध्यपूर्व एफजेड कंपनी, यूएई	***	***			(10-15)
दक्षिण अफ्रीका	दक्षिण अफ्रीका के अन्य सभी उत्पादक/निर्यातक		***	***			0-5
यूरोपियन यूनियन	ईयू से सभी उत्पादक/निर्यातक		***	***			(10-20)
यूएसए	यूएसए से सभी उत्पादक/निर्यातक		***	***			(25-35)

क्षति संबंधी निष्कर्ष

79. उपर्युक्त के संबंध में यह नोट किया जाता है कि:-

- क्षति अवधि में ईयू को छोड़कर संबद्ध देशों से आयातों में गिरावट आयी है। तथापि आयातों की संपूर्ण मात्रा काफी अधिक है। इसके अतिरिक्त कुल मांग और उत्पादन में संबद्ध देशों से आयातों का बाजार हिस्सा, ईयू को छोड़कर, भी बहुत अधिक है।
- अन्य देशों से आयात इस उत्पाद का पाटन कर रहे हैं अथवा जांच की अवधि के दौरान इस उत्पाद का पाटन बहुत अधिक रहा है।
- संपूर्ण क्षति अवधि के दौरान कीमत अधोरदन बहुत अधिक है।
- लाभ, निवेश पर अर्जन, नकदी प्रवाह, मालसूची आदि के संबंध में घरेलू उद्योग के निष्पादन में वर्ष 2010-11 तक सुधार आया। तथापि इसमें जांच की अवधि में गिरावट आयी है।
- उत्पादन, बिक्री, क्षमता उपयोग और बाजार हिस्से में भी वर्ष 2010-11 तक वृद्धि हुई। तथापि उसके पश्चात जांच की अवधि में इसमें भारी गिरावट आयी।

उपर्युक्त को देखते हुए प्राधिकारी यह निष्कर्ष निकालते हैं कि घरेलू उद्योग के निष्पादन में वर्ष 2010-11 तक सुधार हुआ और फिर जांच की अवधि में इसमें गिरावट आयी। आधार वर्ष की तुलना में जांच की अवधि के दौरान घरेलू उद्योग के प्रचालन निष्पादन में समग्र सुधार हुआ है।

ज. पाटन और क्षति की निरंतरता अथवा पुनरावृत्ति की संभावना

80. पाटन और क्षति की निरंतरता अथवा पुनरावृत्ति की संभावना के संबंध में घरेलू उद्योग ने निम्नलिखित प्रस्तुतिकरण किया है।
घरेलू उद्योग के विचार

- i. विचाराधीन उत्पाद का पाटन संबद्ध देशों से पाटनरोधी शुल्क अधिरोपित होने के बावजूद भी बने रहे।
- ii. संबद्ध देशों के उत्पादकों के पास भारी क्षमता है। पाटनरोधी शुल्क का प्रतिसंहरण कर लिये जाने पर संबद्ध वस्तु की संबद्ध वस्तु के आयात की मात्रा में और अधिक वृद्धि होना लाजमी है।
- iii. संबद्ध देशों से तृतीय देशों को निर्यात पाटित कीमतों पर हुए हैं। इसके अतिरिक्त उत्पादकों को अपने उत्पादन में कटौती करनी पड़ रही है।
- iv. संबद्ध देशों का भारतीय बाजार में भारी बाजार हिस्सा है।
- v. भारत तथा तृतीय देशों को जांच की अवधि के दौरान सकारात्मक पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन स्पष्ट करता है कि पाटनरोधी शुल्क समाप्त कर दिये जाने की स्थिति में पाटन और क्षति की संभावना बनी रहेगी।
- vi. यद्यपि बाजार की क्षमता देश में कुल मांग से कम है फिर भी वैश्विक बाजार मंत क्षमताएं इस उत्पाद की वैश्विक मांग की तुलना में बहुत अधिक हैं।
- vii. पाटन और क्षति के संबंध में परिस्थितियों में परिवर्तन अस्थायी प्रवृत्ति का था जैसा कि ताईवान के मामले में हुआ है। वर्तमान अवधि में ताईवान से पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन एक बार फिर बहुत अधिक हो गयी है। प्राधिकारी ने ताईवान से आयातों का सम्मान करते हुए पाटन रोधी जांच प्रारंभ की है।
- viii. अनुसंधान यह दर्शाते हैं कि फिनोल की विश्वव्यापी मांग वर्ष 2015 तक 200000 टन के बेशी का सृजन कर सकती है। एसीटोन फिनोल का संयुक्त उत्पाद है एक टन फिनोल 0.62 टन एसीटोन का उत्पादन करती है। चूंकि एसीटोन के बाजार में विकास नहीं हो रहा है इसलिए बाजार में एसीटोन की अधिकता हो रही है।
- ix. प्रकटन विवरण के संबंध में घरेलू उद्योग ने अपने अभिकथनों को दोहराया है। यह प्रस्तुत किया गया कि प्राधिकारी द्वारा ताईवान से शुल्क हटा लिये जाने का पाटन एवं क्षति की संभावना नहीं थी। तथापि आयातों की वर्तमान मात्रा और मूल्यों के कारण जांच शुरू करनी पड़ी यह भी प्रस्तुत किया गया कि वैश्विक वेशी क्षमता जो वैश्विक मांग से कम है के कारण संबद्ध देशों से पाटन की तीव्रता बढ़ जायेगी यदि पाटन रोधी शुल्क हटाया गया तो। घरेलू उद्योग के निष्पादन में पोस्टी पीओआई में गिरावट उत्पादन क्षमता उपयोग बिक्री बाजार हिस्सेग नकद लाभ, उत्पादकता और माल सूची के रूप में आयी तथा घरेलू उद्योग को क्षति उठानी पड़ी।
- x. यह कहा गया कि संबद्ध देशों द्वारा पाटित और क्षतिकारी कीमत पर निर्यात किया गया। प्राधिकारी ने तृतीय देश पाटन और क्षति विश्लेषण सीमा शुल्क आंकड़ों के आधार पर किया है। ऐसा प्रतीत होता है कि प्रत्युत्तरदाता निर्यातकों ने तृतीय देशों को लेनदेन वार आंकड़े प्रस्तुत नहीं किये गये इसलिए प्रत्युत्तरदाता निर्यातकों को सहयोगकर्ता के रूप में नहीं माना जा सकता। जांच अवधि में क्षति सीमा और पाटन सीमा सकारात्मक होने पर उससे पाटन रोधी शुल्क बढ़ायी जाने की संभावना स्वयं स्थापित हो जाती है।
- xi. यह कहा गया कि पीओआई के पश्चात निर्यात आंकड़े संभावना को व्यक्त करते हैं जिससे यह स्पष्ट होता है कि पाटनरोधी शुल्क लगाया जाना चाहिए। इस लिए पाटनरोधी शुल्क लगाया जाना अपेक्षित है। पाटन की प्रमात्रा में संशोधन किया जाना अपेक्षित नहीं है कि क्योंकि वर्तमान मामला घरेलू उद्योग को क्षति और पाटन पर आधारित है।

आयातकों, उपभोक्ताओं, निर्यातकों और अन्या हितबद्ध पक्षकारों के विचार

81. पाटन एवं क्षति की निरंतरता एवं पुनरावृत्ति की संभावना के संबंध में घरेलू उद्योग ने निम्नलिखित प्रस्तुतिकरण किये हैं:

- i. आंकड़ों की जांच दर्शाती है कि सिंगापुर के निर्यातकों की ओर से पाटन एवं क्षति की कोई संभावना मौजूद नहीं है।
- ii. याचिकाकर्ता का यह दावा कि आयात मात्रा में बढ़ोतरी हुई है, का आशय यह नहीं है कि वस्तु का पाटन किया जा रहा है।
- iii. इस दावे के लिए कि संबद्ध देशों में पाटन के लिए निस्तारणीय क्षमताएं हैं, प्रदान कराये गये आंकड़े बिना किसी विश्वसनीय स्रोत से हैं।

- iv. यदि भारतीय बाजार में प्रचलित आयात कीमत कच्चे माल की लागत से कम है तो कोई उत्पादक अपनी वस्तु इस कीमत पर बेचने को पसंद नहीं करेगा। इसलिए कीमत आकर्षकता का दावा निराधार है।
- v. केवल यह दावा करना कि घरेलू उद्योग सुभेद्य है, यह सिद्ध नहीं हो जाता है कि पाटन की संभावना है।
- vi. वर्तमान अधोरदन ना तो पाटन और न ही क्षति की संभावना व्यक्त करता है।
- vii. ताईवान से आयात भी उसी स्तर पर हुए क्योंकि वे उदग्रहित किये जा रहे शुल्क, से पहले हुए है।
- viii. प्रकटन विवरण संबंधी अपनी टिपणियाँ पर सिंगापुर और दक्षिण अफ्रीका के उत्पादकों और निर्यातकों ने उल्लेख किया है निर्दिष्ट प्राधिकारी ने यूएसए और ईयू के लिए संबंधित देशों से सीमा शुल्क आंकड़ों पर विचार किया है और सिंगापुर और दक्षिण अफ्रीका के लिए यूएन काम ट्रेड पर विचार किया है। ऐसे आंकड़े सार्वजनिक रूप से उपलब्ध होने के बावजूद निर्दिष्ट प्राधिकारी ने वह आंकड़े प्रकट नहीं किये जिन पर इस विश्लेषण पर विचार किया गया। तृतीय देश निर्यातों के लिए पाटन सीमा परिकलन हेतु निर्दिष्ट प्राधिकारी की जांच को न्यायोचित ठहराने के लए कोई पाटन सीमा विश्लेषण या तालिका नहीं दी गई है।
- ix. यह कहा गया कि वर्तमान मामले में कारणात्मक संबंध नहीं है।
- x. निर्णायक समीक्षा में संतुलित शुल्क की दर समीक्षा में परिकलित मार्जिन से अधिक नहीं होगी।
- xi. यह कहा गया कि यदि प्राधिकारी पाटन एवं क्षति की निरंतरता अथवा पुनरावृत्ति की संभावना का निष्कर्ष निकालते हैं तो उन्हें अलग-अलग उत्पादकों और निर्यातकों के लिए व्यक्तिगत पाटन सीमा के परिकलन के आधार पर सहयोगकर्ता निर्यातों के लिए लागू दर और प्रमात्रा का आकलन करना अनिवार्य है। पाटनरोधी नियमावली के नियम 23 (3) में उक्त पाटन और क्षति की सीमा का निर्धारण जांच की अवधि के लिए प्रस्तुत आंकड़ों हेतु नियम 10,11,17 और अनुबंध-1, 2, 3 के प्रावधानों के अनुसार किया जाना चाहिए।

प्राधिकारी द्वारा जांच

82. प्राधिकारी ने विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों के तर्कों का अध्यायन किया। प्राधिकारी ने क्षति अवधि के पश्चात की अवधि के लिए घरेलू उद्योग से अतिरिक्त सूचना मंगवायी। इसके अतिरिक्त प्राधिकारी ने क्षति अवधि और क्षति अवधि के पश्चात की अवधि में भारत और तृतीय देशों को संबद्ध देशों से निर्यात पर विचार किया। यह नोट किया जाता कि क्षति अवधि के बाद की अवधि के दौरान (जनवरी से जून, 2012) संबद्ध देशों से तृतीय देशों को निर्यात के संबंध में सूचना दक्षिण अफ्रीका और सिंगापुर के प्रत्युत्तर दाता निर्यातकों द्वारा माहवार आधार पर दी गई है जबकि यूएसए और ईयू की सूचना के संबंध में प्राधिकारी को जनवरी से दिसम्बर, 2012 की अवधि के लिए निर्यातक देश के सीमाशुल्क आंकड़ों पर समेकित आधार पर (ना की माहवार आधार पर) भरोसा करना पड़ा क्योंकि 6 माह के आंकड़े उपलब्ध नहीं थे। इस संबंध में प्राधिकारी ने निम्नलिखित नोट किया है:

झ. जांच की अवधि के पश्चात की अवधि के दौरान मात्रा और कीमत प्रभाव तथा घरेलू उद्योग में इसका प्रभाव

83. जांच की अवधि के पश्चात की अवधि के दौरान पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग को होने वाली क्षति की संभावना की जांच करने के लिए प्राधिकारी ने जनवरी, 2012 से जून, 2012 की अवधि के दौरान घरेलू उद्योग के निष्पादन का विश्लेषण किया है। संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तु के आयातों का मात्रा एवं कीमत प्रभाव तथा घरेलू उद्योग पर इसके प्रभाव की जांच करने के पश्चात यह नोट किया जाता है कि संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तु के आयात में जांच की अवधि की तुलना में जांच की अवधि के पश्चात भारत में संबद्ध वस्तु के उत्पादन और खपत के संबंध में समग्र रूप से भारी वृद्धि हुई है। यह नोट किया जाता है कि सभी चार संबद्ध देशों से निर्यात जांच की अवधि के दौरान और जांच की अवधि के पश्चात की अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की कीमतों का भारी अधोरदन कर रहे हैं। दक्षिण अफ्रीका से आयातों के कारण कीमत अधोरदन प्रभाव सकारात्मक है जबकि सिंगापुर से नकारात्मक है। यूएसए ईयू से भी यह आयातों के संबंध में सकारात्मक है।

		ईयू	यूएसए
--	--	-----	-------

विवरण	मापन की इकाई	जांच की अवधि	जांच की अवधि के पश्चात	जांच की अवधि	जांच की अवधि के पश्चात
निवल बिक्री प्रापण	रुपया/मी.टन	***	***	***	***
पाटनरोधी शुल्क के बिना उतराई मूल्य	रुपया/मी.टन	***	***	***	***
पाटनरोधी शुल्क के बिना कीमत अधोरदन	रुपया/मी.टन	***	***	***	***
	%	***	***	***	***
	रेंज %	0-10	20-30	10-20	20-30
घरेलू उद्योग की गैरक्षतिकारित कीमत	रुपया/मी.टन	***	***	***	***
पाटनरोधी शुल्क के बिना उतराई मूल्य	रुपया/मी.टन	***	***	***	***
पाटनरोधी शुल्क के बिना कीमत अधोबिक्रयण	रुपया/मी.टन	***	***	***	***
	%	***	***	***	***
	रेंज %	(10-20)	0-10	30-40	5-15

स्रोत (डीजीसीआईएस आंकड़े)

विवरण	मापन की इकाई	सिंगापुर		दक्षिण अफ्रीका	
		जांच की अवधि	जांच की अवधि के पश्चात की अवधि	जांच की अवधि	जांच की अवधि के पश्चात की अवधि
निवल बिक्री प्रापण	रुपया/मी.टन	***	***	***	***
प्रवृत्ति		***	***	***	***
पाटनरोधी शुल्क के बिना उतराई	रुपया/मी.टन	***	***	***	***

मूल्य	न				
प्रवृत्ति		***	***	***	***
पाटनरोधी शुल्क के बिना कीमत अधोरदन	रुपया/मी.ट न	***	***	***	***
	%	***	***	***	***
	रैंज %	5-15	15-25	5-15	5-15
घरेलू उद्योग की गैरक्षतिकारित कीमत	रुपया/मी.ट न	***	***	***	***
प्रवृत्ति		***	***	***	***
पाटनरोधी शुल्क के बिना उत्तराई मूल्य	रुपया/मी.ट न	***	***	***	***
प्रवृत्ति		***	***	***	***
पाटनरोधी शुल्क के बिना कीमत अधोबिक्रयण	रुपया/मी.ट न	***	***	***	***
	%	***	***	***	***
	रैंज %	(0-10)	(0-10)	(5-15)	0-10

स्रोत (डीजीसीआईएस आंकड़े)

84. सम्बद्ध देशों से आयात इस अवधि में भारी कीमत अवरोध उत्पन्न कर रहा है। जांच की अवधि के पश्चात की अवधि में घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों के परिणामी प्रभाव के सम्बन्ध में यह निष्कर्ष निकाला जाता है कि घरेलू उद्योग के निष्पादन में उत्पादन, क्षमता उपयोग, घरेलू बिक्रियां, बाजार हिस्सा, लाभ, नकदी प्रवाह, निवेश पर अर्जन, उत्पादकता और मालसूची के संबंध में गिरावट आई है। घरेलू उद्योग को वित्तीय घाटा होना प्रारंभ हो गया है।

क्र.सं.	विवरण	मापन की इकाई	जांच की अवधि	जांच की अवधि के पश्चात (वार्षिकीकृत)
---------	-------	--------------	--------------	--------------------------------------

1	क्षमता उपयोग	%	77.96	64.27
2	उत्पादन	मी.टन	20,694	17,060
3	बिक्री मात्रा	मी.टन	20,817	17,729
4	बिक्री की लागत	रुपये/मी.टन	***	***
5	बिक्री कीमत	रुपये/मी.टन	***	***
6	लाभ	रुपये/मी.टन	***	***
7	पीबीआईटी	लाख रुपये	***	***
8	नकद लाभ	लाख रुपये	***	***
9	निवेश पर अर्जन	%	***	***

भारत को निर्यात के लिए जांच की अवधि के पश्चात पाटन मार्जिन (स्रोत: सिंगापुर एवं दक्षिण अफ्रीका से निर्यातकों के आंकड़े और यूएसए तथा ईयू से डीजीसीआईएस आंकड़े)

85. प्राधिकारी ने सम्बद्ध देशों के लिए सामान्य मूल्य का निर्धारण, दक्षिण अफ्रीका और सिंगापुर को छोड़कर, सम्बद्ध देशों में प्रचलित कीमत के अनुरूप किया है। दक्षिण अफ्रीका और ईयू के लिए सामान्य मूल्य का निर्धारण उपलब्ध सर्वोत्तम तथ्यों के आधार पर किया गया और इनकी तुलना संभावित पाटन मार्जिन का निर्धारण करने के लिए निर्यात कीमत से की गई जिससे कि फैक्टरी बाह्य कीमत का निर्धारण हो सके। जांच की अवधि के पश्चात की अवधि में पाटन मार्जिन सिंगापुर को छोड़कर सभी कंपनियों के लिए पर्याप्ततः सकारात्मक है जैसा कि नीचे की तालिका से देखा जा सकता है। इससे पाटन शुल्क की प्रतिसंहरण कर लिए जाने की स्थिति में सम्बद्ध वस्तु की सम्बद्ध देशों से पाटन में तीव्रता हो जाएगी।

निर्यात का देश	उत्पादक/निर्यातक	संभावित पाटन मार्जिन अ.म.डा./मी.टन	संभावित पाटन मार्जिन(%)	संभावित पाटन मार्जिन रेंज (%)
सिंगापुर	मैसर्स मित्सुई फिनाइल्स सिंगापुर पीटीई लिमिटेड	***	***	(0-5)
दक्षिण अफ्रीका	मैसर्स एसएसोल साल्वेंट्स	***	***	0-5
यूरोपियन यूनियन	ईयू से सभी निर्यातक	***	***	15-20
यूएसए	यूएसए से सभी निर्यातक	***	***	50-55

भारत के निर्यात के लिए जांच की अवधि के पश्चात क्षति मार्जिन (स्रोत: सिंगापुर और दक्षिण अफ्रीका से निर्यातक के आंकड़े तथा यूएसए एवं ईयू से डीजीसीआईएस आंकड़े)

86. प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग के लिए जांच की अवधि के पश्चात की अवधि अर्थात् जनवरी 12 से जून, 2012 की अवधि के लिए गैर क्षतिकारी कीमत का निर्धारण नियम में निर्धारित सिद्धांतों के आधार पर किया है। संभावित क्षति मार्जिन का निर्धारण करने के लिए घरेलू उद्योग की गैर क्षतिकारी कीमत की तुलना सम्बद्ध देशों से सम्बद्ध आयातों के उतराई मूल्य से की गई। जांच की अवधि के पश्चात संभावित क्षति मार्जिन अत्यंत अधिक सकारात्मक है जैसाकि अधोलिखित तालिका से देखा जा सकता है। इससे यह स्पष्ट होता है कि सम्बद्ध देशों से पाटनरोधी शुल्क का प्रतिसंहरण कर लिए जाने की स्थिति में घरेलू उद्योग की क्षति और अधिक बढ़ जाने की संभावना है।

निर्यात का देश	उत्पाद	संभावित पाटन मार्जिन अ.म.डा./मी.टन	संभावित पाटन मार्जिन(%)	संभावित पाटन मार्जिन रेंज (%)
सिंगापुर	मैसर्स मित्सुई फिनाल्स सिंगापुर पीटीई लिमिटेड	***	***	(5-10)
दक्षिण अफ्रीका	मैसर्स सासोल साल्वेंट्स	***	***	(0-5)
यूरोपियन यूनियन	ईयू से सभी निर्यातक/ उत्पादक	***	***	5-10
यूएसए	यूएसए से सभी उत्पादक/निर्यातक	***	***	10-15

सम्बद्ध देशों से तृतीय देशों को निर्यात के कारण जांच की अवधि तथा जांच की अवधि के पश्चात क्षति मार्जिन और पाटन मार्जिन

87. सम्बद्ध देशों से तृतीय देशों को निर्यात के बारे में पाटन मार्जिन का भी निर्धारण किया गया। यह नोट किया जाता है कि जांच की अवधि के दौरान तृतीय देशों को निर्यात के कारण सिंगापुर और यूएसए के सभी उत्पादों और निर्यातकों के लिए सकारात्मक है, जबकि दक्षिण अफ्रीका और ईयू के बारे में यह नकारात्मक है। जांच की अवधि के लिए, सिंगापुर, ई यू और यूएसए के उत्पादकों एवं निर्यातकों के लिए जांच की अवधि के दौरान तृतीय देशों को निर्यात के कारण पाटन मार्जिन सकारात्मक है जबकि दक्षिण अफ्रीका के बारे में यह नकारात्मक है।

88. सम्बद्ध देशों से तृतीय देशों को निर्यात के बारे में क्षति मार्जिन का निर्धारण भी किया गया है। यह नोट किया गया कि सिंगापुर के उत्पादकों एवं निर्यातकों के लिए जांच की अवधि के पश्चात की अवधि में संभावित क्षति मार्जिन सकारात्मक है जबकि दक्षिण अफ्रीका, यूएसए और ईयू के बारे में यह नकारात्मक है। जांच की अवधि के लिए सिंगापुर के उत्पादकों एवं निर्यातकों से तृतीय देशों के लिए जांच की अवधि के दौरान सकारात्मक है परंतु यह दक्षिण अफ्रीका, ई यू और यूएसए के लिए नकारात्मक है।

ii. सम्बद्ध देशों से भारी पाटित एवं क्षतिकारी निर्यात

89. घरेलू उद्योग ने निर्दिष्ट प्राधिकारी के समक्ष किए गए अपने प्रस्तुतिकरण में यह दावा किया है कि सम्बद्ध देशों के निर्यातकों द्वारा सम्बद्ध वस्तु का निर्यात तृतीय देशों को पाटित कीमतों पर किया जाता है। इस सम्बन्ध में विभिन्न देशों को वैश्विक सम्बद्ध निर्यातों की प्राधिकारी द्वारा जांच की अवधि और जांच की अवधि के पश्चात की अवधि अर्थात् जनवरी, 12- दिसम्बर, 12 तक की अवधि के लिए जांच देश-दर-देश आधार पर की गई। ईयू और यूएसए के लिए निर्यात आंकड़ों पर विचार सम्बंधित देशों के सीमाशुल्क आंकड़ों के अनुसार किया गया और सिंगापुर तथा दक्षिण अफ्रीका के लिए यह सूचना यूएन कामट्रेड से ली गई थी। इन कीमतों को एफ ओ बी निर्यात कीमतें मानते हुए उचित समायोजनों (पाटन मार्जिन के लिए एफ ओ बी से फैक्ट्री बाह्य तथा क्षति मार्जिन के लिए एफ ओ बी से उतराई कीमत) को करने के पश्चात इन लेन-देनों के लिए पाटन मार्जिन एवं क्षति मार्जिन का निर्धारण किया गया। सामान्या मूल्यल से कम के पाटित आयातों और गैर क्षतिकारी कीमत से क्षतिकारी कीमत के हिस्से पर विचार किया गया।

90. यह देखा गया है कि जांच की अवधि तथा जांच की अवधि के पश्चात की अवधि के दौरान सम्बद्ध देशों से वैश्विक रूप से विभिन्न देशों को निर्यात की कुल मात्रा बहुत अधिक है। इसके अतिरिक्त, सभी सम्बद्ध देशों द्वारा व्यक्तिगत रूप से पाटित एवं क्षतिकारी कीमत पर भारी निर्यात किए गए हैं। अतः यह स्पष्ट है कि सम्बद्ध देशों के निर्यात का भारी अनुपात जो तृतीय देशों को किया गया पारित कीमतों पर और ऐसी कीमतों पर था जिससे यदि ये आयात भारत की ओर मोड़ दिए जाते तो उससे घरेलू उद्योग को भारी क्षति होती। इसके अतिरिक्त, भारत में मांग पर विचार करते हुए पाटित एवं क्षतिकारी कीमतों पर निर्यात की यह मात्रा बहुत अधिक है।

iii. क्षमता

91. घरेलू उद्योग ने प्रस्तुत किया है कि विश्व बाजार आटलुक 2011 और वर्ष 2016 तक के लिए भावी क्षमता सम्बद्ध देशों को उत्पादकों की बहुत अधिक है जो निम्नलिखित हैं-

सम्बद्ध देश	क्षमता (मी.टन)
यूरोपियन यूनियन	1,742,200
दक्षिण अफ्रीका	24,800
सिंगापुर	186,000
यूएसए	1,814,740
कुल	3,767,740

92. यह प्रस्तुत किया गया है कि संबद्ध देशों की क्षमता बहुत अधिक है। घरेलू उद्योग ने पुनः प्रस्तुत किया है कि फिनाल के उत्पादन में वृद्धि होने से एसीटोन जिसकी वैश्विक मांग बढ़ रही है, का बेशी उत्पादन होगा, जिससे पाटन रोधी शुल्क का प्रतिसंहरण कर लिए जाने की स्थिति में तीव्रकृत पाटन की संभावना बढ़ जाएगी।

झ. कारणात्मक संबंध

93. अधिनियम की धारा 9क (5) के अंतर्गत प्राधिकारी को पाटन एवं क्षति की संभावना तथा शुल्क की निरंतरता बनाए रखने की जरूरत की जांच करनी होती है। प्राधिकारी ने यह जांच की है कि क्या पाटनरोधी नियमावली के अंतर्गत सूचीबद्ध अन्य पैरामीटरों से घरेलू उद्योग को क्षति हुई है या नहीं।

(क) पाटित कीमतों पर न बेचे गए आयातों की मात्रा एवं मूल्य: यह नोट किया जाता है कि घरेलू उद्योग को जांच की अवधि के दौरान सम्बद्ध देशों से, ईयू को छोड़कर, तथा जांच की अवधि के पश्चात की अवधि के दौरान सिंगापुर के अलावा अन्य सम्बद्ध देशों से पाटित आयातों के कारण क्षति का सामना करना पड़ा है।

(ख) मांग में संकुचन: प्राधिकारी नोट करते हैं कि विचाराधीन उत्पाद की मांग ने संपूर्ण क्षति अवधि के दौरान सकारात्मक वृद्धि प्रदर्शित की है। अतः, मांग में संकुचन वह संभावित कारण नहीं है जिसने घरेलू उद्योग की क्षति योगदान दिया हो।

(ग) खपत की पद्धति में परिवर्तन: विचाराधीन उत्पाद के संबंध में खपत की पद्धति में कोई खास परिवर्तन नहीं हुआ है। अतः खपत की पद्धति में परिवर्तन वह संभावित कारण नहीं है जिसने घरेलू उद्योग की क्षति में अपना योगदान दिया हो।

(घ) व्यापार प्रतिबंधात्मक प्रक्रियाएँ और विदेशी एवं घरेलू उत्पादकों के बीच प्रतिस्पर्धा: कोई व्यापार प्रतिबंधात्मक प्रक्रियाएँ ऐसी नहीं हैं जिन्होंने घरेलू उद्योग की क्षति में अपना योगदान दिया हो।

(ङ.) प्रौद्योगिकी में विकास: इस उत्पाद का उत्पादन करने के लिए प्रौद्योगिकी में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। इसलिए प्रौद्योगिकी में विकास क्षति का एक कारक नहीं हो सकता है।

(च) घरेलू उद्योग द्वारा बेचे गए और उत्पादित किए गए अन्य उत्पादों का कार्य निष्पादन: घरेलू उद्योग एक बहु उत्पाद कंपनी है। तथापि, क्षति विश्लेषण विचाराधीन उत्पाद के बारे में ही किया गया।

(छ) उत्पादकता यह पाया गया कि घरेलू उद्योग की उत्पादकता कम हो गयी है जो इसके उत्पादन में कमी के कारण हुई है।

प्रकटन विवरण के पश्चात पाटन एवं क्षति की संभावना से संबंधित मुद्दे की प्राधिकारी द्वारा जांच

94. जहां तक इस तर्क का संबंध है कि जिन स्रोतों पर भरोसा किया गया, खासकर संभावना के बारे में, उनका प्रकट नहीं किया गया, प्राधिकारी नोट करते हैं कि इस जांच परिणाम में प्राधिकारी द्वारा घरेलू उद्योग द्वारा दायर जिस पत्र पर संभावने के संबंध में भरोसा किया गया उसे सार्वजनिक फाइल में रख दिया गया और हितबद्ध पक्षकारों को उसका प्रत्युत्तर देने का समय ही दिया गया था। जहां तक इस तर्क का संबंध है घरेलू उद्योग को क्षतिकारित करने वाले अन्य कारकों जैसे अन्या देशों से आयात, प्राधिकारी नोट करते हैं कि निर्णायक समीक्षा जांच में मुख्य बल पाटन और क्षति की संभावना कर दिया जाता है। इस जांच परिणाम में प्राधिकारी ने यह धारित किया है कि यदि पाटनरोधी शुल्क को समाप्त कर दिया जाता है तो पाटन और घरेलू उद्योग को क्षति होने की संभावना बनी रहेगी। इस तर्क के संबंध में कि संभावित विश्लेषण में कारणात्मक संबंधों का अभाव है, यह नोट किया जाता है कि सम्बद्ध देशों से सम्बद्ध वस्तु के आयातों का जांच की अवधि के पश्चात की अवधि के दौरान विपरीत कीमत प्रभाव पड़ा है और उसके कारण (अन्य कारकों के साथ-साथ) घरेलू उद्योग का प्रचलनात्मक निष्पादन जांच की अवधि के दौरान कम हो गया है। यह भी नोट किया जाता है कि पाटनरोधी नियमावली के अंतर्गत संबद्ध आयात ही घरेलू उद्योग को क्षति कारित करने के एक मात्र कारण होने की जरूरत नहीं है।

95. जहां तक इस तर्क का संबंध है कि जांच की अवधि के पश्चात की अवधि में संबद्ध देशों से आयातों की जांच करने के लिए सार्वजनिक रूप से उपलब्ध आंकड़ों पर भरोसा किया गया, प्राधिकारी नोट करते हैं कि प्राधिकारी ने जिन आंकड़ों पर भरोसा किया है कि संबद्ध देशों के प्रत्युत्तरदाता उत्पादकों और निर्यातकों द्वारा प्रस्तुत की सूचना और घरेलू उद्योग तथा विश्व व्यापार एटलस द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों पर आधारित है जिन्हें सार्वजनिक फाइल में रख दिया गया है।

संबद्ध देशों पर पाटनरोधी शुल्क का प्रतिसंहरण कर दिये जाने की स्थिति में पाटन और क्षति की संभावना संबंधी निष्कर्ष

96. सिंगापुर से आयातों के बारे में प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि जांच की अवधि के दौरान निर्धारित पाटन सीमा सकारात्मक और निर्धारित क्षति सीमा नकारात्मक है। भारत को निर्यात के लिए जांच की अवधि के पश्चात पाटन सीमा और क्षति सीमा दोनों ही नकारात्मक है तथापि जांच की अवधि और जांच की अवधि के पश्चात के दौरान तृतीय देशों को निर्धारित पाटन सीमा और क्षति सीमा सकारात्मक है जिससे यह स्पष्ट होता है कि सिंगापुर से आयातों पर पाटनरोधी शुल्क समाप्त कर लिये जाने की स्थिति में पाटन एवं क्षति की संभावना बनी रहेगी।

97. यू.एस.ए से आयातों के संबंध में प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि जांच की अवधि के दौरान निर्धारित पाटन सीमा सकारात्मक और निर्धारित क्षति सीमा नकारात्मक है। तथापि जांच की अवधि के पश्चात की अवधि के लिए निर्धारित पाटन सीमा और क्षति सीमा सकारात्मक है जिससे यह सिद्ध होता है कि यू.एस.ए से पाटनरोधी शुल्क समाप्त किये जाने की स्थिति में पाटन एवं क्षति की संभावना बनी रहेगी।

98. ईयू से आयातों से संबंध में प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि जांच की अवधि के दौरान निर्धारित पाटन सीमा सकारात्मक और निर्धारित क्षति सीमा नकारात्मक है। तथापि जांच की अवधि के पश्चात की अवधि के लिए निर्धारित पाटन सीमा और क्षति सीमा सकारात्मक है जिससे यह सिद्ध होता है कि ईयू से पाटनरोधी शुल्क समाप्त किये जाने की स्थिति में पाटन एवं क्षति की संभावना बनी रहेगी।

99. दक्षिण अफ्रीका से आयातों के संबंध में प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि दक्षिण अफ्रीका में एक एकमात्र उत्पादक है जिसने इस जांच का प्रत्युत्तर दिया है। यह नोट किया जाता है कि जांच की अवधि के लिए निर्धारित पाटन सीमा सकारात्मक है वहीं जांच की अवधि, जांच की अवधि के पश्चात की अवधि, और तृतीय देशों के लिए निर्धारित क्षति सीमा नकारात्मक है। तथापि संबद्ध वस्तु के पाटन और उसके परिणाम स्वरूप घरेलू उद्योग को हुई क्षति की जांच करने के लिए विश्व व्यापार एटलस जिसमें जांच की अवधि तथा जांच की अवधि के पश्चात की अवधि के अन्य देशों के देशवार निर्यात के आंकड़े होते हैं, की जांच की गई। यह नोट किया गया कि यद्यपि भारत औसत आधार पर पाटन सीमा सकारात्मक और जांच की अवधि के लिए क्षति सीमा नकारात्मक है तृतीय देशों को सामान्यक मूल्य से कम पर किये गये निर्यात की मात्रा बहुत अधिक है और यह कुल निर्यातों का लगभग 70.49 प्रतिशत है जबकि जांच की अवधि के दौरान तृतीय देशों को क्षतिकारी निर्यात तृतीय देशों को हुए कुल निर्यातों का 26.70 प्रतिशत है विश्व व्यापार एटलस के आधार पर जांच की अवधि के पश्चात भारत औसत पाटन सीमा और क्षति सीमा सकारात्मक है और सामान्य मूल्य से कम मूल्य पर तृतीय देशों को निर्यात की मात्रा बहुत अधिक है और यह कुल निर्यातों का 48.35 प्रतिशत है जबकि जांच की अवधि के दौरान तृतीय देशों को किये गये क्षतिकारी निर्यात तृतीय देशों को किये गये कुल निर्यात का 48.35 प्रतिशत है। संबद्ध वस्तु की भारत में भारी मांग और भारत में घरेलू उत्पादकों की सीमित उत्पादन क्षमता को देखते हुए संबद्ध वस्तु की यह मात्रा अर्थात् 42946 मी.टन जो सामान्य मूल्य से कम पर और 16270 मी.टन सम्बद्ध वस्तु जो गैर क्षतिकारी कीमत से कम कीमत पर है, का भारत को संभावित पथान्तरण किया जा सकता है और उनका पाटन होने तथा उनसे, यदि दक्षिण अफ्रीका से होने वाले आयातों पर पाटनरोधी शुल्क का प्रतिसंहरण कर दिया जाता है तो जांच की अवधि के दौरान घरेलू उद्योग को क्षति होगी। अतः यह निष्कर्ष निकाला जाता है कि पाटनरोधी शुल्क समाप्त कर दिये जाने से दक्षिण अफ्रीका से होने वाले आयातों का पाटन होगा और घरेलू उद्योग को क्षति होगी।

निष्कर्ष

100. उठाये गये तर्कों, हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रदान कराई गयी सूचना और किये गये प्रस्तुतिकरणों और प्राधिकारी के समक्ष उपर्युक्त। जांच परिणामों में रिकार्ड किये गये उपलब्ध तथ्यों और उपर्युक्त विश्लेषण को ध्यान में रखते हुए प्राधिकारी यह निष्कर्ष निकालते हैं कि:

- i. इस निर्णायक समीक्षा की जांच की अवधि के दौरान ईयू को छोड़कर अन्य सम्बद्ध देशों से विचाराधीन उत्पाद का पाटित कीमतों पर आयात लगातार हुआ है।
- ii. यद्यपि जांच की अवधि के दौरान संबद्ध देशों से, ईयू को छोड़कर पाटित सम्बद्ध वस्तु के आयातों से घरेलू उद्योग की कीमतों का कीमत अधोरदन हो रहा है, फिर भी उसका विपरीत प्रभाव जांच की अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की मात्रा, कीमत और लाभप्रदायकता पर देखा गया।
- iii. यदि प्रभावी पाटनरोधी शुल्क को समाप्त कर दिया जाता है तो संबद्ध वस्तुएं भारतीय बाजार में पाटित कीमतों पर प्रवेश करने की संभावना है और इससे यदि संबद्ध देशों से मौजूदा पाटनरोधी शुल्क को समाप्त कर दिया जाता है तो घरेलू उद्योग को क्षति होगी।
- iv. संबद्ध देशों से पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग के निष्पादन में गिरावट आयेगी।
- v. अतः संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तु पर पाटन रोधी शुल्क बढ़ाए जाने की आवश्यकता है।

101. यह निष्कर्ष निकालते हुए कि यदि मौजूदा पाटनरोधी शुल्क को समाप्त करने की अनुमति दे दी जाती है तो सम्बद्ध देशों से सम्बद्ध वस्तु के पाटन और क्षति की पुनरावृत्ति होने की संभावना है इसलिए प्राधिकारी यह निष्कर्ष निकालते हैं कि सम्बद्ध देशों से आयातों के बारे में पाटनरोधी शुल्क बढ़ाने की आवश्यकता है।

102. पूर्ववर्ती पैराग्राफों में यह निष्कर्ष निकालने के पश्चात कि सम्बद्ध देशों से पाटनरोधी शुल्क की अनिरंतरता से पाटन होने तथा घरेलू उद्योग को क्षति होने की संभावना है, इसलिए यह सिफारिश की जाती है कि सम्बद्ध देशों से सम्बद्ध वस्तु के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क की निरंतरता बनाए रखने की सिफारिश की जाती है जिसे दिनांक 11 मार्च, 2008 की अधिसूचना संख्या 33/2008-सीमाशुल्क के

तहत अधिरोपित किया गया था और दिनांक 19 जुलाई, 2012 की सीमाशुल्क अधिसूचना संख्या 37/2012-सीमाशुल्क के तहत बढ़ाया गया था।

103. इस सिफारिश के परिणामस्वरूप किए जाने वाले केन्द्रीय सरकार के आदेशों के विरुद्ध अपील अधिनियम के संगत प्रावधानों के अनुसार सीमाशुल्क, उत्पाद कर एवं सेवाकर अपीलीय अधिकरण के समक्ष की जा सकती है।

जे.एस. दीपक, निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY
(Department of Commerce)
(DIRECTORATE GENERAL OF ANTI DUMPING & ALLIED DUTIES)
NOTIFICATION

New Delhi, the 13th December, 201

Final findings

Subject: Sunset review of Anti Dumping Duty imposed in respect of imports of Acetone originating in or exported from European Union, South Africa, Singapore and USA

No. 15/1/2012-DGAD.—Having regard to the Customs Tariff Act, 1975 as amended in 1995 (hereinafter referred to as Act) and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Duty or Additional Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995 (hereinafter referred to as Rules);

A. BACKGROUND OF THE CASE

WHEREAS, having regard to above Rules, the Designated Authority (hereinafter referred to as Authority) initiated an antidumping investigation on 7th Sept., 2006 into alleged dumping of Acetone originating in or exported from European Union, Chinese Taipei, Singapore, South Africa and USA and provisional antidumping duty was imposed vide customs notification no. 77 /2007-Customs dated 19th June, 2007 on the basis of the preliminary findings of the Authority dated 25th April, 2007. The final findings were notified vide notification dated 4th January, 2008 and the Department of Revenue imposed definitive anti dumping duties on the subject goods from the subject countries vide Notification No. 33/2008-Customs dated 11th March, 2008.

2. AND WHEREAS, the Designated Authority conducted midterm review investigation against imports of subject goods from Taiwan and concluded vide Notification dated 10th April, 2012 recommended withdrawal of anti dumping duty from subject goods originating in or exported from Taiwan. Department of Revenue has withdrawn the anti dumping duty vide Notification No. 29 /2012-Customs (ADD) dated 29th May, 2012.

3. AND WHEREAS M/s Hindustan Organic Chemicals Limited (HOCL) filed a duly substantiated application in accordance with the Act and the AD Rules before the Authority alleging continued dumping of the subject goods originating in or exported from European Union, Singapore, South Africa and USA and requested for review and continuation of the anti-dumping duties. Having satisfied that the petitioner has substantiated the need for a review, the Designated Authority considered it appropriate to initiate sunset review vide notification no. 15/1/2012 -DGAD dated 15th June, 2012. The validity of the antidumping duty on the imports of the subject goods from the subject countries was extended up to 18th June 2013 by the Central Government vide Notification No. 37/2012-Customs (ADD) dated 19th July, 2012. Further, Central Government granted additional time till 14th December 2013 to complete the investigations and notify the final findings.

AND WHEREAS the Designated Authority initiated a midterm review investigation vide Notification dated 23rd December 2011 on the basis of a written application received from an importer of the subject goods. However, the midterm review investigation was closed vide Notification No. 15/15/2011 dated 18th June, 2012 in view of the initiation of the present sunset review investigation on 15th June, 2012.

B. GENERAL PROCEDURE

4. The procedure described below has been followed with regard to the investigation:

- a. The Authority issued public notification no. 15/1/2012 -DGAD dated 15th June, 2012 initiating sunset review investigations, which was published in the Extraordinary Gazette of India.
- b. The Authority forwarded a copy of the public notice to the known producers and/or exporters in the subject countries and provided them opportunity to provide relevant information and make their views known in writing within forty days from the date of the letter in accordance with the Rule 6(2)
- c. The Authority forwarded a copy of the public notice to all the known importers and/or consumers of subject goods in India and advised them to provide relevant information and make their views known in writing within forty days from the date of issue of the letter in accordance with the Rule 6(2).
- d. The Authority provided copies of the non-confidential version of the application to the known producers and/or exporters and the Embassy of the subject countries in accordance with Rules 6(3) supra. A copy of the non-confidential application was also made available for other interested parties, on request.
- e. The Authority sent a questionnaire to elicit relevant information to the government of subject countries, including known exporters/producers in accordance with the Rule 6(4). However none of the exporters/producers from the subject countries except Singapore and South Africa have filed response to the questionnaire.
- f. Questionnaire was sent to known importers or users for providing necessary information in accordance with Rule 6(4). The Authority provided opportunity to the industrial users of the product under consideration, to furnish information considered relevant to the investigation regarding dumping, injury and causality.
- g. The questionnaire response has been filed by the following companies:

- M/s Sasol Solvents and M/s Sasol Middle East FZCO.
- M/s Petrochem Middle East FZE and M/s Petrochem Middle East (India) Pvt. Ltd
- M/s Sumitomo Corporation Asia Pte. Ltd, Singapore.
- Mitsui & Co. (Asia Pacific) Pte. Ltd. (MAP) and Mitsui Phenols Singapore Pte. Ltd, (MPS) Singapore
- M/s Haresh Petrochem Singapore Pte. Ltd and Haresh Petrochem Pvt. Ltd, India

- h. The Authority held a public hearing on 7th March, 2013 to provide an opportunity to the interested parties to present relevant information orally. The parties attending the public hearing were advised to file written submissions of the information presented orally. Authority has considered these written submissions and rejoinders received from interested parties.
- i. Arguments raised and information/evidence provided by the interested parties, including domestic industry, during the course of the investigation, to that extent the same are considered relevant to the present investigation, have been appropriately considered by the Authority.
- j. The Authority during the course of investigation satisfied itself as to the accuracy of the information supplied upon which these findings are based. The Authority conducted on-the-spot verification at the premises of the domestic industry to the extent considered relevant and necessary. Additional/ supplementary details regarding injury were sought from the domestic industry, which were also received.
- k. In accordance with Rule 16 of the Rules supra, the essential facts/basis considered for these findings were disclosed to known interested parties and comments received on the same have been considered in Final Findings. The following interested parties have commented to the disclosure statement

- M/s Sasol Solvents and M/s Sasol Middle East FZCO.
- M/s Petrochem Middle East FZE and M/s Petrochem Middle East (India) Pvt. Ltd
- M/s Sumitomo Corporation Asia Pte. Ltd, Singapore.
- Mitsui & Co. (Asia Pacific) Pte. Ltd. (MAP) and Mitsui Phenols Singapore Pte. Ltd, (MPS) Singapore
- The domestic industry

- l. The Authority made available non-confidential version of the evidence presented by domestic industry through a public file maintained by the Authority and kept open for inspection by the interested parties as per Rule 6(7).

- m. Cost investigations were conducted to work out optimum cost of production and cost to make and sell the subject goods in India on the basis of Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) and the information furnished by the applicant so as to ascertain if anti-dumping duty lower than the dumping margin would be sufficient to remove injury to the domestic industry.
- n. **** represents information furnished by an interested party on confidential basis and so considered by the Authority under the Rules on merits.
- o. Investigation was carried out for the period starting from 1st January 2011 to 31st December 2011 (12 months and has been referred to as the period of investigation or POI). The examination of trends in the context of injury analysis covered the periods 2008-09, 2009-10 2010-11 & POI. The data beyond POI (from Jan to June 12) has also been examined to determine the likelihood of dumping and injury.
- p. Wherever an interested party has refused access to, or has otherwise not provided necessary information during the course of the present investigations, or has significantly impeded the investigation, the Authority shall record findings on the basis of the facts available.
- q. Information provided by interested parties on confidential basis was examined with regard to sufficiency of the confidentiality claim. On being satisfied, the Authority has granted confidentiality, wherever warranted, and such information has been considered confidential and not disclosed to other interested parties.
- r. The Central Government extended the time period to complete the investigation and notify the final findings till 14th December, 2013.
- s. The exchange rate for the POI was taken as 1US\$ = Rs.48.14

C. SCOPE OF PRODUCT UNDER CONSIDERATION AND LIKE ARTICLE

5. The product under consideration in the present investigations is Acetone. The product under consideration in the original investigation was 'Acetone'. The product under consideration remains the same for the purposes of this review. As per the original investigation carried out by the Authority, the product has been defined as under:

"The product under consideration is 'Acetone'. Acetone is organic chemical also known as Dimethyl Ketone and used in the manufacture of bulk pharmaceuticals, agro chemicals, dye stuffs, certain explosives and downstream chemicals. Acetone is classified under Chapter 29 of Custom Tariff Act under the sub-heading 29141100."

"It is a basic organic chemical produced in single grade. It is a colourless liquid with an agreeable ether-like odour. It is used in numerous organic synthesis either as solvent or as an intermediate. It is used in manufacture of bulk pharmaceuticals, agro-chemicals, dyestuffs, certain explosives and downstream chemicals. Acetone is specifically used in manufacture of Isophorone, Diacetone, Alcohol, Methyl Methacrylate and Bisphenol A. Besides this, it is used in manufacture of certain rubber chemicals or Oxy Acethylene Cellulose Acetate."

6. Acetone is classified under Customs Tariff heading no. 2914.11. However, the customs classification is indicative only and in no way binding on the scope of the present investigation and proposed measure.

7. The present investigation being a sun set review investigation and anti- dumping duties, as earlier recommended by the Authority, being in force on the imports of the subject goods from the subject countries, the Authority considers that the scope of the product under consideration in the present investigation remains the same as that of the original investigation. Moreover, none of the interested parties have made any relevant submission requesting modification (including curtailment) in the scope of the review.

D. Domestic Industry and Standing **Submissions by the Domestic Industry**

8. The following submissions have been made by the domestic industry with regard to scope of the Domestic Industry and Standing:

- i. The petitioner is a major producer of the subject goods in India. There is one more producer of the product under consideration in the country, other than the petitioner, i.e., SI Group India Ltd.
- ii. Present petition is for sunset review. In a sunset review investigation, the issue of standing of the petitioner is not relevant.
- iii. SI Group has not participated in any of the investigation ever since the present management has taken over of the company. Nor can the petitioner force SI Group to participate in the investigation.

Views of the Importers, Consumers, Exporters and Other Interested Parties

9. The following submissions have been made by the opposing interested parties with regard to scope of the Domestic Industry and Standing:
- There is no support letter from SI group as contended by the domestic industry.
 - SI Group has conveniently abstained from participating as domestic industry without providing any explanation. The Hon'ble Designated Authority should independently assess the factual situation prior to considering HOCL as the Domestic Industry.

Examination by Authority

10. The application was filed by M/s Hindustan Organic Chemicals Limited. There is one more domestic producer of subject goods, M/s SI Group India Ltd. SI Group India Ltd has supported the application and their letter of support is on record of the authority. It is noted that production of M/s Hindustan Organic Chemicals Limited constitutes 47.40% of total domestic production and therefore constitutes a 'major proportion'. Even though the present investigation is a sunset review investigation, the applicant has the standing to file the present application as domestic industry as per Rule 2(b) and 5(3) of Anti dumping Rules.
11. M/s SI Group India Ltd. has supported the application filed by the domestic industry. However, no injury response in the form and manner of application proforma for domestic industry has been filed by them. Therefore, Authority has not considered SI Group within the scope of the domestic industry. However, information provided by SI Group has separately been examined under appropriate headings.

E. Miscellaneous Submissions**Views of the domestic industry**

12. The domestic industry has made the following miscellaneous submission:
- Barring the period of safeguard duty, even when anti dumping duty has been imposed on some imports, there has always been some window open for the consumers to import with no or low quantum of anti dumping duty.
 - Responding to the issue raised by the interested parties, the domestic industry has submitted that the expansion plan drawn by the domestic industry was never approved by the Ministry of Chemicals and Petrochemicals. The industry has no freedom to take decisions without approval of the concerned competent department in the Ministry of Chemicals and Petrochemicals.
 - The fact that import under advance license has been exempted from payment of anti dumping duty does not imply that imports under advance licence should not be considered for the purpose of injury analysis. These imports have significant adverse price effect on the domestic industry.

Views of the Importers, Consumers, Exporters and Other Interested Parties

13. The importers, consumers, exporters and other interested parties have made the following miscellaneous submission:
- HOCL has been operating with a continuous buffer of trade remedial measures to soften its inefficiency for nearly 15 years. It has failed to make any improvements in its production facility or process since inception thereby remaining at the same level of inefficiency as before.
 - Petitioner has claimed excessive confidentiality. Trade Notice no.1 of 2011 mandates a rigid application of the confidentiality principles.
 - Advance license exports imports should be excluded from the import volumes considered for examining injury and dumping. Effect of expiry of duty would be only on duty paid imports.

Submissions to Disclosure statement by Exporters and importers

- There was a faulty dumping margin methodology at the time of initiation. Besides, there was no injury and no likely hood of injury on account of dumped imports from subject countries. Also, non attribution has been ignored. There is continued Abuse of the Trade Remedial measures by the Petitioner for more than a Decade. It has been

submitted that the Designated Authority has relied upon prevailing prices in Europe and USA on the basis of ICIS LOR. However, the Hon'ble Designated Authority has not made any averment or disclosure concerning the adjustments to the said value to arrive at the 'ex-factory' price. It appears that the Hon'ble Designated Authority has erroneously considered the "as is price" reported in ICIS-LOR as 'normal value' and has not made a comparison on the ex-factory basis. They have submitted that Change in methodology to single weighted average duty for producer and exporters is arbitrary. It has also been submitted that post POI data was filed at a belated stage.

Examination by the Authority

14. With regard to the argument that the petitioner is resorting to trade remedial measures to counter inefficiency, the Authority notes that the recommendation of anti-dumping measures is guided by the parameters laid down in law and only when such parameters are met, the anti dumping duties are levied or maintained. Mere filing of applications does not result into the levy of anti dumping duties.
15. With regard to the argument that advance license exports imports should be excluded from the injury analysis, it is recalled that the Authority has noted in the previous findings that the imports made under duty exemption scheme create competition and change the price line as the importers would procure the goods from exporters or producers whosoever gives competitive price. Therefore, imports made under duty exemption scheme cannot be considered to have not affected the price in the market. The Authority has been consistently considering all imports of the product – whether duty paid or duty free– for injury analysis. Duty free imports have, therefore, not been excluded for the purpose of injury analysis.
16. With regard to the argument on excessive confidentiality, it is clarified that the authority has granted confidentiality only after examining and satisfying the confidentiality claims of the interested parties.
17. With regard to comments to the disclosure statement by interested parties, it is noted that most of the arguments by the interested parties are mere repetitions and have been addressed in this finding elsewhere. The Authority has examined the additional submissions made by the interested parties in the appropriate headings in this findings. As regards the contention that post POI data was filed at a belated stage, the Authority notes that the information on post POI was filed along with the written submissions and the interested parties had sufficient time to comment on the same. The same is there in the public file.
18. As regards the contention regarding adjustments made to the ICIS LOR prices, the Authority notes that appropriate adjustments have been made in order to arrive at net export price as well as landed value.

F. DUMPING MARGIN

Views of the domestic industry

19. Following are the views of the domestic industry
 - i. Subject countries are continuously dumping goods in the domestic market.
 - ii. Same producer has sold the goods through more than one chain. Thus, if any chain is able to get negative injury margin, the producers would be able to get zero duty for that chain and would thereafter be able to export entire material through that chain. The authority should therefore give one duty to one set of producer and exporters.

Views of the Importers, Consumers, Exporters and Other Interested Parties

20. Following are the views of the domestic industry
 - i. It is the duty of the Authority to examine adjustments on the merit of each case. Merely because an adjustment has not been granted previously does not justify a default exclusion of such an adjustment.
 - ii. There has been a recent change in the methodology of calculating dumping and injury margins for various producer-exporter combinations. Change in methodology to single weighted average duty for producer and exporters are arbitrary and in violation of doctrine of legitimate expectation and due process as no opportunity were given to the parties to defend their interests. Further, there is no reasoned order provided justifying such a change in practice.
 - iii. The accordance of producer based margins are accepted to be part and parcel of WTO consistent practice world-wide. However, the duties accorded thereof are not given in combinations. If the Authority intends to continue with this practice, it must firstly clarify to all interested parties what the practice will be since it has been in violation of its obligations under the principles of natural justice.

- iv. If the Authority seeks to change its practice, it must do so in a WTO-consistent manner. Duties therefore should be recommended on a producer-specific basis rather than combination basis.

Examination by the Authority

21. Under section 9A (1) (c) normal value in relation to an article means:
- (i) The comparable price, in the ordinary course of trade, for the like article, when meant for consumption in the exporting country or territory as determined in accordance with the rules made under sub-section (6), or
 - (ii) when there are no sales of the like article in the ordinary course of trade in the domestic market of the exporting country or territory, or when because of the particular market situation or low volume of the sales in the domestic market of the exporting country or territory, such sales do not permit a proper comparison, the normal value shall be either
 - (a) comparable representative price of the like article when exported from the exporting country or territory or an appropriate third country as determined in accordance with the rules made under sub-section (6); or
 - (b) the cost of production of the said article in the country of origin along with reasonable addition for administrative, selling and general costs, and for profits, as determined in accordance with the rules made under sub-section (6);
22. The Authority sent questionnaires to the known exporters and importers from the subject countries, and India, advising them to provide information in the form and manner prescribed. However, barring below mentioned producers, exporters and related importers, none of the producer/exporter from subject countries and importers from India have co-operated in this investigation by filing their Questionnaires' responses. The questionnaire response has been filed by the following companies:
- M/s Sasol Solvents, South Africa and M/s Sasol Middle East FZCO, UAE.
 - M/s Petrochem Middle East FZE, UAE and M/s Petrochem Middle East (India) Pvt. Ltd, India
 - M/s Sumitomo Corporation Asia Pte. Ltd, Singapore
 - Mitsui & Co. (Asia Pacific) Pte. Ltd. (MAP) and Mitsui Phenols Singapore Pte. Ltd, (MPS) Singapore
 - M/s Hareesh Petrochem Singapore Pte. Ltd, Singapore and Hareesh Petrochem Pvt. Ltd, India
23. Since the above mentioned companies have filed questionnaire response, dumping margin has been determined in respect of these companies on the basis of their questionnaire response.
24. In the absence of cooperation from the other producers/exporters in subject countries, the Authority has determined normal value, on the basis of facts available in terms of Rule 6(8) of AD Rules read with Article 6.8 of the WTO Agreement.
25. Accordingly, the Authority has determined normal value, export price and dumping margin in respect of producers/exporters of the subject countries as follows.

General methodology followed for the responding exporters for determination of Normal Value

26. It has been contended by the Domestic Industry that there had been volatility of the prices of the subject goods during the Period of Investigation. The Authority has, therefore, done a month-wise analysis of the entire data for the determination of dumping margin and injury margin. Necessary data from the cooperating producers/exporters was called for undertaking the analysis on a month-wise basis which was submitted, and Dumping Margin and injury margin has been assessed on monthly basis.
27. The Authority has assessed the Normal Value based on the information submitted by the producers and exporters and in accordance with the Rules. It was first seen as to whether the domestic sales of the subject goods by the responding exporters/producers in their home markets were representative and viable for permitting determination of Normal Values on the basis of their domestic selling prices and whether the ordinary course of trade test was satisfied as per the data provided by the respondents. In their responses, the respondents have provided transaction-wise details of sales made in their home markets. Further, all domestic sales transactions were examined with reference to the costs of production of the subject goods to determine whether the domestic sales were in the ordinary course of trade. It was

also seen whether the loss-making transactions account for over 20% of the sales or not. Wherever the profitable domestic sales transactions were found to be accounting for more than 80% of the total sales, the weighted average price of the domestic sales have been taken into consideration. However, wherever the profitable sales volume were found to be less than 80%, the weighted average price of the profitable domestic sales has been taken into consideration.

Normal Value for cooperating producer and exporter from Singapore

28. After examining the response from cooperating producer and exporters from Singapore and unaffiliated trader from UAE, it is noted that M/s Mitsui Phenols Singapore Pte. Ltd., (MPS) and M/s **Mitsui & Co. (Asia Pacific) Pte. Ltd. (MAP)** from Singapore has responded to the Authority and has submitted exporter questionnaire response. Their response along with the additional information submitted during the course of the proceedings was examined and it is noted that the product concerned is produced by the Company Mitsui Phenols Singapore Pte. Ltd (MPS). It is further noted that in terms of the production process, benzene and propylene are procured from domestic as well as imported sources to produce cumene. From cumene, the company produces phenol and acetone. It was noted during the response that domestic sales are made by this company to domestic customers directly or through its affiliated trading house i.e. MAP. It was also noted that the company was also selling the subject goods in the domestic market which it had bought from its related company M/s MPS.
29. The responses filed by these companies was examined. It is noted from the questionnaires response that M/s MPS has given month-wise costing for the subject goods. It is noted from the information submitted that the domestic sales meet the sufficiency test. The cost of production of the subject goods as indicated in Appendix-8B of the response has been accepted for the purposes of carrying out the ordinary course of trade test. Adjustments thereof have been allowed. Based on such a determination, the Normal Value has been worked out on a monthly basis.
30. To determine the normal value for the non-cooperating exporters, the normal values determined for the co-operating parties have been adopted. The adjustments allowed to the co-operating exporters have been adjusted to arrive at the ex-factory normal values thereof.

Normal Value for cooperating producer and exporter from South Africa

31. The Authority notes that M/s Sasol Solvents, South Africa and M/s Sasol Middle East FZCO, UAE has responded to the Authority and has submitted Exporters Questionnaire response. Their response along with the additional information submitted during the course of the proceedings was examined and it was noted that the product concerned is produced by M/s Sasol Solvents and exported to India through M/s Sasol Middle East FZCO, UAE which is a subsidiary company. It was also noted that domestic sales are made by M/s Sasol Solvents to domestic customers directly.
32. Transaction-wise details on domestic sales provided by the M/s Sasol Solvents have been relied upon to determine normal values. The responses filed by this company was examined. It is noted from the questionnaires response that the company has given month-wise costing for the subject goods. It is noted from the examination that the domestic sales meets the sufficiency test. The cost of production of the subject goods as indicated in Appendix-8B of the response has been accepted for the purposes of carrying out the ordinary course of trade test. Adjustments thereof have been allowed after examination. The expenses claimed towards inland freight, terminal/storage expenses, credit costs etc. by M/s Sasol Solvents have been adjusted to determine normal value. Based on such a determination, the Normal Value has been worked out on a monthly basis.

Normal value for non cooperative producers and exporters from South Africa

33. To determine the normal value for the non-cooperating exporters, the normal value determined for the co-operating exporter has been adopted. The adjustments allowed to the co-operating exporter have been adjusted to arrive at the ex-factory normal value thereof.

Normal Value for all producers/exporters USA

34. It is noted that none of the exporters from USA have responded to the Authority. The applicant had provided details of normal value in USA on the basis of price of subject goods as published in ICIS-LOR. It is noted that ICIS-LOR is the world's largest petrochemical market information provider and provides pricing data, high-value news, analysis and independent consulting, with over 30 years' experience of providing pricing information. In the absence of any

response from the subject exporters, the Authority has determined normal value for all producers/exporters in USA on the basis of ICIS-LOR prices.

Normal value for all producers/exporters EU

35. None of the exporters from EU have responded to the Authority. The applicant had provided details of normal value in EU on the basis of price of subject goods as published in ICIS-LOR. It is noted that ICIS-LOR is the world's largest petrochemical market information provider and provides pricing data, high-value news, analysis and independent consulting, with over 30 years' experience of providing pricing information. In the absence of any response from the subject exporters, the Authority has determined normal value for all producers/exporters in EU on the basis of ICIS-LOR prices.

F.2 Export price

General methodology for determination of export price for the responding exporters

36. The Authority has examined the export prices in respect of responding exporters on the basis of questionnaire responses filed by them. The export prices and the adjustments thereof have been allowed after examination. Export Price at the ex-factory level has been calculated by deducting all post factory expenses up to the producer.

Export price for Mitsui Phenols Singapore Pte. Ltd. (MPS), Singapore through Mitsui & Co. (Asia Pacific) Pte. Ltd. (MAP) to India

37. It is noted from the response that M/s MPS it has exported Acetone to India during the period of investigation through related company M/s. MAP. It is seen that the exporter has made only bulk sales to India. Therefore, the export price for bulk has been determined. It is noted that all sales of the subject goods to India were made on FOB basis and that the expenses with regard to exports up to FOB to India have been incurred by the producer. The company has claimed adjustments on account of commission, customs clearance fee, bank discount interest, bank charges, harbour facility charge, harbour management fee, trade promotion service fee, harbour handling fee, loading survey fee and warehousing charges. These claims of adjustments have been accepted. The ex-factory export prices have thereafter been calculated on month-wise basis. It is further noted that M/s. MAP is a trader and was procuring the subject goods from their related company M/s. **Mitsui Phenols Singapore PTE. Ltd., (MPS)** and also from other sources. However, during the POI, they had sold the subject goods to India which was procured only from MPS. For determination of ex-factory export price at the end of producer MPS, Singapore, necessary adjustments as mentioned above have been made.

Export price for Mitsui Phenols Singapore Pte. Ltd., through MAP, Singapore and M/s. Haresh Petrochem Singapore PTE., Ltd., Singapore(HPSPL) to India.

38. It is further noted that the subject goods was also exported to India by the co-operating producer M/s. MPS, Singapore and related trader M/s. MAP, Singapore during the POI through Haresh Petrochem Singapore. M/s. Haresh Petrochem Singapore PTE., Ltd., Singapore(HPSPL) is an exporter only, who has exported subject goods to India sourced from MAP and other sources and then exported to Haresh Petrochem PVT., Ltd., (India) and other in India. The subject goods which have been purchased from Mitsui & Co., (Asia Pacific) PTE., Ltd., Singapore, by Haresh Petrochem Singapore PTE., Ltd., Singapore (HPSPL) is produced by Mitsui Phenol Singapore PTE., Ltd., Singapore. For determination of ex-factory export price at the end of producer MPS, Singapore, necessary adjustments pertaining to traders in the chain have been made.

Export price for Mitsui Phenols Singapore Pte. Ltd., through Sumitomo and M/s. Petrochem Middle-east (FZE), Dubai to India.

39. It was further noted that M/s Sumitomo was another trader and was procuring the subject goods from their unrelated company M/s. **Mitsui Phenols Singapore PTE. Ltd., (MPS)** and also from other sources. However, during the POI, they had sold the subject goods to India which was procured largely from MPS. It was also noted that M/s. Sumitomo exported these purchased subject goods to India through another unaffiliated trader i.e. M/s. Dubai Petrochem FZE. These consignments were manufactured by Mitsui Phenols Singapore Pte. Ltd. (MPS). For determination of ex factory export price at the end of producer MPS, Singapore, necessary adjustments pertaining to traders in the chain have been made.

Export price for non cooperative producers/exporters in Singapore

40. Since no other response has been received from any other producer/exporter of the subject goods from Singapore the Authority has determined the Export prices as per facts available in terms of Rule 6(8) of the Anti Dumping Rules. Data has been collated from the information provided by the co-operative exporters.

Export price for Sasol Solvent through M/s. Sasol Middle East FZCO, South Africa

41. The transaction wise details for exports made to India through M/s. Sasol Middle East FZCO were examined on a monthly basis to determine the export price. Expenses claimed by the Sasol Solvents and Sasol Middle East have been adjusted to arrive at ex-factory export price such as ocean freight, clearing and handling, credit costs, etc. The exports made to India were compared to the respective months in which domestic sales were carried out. By adopting this method, the export price for the cooperating producer and exporter was determined.

Export price for non cooperative producers/exporters in South Africa

42. Since no other response has been received from any other producer/exporter of the subject goods from South Africa the Authority has determined the Export prices as per facts available in terms of Rule 6(8) of the Anti Dumping Rules. Data has been collated from the information provided by the co-operative exporter.

Export price for all producers/exporters in USA

43. None of the exporters from USA have responded to the Authority. The Authority has considered information from the DGCI&S and has determined export price considering all imports of the product under consideration in India. Price adjustments have been made on the basis of claims made by petitioner domestic industry in view of non cooperation from the exporters from USA.

Export price for all producers/exporters in EU

44. None of the exporters from EU have responded to the Authority. The Authority has considered information from the DGCI&S and has determined export price considering all imports of the product under consideration in India. Price adjustments have been made on the basis of claims made by petitioner domestic industry in view of non cooperation from the exporters from EU.

Determination of Dumping Margin

45. After the analysis of the data, the dumping margin is worked out as mentioned in the table below.

Country of Origin	Country of Export	Producer	Exporter	Dumping Margin US\$/MT	Dumping Margin (%)	Wt. Avg. Dumping Margin US\$/MT	Wt. Avg. Dumping Margin (%)	Dumping Margin (%) Range
Singapore	Singapore	M/s Mitsui Phenols Singapore Pte. Ltd.	M/s Mitsui & Co. (Asia Pacific) Pte. Ltd.	***	***	***	***	0-5
Singapore	Singapore	M/s. Mitsui Phenols Singapore Pte. Ltd.	M/s Mitsui & Co. (Asia Pacific) Pte. Ltd., M/s Sumitomo Corporation Asia Pte. Ltd., M/s. Petrochem Middle East FZE, UAE	***	***			

Country of Origin	Country of Export	Producer	Exporter	Dumping Margin US\$/MT	Dumping Margin (%)	Wt. Avg. Dumping Margin US\$/MT	Wt. Avg. Dumping Margin (%)	Dumping Margin (%) Range
Singapore	Singapore	M/s. Mitsui Phenols Singapore Pte. Ltd.	M/s Mitsui & Co. (Asia Pacific) Pte. Ltd. & M/s. Haresh Petrochem Singapore Pte. Ltd.	***	***			
Singapore	Singapore	All other producers and exporters from Singapore		***	***			15-20
South Africa	South Africa	M/s. Sasol Solvents	M/s. Sasol Middle East FZCO, UAE	***	***			0-5
South Africa	South Africa	All other Producers and exporters from South Africa		***	***			30-35
EU	European Union	All Producers and exporters from EU		***	***			(0-5)
USA	USA	All Producers and exporters from USA		***	***			5-10

G. Injury Determination

Views of the Domestic Industry

46. The submissions made by the Domestic Industry with regard to injury and casual link are as follows:
- Imports from the subject countries have increased, causing injury to the domestic industry.
 - Imports from subject countries are undercutting the prices of the domestic industry.
 - Profitability and consequently return on investment and cash profit situation of the domestic industry has deteriorated.
 - The imports are still continuing at dumping prices.
 - Domestic industry is facing injury from the dumping of subject goods. Further, there is no reason or justification to believe that revocation of the duty would not lead to increased or continued dumping at a higher level with consequent injury to the domestic industry.
 - The data of the domestic industry clearly shows decline in sales volume and consequently decline in production and capacity utilization.
 - Decline in sales volumes of the domestic industry is despite admitted demand supply gap in the country. In fact, in a situation of significant demand supply gap, the domestic industry should have sold all material it could product.
 - In a situation of significant global surpluses, the exporters are forced to sell at prevailing price. No exporter is in a position to dictate its own prices, if the price is falling in the global market in a product like the present.

- ix. Annual Report clearly highlights that the prominent cause of injury to the company is dumping of the product. Whereas the absolute difference in petitioner performance and global producers' performance could be on account of other factors, the deterioration in performance is due to dumping of the product.

Views of the Importers, Consumers, Exporters and Other Interested Parties

47. The submissions made by Importers, Consumers, Exporters and Other Interested Parties with regard to injury and casual link are as follows:

- i. The apparent injury claimed by the Domestic industry is clearly a result of an unnatural surge in cost and prices or imports from Taiwan. In either of the events, any alleged injury is not going to be a result of cessation of duties in the subject countries.
- ii. Petitioner has conveniently omitted to provide import data for the period post POI. Data up to six months after the period of investigation may be taken into account.
- iii. The data provides that the market share of subject countries has fallen and that of other countries has increased.
- iv. Domestic industry's sales decreased even when the other producer could maintain its sales.
- v. Phenol demand might have decreased which is the reason for acetone supply going down.
- vi. In a situation when imports are imperative claim of the domestic industry that its performance has deteriorated due to imports is totally incorrect. Imposition of duty will adversely impact the downstream industry.
- vii. Domestic industry is selling goods above the Non Injurious price and is hence not suffering any injury.
- viii. Domestic industry fails to point out that the market share of subject countries has actually declined over the POI.
- ix. The productivity of the Domestic industry has consistently remained inefficient. Petitioner has remained a poor performer for such a long time that it has been classified as a sick company by the BIFR under the SICA.
- x. Domestic industry's claim of injury is because of the decline in sales and the consequent decline in production.
- xi. No link has been established between cessation of duties and advance license imports since duty was never applied to advance license imports.
- xii. In all antidumping investigation it must be demonstrated that imports from subject countries are entering at dumped prices and the same are causing adverse effect on volume and prices of the domestic industry.
- xiii. Domestic industry has been in robust health and is consistently earning bumper profits in the past several years. During POI, Domestic industry earned highest profits.
- xiv. Claim of decline in production and sales is misleading. Sales of other Indian producer have increased significantly. There must be some other factors leading to the decline in the sales and production of the Domestic industry.
- xv. Domestic industry registered a 62% ROCE in midterm review investigation, the DA concluded no injury and at present with 75% ROCE, there cannot be any claim of injury.
- xvi. Designated Authority should adopt ROCE earned by the Domestic industry when there was no allegation of dumping as reasonable profit margin and not 22%.
- xvii. Stock is low and the sales to production ratio have increased noticeably towards the POI and post POI. This implies that it is not the sales volume of the domestic industry rather the production itself which has declined.
- xviii. Price-Volume effects have not been established.
- xix. Petitioner's claim to injury is because of the decline in sales and the consequent decline in production.
- xx. No link has been established between cessation of duties and advance license duties since duty was never applied to advance license imports.
- xxi. The imports from Taiwan are at the same level as they were prior to duties being levied.

Examination by the Authority

48. Rule 11 of the AD Rules read with its Annexure-II provides that an injury determination shall involve examination of factors that may indicate injury to the domestic industry, "... taking into account all relevant facts, including the volume of dumped imports, their effect on prices in the domestic market for like articles and the consequent effect of such imports on domestic producers of such articles...." While considering the effect of the dumped imports on prices, it is considered necessary to examine whether there has been a significant price undercutting by the dumped imports as compared with the

price of the like article in India, or whether the effect of such imports is otherwise to depress prices to a significant degree or prevent price increases, which otherwise would have occurred, to a significant degree.

49. Rule 23 of the Rules provide that the provisions of Rule 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 17, 18, 19, and 20 shall apply mutatis mutandis in case of a review. In case the performance of the domestic industry shows that the domestic industry has not suffered injury during the current period, the authority shall determine whether cessation of the present duty is likely to lead to recurrence of injury to the domestic industry.
50. Annexure-II of the AD Rules provides for an objective examination of both, (a) the volume of dumped imports and the effect of the dumped imports on prices, in the domestic market, for the like articles; and (b) the consequent impact of these imports on domestic producers of such articles. With regard to the volume effect of the dumped imports, the Authority is required to examine whether there has been a significant increase in dumped imports, either in absolute term or relative to production or consumption in India. With regard to the price effect of the dumped imports, the Authority is required to examine whether there has been significant price undercutting by the dumped imports as compared to the price of the like product in India, or whether the effect of such imports is otherwise to depress the prices to a significant degree, or prevent price increases, which would have otherwise occurred to a significant degree.
51. As regards the impact of the dumped imports on the domestic industry. Para (iv) of Annexure-II of the AD Rules states as follows:

“The examination of the impact of the dumped imports on the domestic industry concerned shall include an evaluation of all relevant economic factors and indices having a bearing on the state of the Industry, including natural and potential decline in sales, profits, output, market share, productivity, return on investments or utilization of capacity; factors affecting domestic prices, the magnitude of margin of dumping actual and potential negative effects on cash flow, inventories, employment wages growth, ability to raise capital investments.”

52. For the examination of the impact of imports on the domestic industry in India, the Authority has considered such indices having a bearing on the state of the industry as production, capacity utilization, sales quantum, stock, profitability, net sales realization, the magnitude and margin of dumping etc. in accordance with Annexure II(iv) of the Rules supra.

Assessment of Demand and Market share

53. For the purpose of determining the demand and market share, the Authority has considered sales of the Indian producers and imports from various sources. The demand of the product in India has been computed as the sum of domestic sales of the Indian Producers and known imports from various countries. The demand so assessed is shown in the following table:

Market Share in Demand	UOM	2008-09	2009-10	2010-11	POI	Post-POI	Annualized
Sales of Domestic Industry	MT	26,007	22,658	27,419	20,817	8,864	17,729
Sales of Other Indian Producer	MT	14,542	18,644	21,023	21,338	10,932	21,864
Total imports	MT	68,576	80,601	78,857	96,059	51,631	1,03,263
Imports from subject countries	MT	30,219	34,896	25,398	22,349	16,066	32,132
EU	MT	6,366	10,953	2,064	3,249	1,646	3,292
SINGAPORE	MT	9,645	12,716	17,728	16,147	11,543	23,086
SOUTH AFRICA	MT	10,399	9,388	2,505	2,183	1,366	2,732
USA	MT	3,809	1,839	3,101	770	1,511	3,022

Market Share in Demand	UOM	2008-09	2009-10	2010-11	POI	Post-POI	Annualized
Imports from Other countries attracting ADD	MT	26,460	32,756	28,285	33,243	13,571	27,141
Other Countries – Imports	MT	11,896	12,949	25,174	40,467	21,995	43,990
Total Demand	MT	1,09,125	1,21,903	1,27,299	1,38,213	71,428	1,42,856
Domestic Industry	%	24%	19%	22%	15%	12%	12%
Other Domestic Producer	%	13%	15%	17%	15%	15%	15%
Subject Countries	%	28%	29%	20%	16%	22%	22%
EU	%	6%	9%	2%	2%	2%	2%
SINGAPORE	%	9%	10%	14%	12%	16%	16%
SOUTH AFRICA	%	10%	8%	2%	2%	2%	2%
U S A	%	3%	2%	2%	1%	2%	2%
Other Countries attracting ADD	%	24%	27%	22%	24%	19%	19%
Other Countries	%	11%	11%	20%	29%	31%	31%
		100%	100%	100%	100%	100%	100%

54. It is noted that the apparent consumption of the subject goods has consistently increased over the injury period. Even though market share of subject imports except EU have declined over the injury period, the same however remains significant considering that anti dumping duty was in force on these imports.

A. Volume Effects of Dumped Imports

Import Volume and Market Share

55. With regard to the volume of the dumped imports, the Authority is required to consider whether there has been a significant increase in dumped imports, either in absolute terms or relative to production or consumption in India. For the purpose of injury analysis, the Authority has relied on the import data procured from DGCI&S for all countries. The volume of imports of the subject good from the subject countries have been analyzed as under:

Particulars	Unit	2008-09	2009-10	2010-11	POI	Post-POI	Annualized
Subject Country	MT	30,219	34,896	25,398	22,349	16,066	32,132
EU	MT	6,366	10,953	2,064	3,249	1,646	3,292
SINGAPORE	MT	9,645	12,716	17,728	16,147	11,543	23,086
SOUTH AFRICA	MT	10,399	9,388	2,505	2,183	1,366	2,732
USA	MT	3,809	1,839	3,101	770	1,511	3,022

Particulars	Unit	2008-09	2009-10	2010-11	POI	Post-POI	Annualized
Other Countries attracting ADD	MT	26,460	32,756	28,285	33,243	13,571	27,141
Other Countries	MT	11,896	12,949	25,174	40,467	21,995	43,990
Total Imports	MT	68,576	80,601	78,857	96,059	51,631	1,03,263
Market Share in Imports							
Subject Country	%	31%	30%	24%	19%	24%	24%
EU	%	6%	9%	2%	3%	2%	2%
SINGAPORE	%	10%	11%	17%	14%	17%	17%
SOUTH AFRICA	%	11%	8%	2%	2%	2%	2%
USA	%	4%	2%	3%	1%	2%	2%
Other Countries attracting ADD	%	27%	28%	27%	28%	20%	20%
Other Countries	%	12%	11%	24%	34%	32%	32%
Total Imports	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

56. It is noted that the imports from subject countries increased in 2009-10 and has then declined. The volume of imports from subject countries except EU however remained significant considering that anti-dumping duties were in force. The imports from subject countries except EU constitute 21% of the total imports into India in the investigation period and is considered significant. Imports from subject countries except EU in relation to production and consumption of subject goods has also remained significant during the same period. The imports from ALL subject countries constitute 24% of the total imports into India in the investigation period and is considered significant

Price Effect

57. With regard to the effect of the dumped imports on prices, the Designated Authority is required to consider whether there has been a significant price undercutting by the dumped imports as compared with the price of the like products in India, or whether the effect of such imports is otherwise to depress prices to a significant degree or prevent price increases, which otherwise would have occurred, to a significant degree. The impact of dumped imports on the prices of the domestic industry has been examined with reference to the price undercutting, price suppression and price depression, if any.

Price undercutting and price underselling

58. In order to determine whether the imports are undercutting the prices of the domestic industry in the market, the Authority has compared landed price of imports with net sales realization of the domestic industry. The following table shows the Net Selling Price of the domestic industry, Landed price of the dumped imports and the price undercutting.

USA

Particulars	UOM	2008-09	2009-10	2010-11	POI	Post-POI	Annualized
Net Sales Realization	Rs/MT	***	***	***	***	***	***
Trend		100	97	100	124	141	141

Particulars	UOM	2008-09	2009-10	2010-11	POI	Post-POI	Annualized
Landed Value without ADD	Rs/MT	48,643	34,518	49,596	69,179	51,011	51,011
Trend		100	71	102	142	105	105
Landed Value with ADD	Rs/MT	58,433	44,843	59,466	79,192	62,239	62,239
Trend		100	77	102	136	107	107
Price Undercutting without ADD	Rs/MT	***	***	***	***	***	***
	Trend	100	1,572	6	-897	2,200	2,200
	%	***	***	***	***	***	***
	Range %	0-10	25-35	0-10	(10-20)	20-30	20-30
Price Undercutting with ADD	Rs/MT	***	***	***	***	***	***
	Trend	-100	33	-110	-197	82	82
	%	***	***	***	***	***	***
	Range	(10-20)	0-10	(15-25)	(25-35)	10-20	10-20

Singapore

Particulars	UOM	2008-09	2009-10	2010-11	POI	Post-POI	Annualized
Net Sales Realization	Rs/MT	***	***	***	***	***	***
Trend		100	97	100	124	141	141
Landed Value without ADD	Rs/MT	44,210	43,703	42,400	54,870	60,323	60,323
Trend		100	99	96	124	136	136
Landed Value with ADD	Rs/MT	55,204	55,298	53,485	66,115	72,933	72,933
Trend		100	100	97	120	132	132
Price Undercutting without ADD	Rs/MT	***	***	***	***	***	***
	Trend	100	78	137	127	176	176
	%	11%	9%	15%	11%	13%	13%
	Range %	5-15	0-10	10-20	5-15	5-15	5-15
Price Undercutting with ADD	Rs/MT	***	***	***	***	***	***
	Trend	-100	-131	-67	-79	-58	-58
	%	-12%	-16%	-8%	-7%	-5%	-5%

Particulars	UOM	2008-09	2009-10	2010-11	POI	Post-POI	Annualized
	Range	(10-20)	(10-20)	(0-10)	(0-10)	(0-10)	(0-10)

South Africa

Particulars	UOM	2008-09	2009-10	2010-11	POI	Post-POI	Annualized
Net Sales Realization	Rs/MT	***	***	***	***	***	***
Trend		100	97	100	124	141	141
Landed Value without ADD	Rs/MT	44,619	38,251	47,344	57,154	54,083	54,083
Trend		100	86	106	128	121	121
Landed Value with ADD	Rs/MT	52,846	46,928	55,639	65,569	63,520	63,520
Trend		100	89	105	124	120	120
Price Undercutting without ADD	Rs/MT	***	***	***	***	***	***
Trend		100	196	47	91	319	319
	%	***	***	***	***	***	***
	Range %	5-15	15-25	0-10	5-15	15-25	15-25
Price Undercutting with ADD	Rs/MT	***	***	***	***	***	***
Trend		-100	26	-179	-118	181	181
	%	***	***	***	***	***	***
	Range	(0-10)	0-10	(10-20)	(0-10)	5-15	5-15

59. The Authority notes that the landed price of imports from Singapore, South Africa and USA without anti dumping duty have remained below the selling price of the domestic industry throughout the injury period and also during the Post POI (with the exception of imports from USA during the POI). Thus the imports are significantly undercutting the prices of domestic industry.

Price underselling

60. The following table shows the Non Injurious Price of the domestic industry, Landed price of the dumped imports and the price underselling. In view of significant cost and price difference on month by month basis, the authority has undertaken month by month comparison.

Price Under-selling**Singapore**

Particulars	UOM	PoI	Post-PoI
Non-Injurious Price of Domestic Industry	Rs/MT	***	***

Particulars	UOM	PoI	Post-PoI
Trend		100	111
Landed value without ADD	Rs/MT	***	***
Trend		100	110
Price Underselling without ADD	Rs/MT	***	***
	%	***	***
	Range %	(0-10)	(0-10)

South Africa

Particulars	UOM	PoI	Post-PoI
Non-Injurious Price of Domestic Industry	Rs/MT	***	***
Trend		100	111
Landed value without ADD	Rs/MT	***	***
Trend		100	95
Price Underselling without ADD	Rs/MT	***	***
	%	***	***
	Range %	(5-15)	0-10

USA

Particulars	UOM	POI	Post-POI
Non injurious price	Rs/MT	***	***
Trend		100	110.98
Landed Value without ADD	Rs/MT	***	***
Trend		100	73.74
Price Underselling without ADD	Rs/MT	***	***
	%	***	***
	Range %	(30-35)	(10-15)

61. It is noted that during the investigation period, the price underselling is negative with respect to Singapore, South Africa and USA, while for the post POI the same is negative with respect to Singapore and positive for South Africa and USA.

Price Suppression and Depression

62. To examine the price suppression and depression effects of the dumped imports on the domestic prices, the trend of selling price of the domestic industry has been compared with the cost of production. The data given below shows that the domestic industry's selling price have remained above cost of sales throughout the injury period. While in 2009-10, the decline in selling price was less than decline in cost of production, in 2010-11, the cost of production declined, selling price increased. However, in investigation period, whereas both cost of production and selling price increased, the increase in cost of production was far higher than the increase in the selling price.

Particulars	UOM	2008-09	2009-10	2010-11	POI	Post-POI	Annualized
Cost of production	Rs/MT	***	***	***	***	***	***
Trend	Index	100	93	79	113	148	148
Net selling Price	Rs/MT	***	***	***	***	***	***
Trend	Index	100	97	100	124	141	141
Profit/Loss	Rs/MT	***	***	***	***	***	***
Trend	Index	100	303	1,402	827	-286	-286
Landed Price-Singapore	Rs/MT	44,210	43,703	42,400	54,870	60,323	60,323
Trend	Index	100	99	96	124	136	136
Landed Price-South Africa	Rs/MT	44,619	38,251	47,344	57,154	54,083	54,083
Trend	Index	100	86	106	128	121	121
Landed Price-USA	Rs/MT	48,643	34,518	49,596	69,179	51,011	51,011
Trend	Index	100	71	102	142	105	105

B. Economic Parameters affecting Domestic Industry

63. As per Annexure II to the AD Rules, the Authority is required to examine the impact of the dumped imports on the domestic industry concerned, which includes an evaluation of all relevant economic factors and indices having a bearing on the state of the industry, including natural and potential decline in sales, profits, output, market share, productivity, return on investments or utilization of capacity; factors affecting domestic prices, the magnitude of the margin of dumping; actual and potential negative effects on cash flow, inventories, employment, wages, growth, ability to raise capital investments. Accordingly, various economic parameters of the domestic industry have been analyzed as follows.

Sales, Capacity, Production, and Capacity Utilization

64. The performance of the domestic industry in respect of sales, capacity, production, and capacity utilization has been as follows:

Particulars	Unit	2008-09	2009-10	2010-11	POI	Post-POI	Annualised
-------------	------	---------	---------	---------	-----	----------	------------

Installed capacity	MT	24,640	24,640	24,640	24,640	12,320	24,640
Trend		100	100	100	100	100	100
Production	MT	26,544	23,084	26,959	20,694	8,530	17,060
Trend		100	87	102	78	64	64
Capacity Utilization	%	108%	94%	109%	84%	69%	69%
Trend		100.00	86.97	101.56	77.96	64.27	64.27
Domestic Sales	MT	26,007	22,658	27,419	20,817	8,864	17,729
Indexed		100	87	105	80	68	68

65. It is noted that production, sales and capacity utilization declined significantly in 2009-10 and thereafter increased significantly in 2010-11. Production, sales and capacity utilization, however declined significantly once again in the investigation period.

Market share in Demand

66. The effects of the dumped imports on the domestic sales and the market share of the domestic industry have been as below:

Market Share in Demand	UOM	2008-09	2009-10	2010-11	POI	Post-POI	Annualized
Domestic Industry	%	24%	19%	22%	15%	12%	12%
Other Domestic Producer	%	13%	15%	17%	15%	15%	15%

67. It is noted that the market share of the domestic industry as well as that of the other Indian producer declined over the injury period.

Profits, return on investment and cash flow

68. The cost of sales, selling price and profit/loss of the domestic industry has been analyzed as follows:

Particulars	Unit	2008-09	2009-10	2010-11	POI	Post POI
Cost of production	Rs./MT	***	***	***	***	***
Trend	Index	100	93	79	113	148
Net selling Price	Rs./MT	***	***	***	***	***
Trend	Index	100	97	100	124	141
Profit/Loss	Rs./MT	***	***	***	***	***
Trend	Index	100	303	1,402	827	-286
Profit/loss	Rs. Lakh	***	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	264	1,478	662	-97

Particulars	Unit	2008-09	2009-10	2010-11	POI	Post POI
Profit before Interest	Rs. Lakh	***	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	200	922	469	-11
Cash Profit	Rs. Lakh	***	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	217	1,100	509	-55
Return on Capital Employed	%	***	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	149	1,126	483	-19

69. It is seen that:

- Cost of sales and selling price of the domestic industry has increased over the injury period.
- Profit, cash profit and return on investment increased till 2010-11 and have thereafter declined in the investigation period.

Inventories

70. The data relating to inventory of the subject goods are shown in the following table:

Particulars	Unit	2008-09	2009-10	2010-11	POI	Post-POI
Average Stocks	MT	***	***	***	***	***
Average Stocks	Index	100	208	205	164	218

71. It is noted that inventories with the Domestic Industry have increased over the injury period despite having sufficient demand in the domestic market. The increase in inventory is despite significantly low production in these periods.

Employment and wages

72. The position with regard to employment and wages is as follows:

Particulars	Unit	2008-09	2009-10	2010-11	POI	Post-POI
Employment	No	***	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	96.8	99.2	99.2	99.2
Wages	Rs. Lakh	***	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	100	232.34	284.33	276.08
Productivity per Employee	Mt	***	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	89.84	102.38	78.59	32.39
Productivity per day	Mt	***	***	***	***	***

Trend	indexed	100	86.97	101.56	77.96	32.13
-------	---------	-----	-------	--------	-------	-------

73. It has been contended by the domestic industry that given the fact that the domestic industry is a multi product company, the labour laws in the Country and anti dumping duties in force, these parameters may not show the potential adverse effect of dumping. It is noted that the number of employees has remained in the same region and wages paid have increased.

Productivity

74. Data relating to productivity shows as follows:

Particulars	Unit	2008-09	2009-10	2010-11	POI	Post-POI
Employment	No	***	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	96.80	99.20	99.20	99.20
Wages	Rs. Lakh	***	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	100	232.34	284.33	276.08
Productivity per Employee	Mt	***	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	89.84	102.38	78.59	32.39
Productivity per day	Mt	***	***	***	***	***
Trend	indexed	100	86.97	101.56	77.96	32.13

75. It is noted that productivity of the domestic industry has declined over the injury period. .

Magnitude of Dumping

76. Dumping margin determined for all the subject countries except EU is above de minimis and significant.

Growth

Growth Year by year		2009-10	2010-11	POI	Post-POI
Production	%	-13	17	-23	-59
Sales	%	-13	21	-24	-57
Profits	%	164	460	-55	-115
Market share	%	49	656	-57	-104
ROI	%	-22	16	-30	-18

77. It is noted that growth in major parameters shows a negative trend during POI and post POI.

Magnitude of Injury margin:

78. The non-injurious price of the subject goods produced by the domestic industry as determined by the Authority has been compared with the landed value of the exports from for determination of injury margin during the POI. The injury

margin is negative for all subject countries except for residual producers and exporters from Singapore and South Africa. The injury margin is worked out as under:

Country of Export	Producer	Exporter	Injury Margin US\$/MT	Injury Margin (%)	Wt. Avg. Injury Margin US\$/MT	Wt. Avg. Injury Margin (%)	Injury Margin (%) Range
Singapore	M/s Mitsui Phenols Singapore Pte. Ltd.	M/s Mitsui & Co. (Asia Pacific) Pte. Ltd.,	***	***	***	***	(0-5)
Singapore	M/s Mitsui Phenols Singapore Pte. Ltd.	M/s Mitsui & Co. (Asia Pacific) Pte. Ltd., M/s Sumitomo Corporation Asia Pte. Ltd., M/s Petrochem Middle East FZE, UAE	***	***			
Singapore	M/s Mitsui Phenols Singapore Pte. Ltd.	M/s Mitsui & Co. (Asia Pacific) Pte. Ltd., & M/s Hareesh Petrochem Singapore Pte. Ltd.	***	***			
Singapore	All other producers/exporters from Singapore		***	***			15-20
South Africa	M/s Sasol Solvents	M/s Sasol Middle East FZCO, UAE	***	***			(10-15)
South Africa	All other producers/ exporters from south Africa		***	***			0-5
European Union	All producers/exporters from EU		***	***			(10-20)
USA	All producers/exporters from USA		***	***			(25-35)

Conclusion on Injury

79. In view of the above, it is noted that:

- Imports from subject countries except EU declined over the injury period. However, the absolute volume of imports is significant. Further, the market share of imports of subject countries except EU in the total demand and production is also significant.
- Imports from other countries dumping the product or under investigations at present for dumping of the product are quite significant.
- The price undercutting is significant throughout the injury period.
- The Performance of the Domestic Industry in terms of profits, return on investments, cash flow, inventories etc. improved till 2010-11. The same however declined significantly in the POI.
- Production, sales, capacity utilization and market share also increased till 2010-11. The same however significantly declined thereafter in the POI.

In view of the above, the Authority concludes that the performance of the domestic industry improved upto 2010-11 and has then declined in the POI. Overall, the operating performance of the domestic industry has improved during the POI as compared to base year.

H. Likelihood of Continuation or Recurrence of Dumping and Injury

80. Following is the submission of domestic industry with regards to Likelihood of Continuation or Recurrence of Dumping and Injury

Views of the domestic industry

- i. The dumping of the product under consideration continued from the subject countries even after the imposition of anti dumping duty.
- ii. Producers in subject countries are holding significant capacities. In case of revocation of anti dumping duty, the volume of subject goods' imports is bound to increase further.
- iii. Exports from subject countries to third countries are at dumped prices. Further, the producers are faced with production cuts.
- iv. The subject countries hold a significant market share in the Indian Market.
- v. Positive dumping margin and injury margin in exports to India and third countries for post period of investigation establishes likelihood of dumping and injury in the event of cessation of anti dumping duty.
- vi. Whilst the capacities in the Indian market are lower than demand in the country, the capacities in the global market are significantly higher than global demand for the product.
- vii. The changes in circumstances with regard to dumping and injury were highly temporary in nature as also happened in the case of imports from Taiwan. The dumping margin and injury margin in the present period from Taiwan is significantly high once again. The authority has in fact initiated anti dumping investigations in respect of imports from Taiwan.
- viii. Research shows that worldwide demand for phenol could create a surplus of some 200,000 tonnes of acetone by 2015. Acetone is a joint product of phenol - one tonne of phenol produces 0.62 tonnes of acetone. The acetone market is not growing therefore creating excess of acetone in the market.
- ix. Subsequent to the disclosure statement, the domestic industry has mostly reiterated its views submitted earlier to the Authority. It has been submitted that the Authority revoked duties from Taiwan holding no likelihood of dumping and injury. However, current volume and value of imports made the Authority initiate a fresh investigation. It has also been submitted that the present global surplus capacity which is lower than the global demand itself provides significant opportunity to the producers from subject countries to intensify dumping in the event of cessation of anti dumping duty. The performance of the domestic industry has deteriorated in Post POI in terms of production, capacity utilization, domestic sales, market share, profit, cash flow, return on investment, productivity and inventories. The domestic industry has also started suffering financial losses
- x. It has been submitted that significant exports are made at dumped and injurious price by all the subject countries individually. The Authority has done third country dumping and injury analysis on the basis of customs data. It appears that the responding exporters have not provided information provide transaction wise details of their exports to third countries for the investigation period and post investigation period. Therefore the responding exporters could not have been treated as cooperate. Once dumping margin and injury margin is positive in the investigation period, the same itself establishes the need for extension, regardless of position in the post investigation period.
- xi. It has been submitted that when exports to India during investigation period or post investigation period itself shows likelihood, the same itself establishes the need for extension, regardless of position in third countries exports. Anti dumping duty is required to be extended. Quantum of duty is not required to be modified as since the present case is based on the likelihood of dumping and injury to the Domestic industry.

Views of the Importers, Consumers, Exporters and Other Interested Parties

81. Following is the submission of domestic industry with regards to Likelihood of Continuation or Recurrence of Dumping and Injury

- i. An examination of the data shall show that no likelihood of dumping or injury exists owing to exports from Singapore.
- ii. The petitioner's claim that import volumes have increased, does not imply that goods are being dumped.
- iii. The data provided for the claim that there are disposable capacities for dumping in the subject countries is without a reliable source.
- iv. If prevailing import price in the Indian Market is lower than raw material cost, no producer would prefer to sell its goods at such a price. The claim of price attractiveness holds no ground.
- v. Merely claiming that the domestic industry is vulnerable does not prove likelihood of dumping.
- vi. Merely because there is present undercutting establishes likelihood of neither dumping nor injury.
- vii. The imports from Taiwan are at the same level as they were prior to duties being levied.

- viii. In their comments to the disclosure statement, the producers and exporters from Singapore and South Africa have submitted that For USA and EU the Hon'ble Designated Authority has considered the customs data of the respective countries and for Singapore and South Africa, as per UN Comtrade, which is a public domain database. Despite public availability of such data, the Hon'ble Designated Authority has not disclosed the figures as per which such an analysis has been conducted. It has also been submitted that no dumping margin analysis or table has been provided to justify the Designated Authority's findings on dumping margin calculations for third country exports.
- ix. It has been submitted through illustrations that causal link has been absent in this case.
- x. It has been submitted that rate of Duties recommended in a Sunset Review cannot be in Disregard to Margins calculated in the Review.
- xi. It has been submitted that in case the Hon'ble Designated Authority concludes that there is a "likelihood" of continuation or recurrence of dumping and injury, the Hon'ble Designated Authority is mandated to assess the rate or quantum of applicable to each co-operating exporter based on the individual margin of dumping calculated for the respective producer or exporter. In conformity with Rule 23 (3) of the Anti-dumping Rules, the said margin of dumping or injury should be determined in accordance with the provisions Rules 10, 11, 17 and Annexures I,II and III for the data submitted for the "period of investigation".

Examination by the Authority

82. The Authority has examined the contention of various interested parties. The Authority had called for additional information from the domestic industry for the period beyond the period of investigation. Further, the Authority has considered exports from subject countries to India and third countries in the investigation period and post POI. It is noted that information with regard to exports from subject countries to third countries during the Post POI period (January to June, 2012) have been provided by the responding exporters from South Africa and Singapore on a monthly basis while for the USA and EU, the Authority has relied upon exporting countries customs data for a period from January to December, 2012 on a consolidated basis (and not month wise) as six months data is not available. In this regard the Authority notes as under:

i. Volume and Price effect and its impact on the domestic industry during Post POI period

83. In order to examine the likelihood of injury to the domestic industry due to dumped imports in the post investigation period, the authority has analysed the performance of the domestic industry during the period from January 2012-June 2012. After examining the volume and price effects of imports of subject goods from subject countries and its impact on the domestic industry, it is noted that the imports of the subject goods from the subject countries have increased significantly in absolute terms as also in relation to production and consumption of the subject goods in India in post POI as compared to the POI. It is also noted that exports from all four subject countries are significantly undercutting the prices of domestic industry during the POI and Post POI period. The price underselling effect on account of imports from South Africa is positive while from Singapore, it is negative. The same is positive with regard to imports from USA and EU.

Particulars	UOM	EU		USA	
		POI	Post-POI	POI	Post-POI
Net Sales Realization	Rs/MT	***	***	***	***
Landed Value without ADD	Rs/MT	***	***	***	***
Price Undercutting without ADD	Rs/MT	***	***	***	***
	%	***	***	***	***
	Range %	0-10	20-30	10-20	20-30
Non-Injurious Price of Domestic	Rs/MT	***	***	***	***

Industry					
Landed value without ADD	Rs/MT	***	***	***	***
Price Underselling without ADD	Rs/MT	***	***	***	***
	%	***	***	***	***
	Range %	(10-20)	0-10	30-40	5-15

Source (DGCIS data)

Particulars	UOM	Singapore		South Africa	
		POI	Post-POI	POI	Post-POI
Net Sales Realization	Rs/MT	***	***	***	***
Trend		***	***	***	***
Landed Value without ADD	Rs/MT	***	***	***	***
Trend		***	***	***	***
Price Undercutting without ADD	Rs/MT	***	***	***	***
	%	***	***	***	***
	Range %	5-15	15-25	5-15	5-15
Non-Injurious Price of Domestic Industry	Rs/MT	***	***	***	***
Trend		***	***	***	***
Landed value without ADD	Rs/MT	***	***	***	***
Trend		***	***	***	***
Price Underselling without ADD	Rs/MT	***	***	***	***
	%	***	***	***	***
	Range %	(0-10)	(0-10)	(5-15)	0-10

Source (DGCIS data)

84. The imports from subject countries are causing significant price suppression in this period. With regard to consequent impact of the dumped imports on the domestic industry in the post investigation period, it is concluded that the performance of the domestic industry has deteriorated in respect of production, capacity utilization, domestic sales, market share, profit, cash flow, return on investment, productivity and inventories. The domestic industry has started suffering financial losses.

S. No.	Particulars	UOM	POI	Post –POI (annualized)
--------	-------------	-----	-----	------------------------

1	Capacity Utilization	%	77.96	64.27
2	Production	MT	20,694	17,060
3	Sales Volume	MT	20,817	17,729
4	Cost of Sales	Rs./MT	***	***
5	Sales Price	Rs./MT	***	***
6	Profit	Rs./MT	***	***
7	PBIT	Rs./Lakh	***	***
8	Cash Profit	Rs./Lakh	***	***
9	Return on Investment	%	***	***

Dumping Margin post POI for Exports to India (Source : exporters data from Singapore and South Africa and DGCIS data from USA and EU)

85. The Authority has determined the normal value for the subject countries as per price prevailing in the subject countries, except South Africa and Singapore. Normal value for South Africa and EU has been determined taking into account information submitted by the exporters during the investigation. The normal value for USA and EU has been determined on the basis of best facts available and these have been compared with export price so determined at ex-factory level to determine the likely dumping margin. The dumping margin in the post POI is significantly positive for all countries except Singapore as can be seen from the table below. This shows likelihood of intensified dumping of subject goods from subject countries in the event of revocation of anti dumping duty.

Country of Export	Producer/ Exporter	Likely Dumping Margin US\$/Mt.	Likely Dumping Margin (%)	Likely Dumping Margin (%) Range
Singapore	M/s Mitsui Phenols Singapore Pte. Ltd.	***	***	(0-5)
South Africa	M/s Sasol Solvents	***	***	0-5
European Union	All exporters from EU	***	***	15-20
USA	All exporters from USA	***	***	50-55

Injury margin post POI for Exports to India: (Source: exporter's data from Singapore and South Africa and DGCIS data from USA and EU)

86. The Authority has determined the non-injurious price for the domestic industry for post investigation period, i.e., Jan 12-Jun 12, on the basis of the principles laid down in the Rules. This non-injurious price of the domestic industry has been compared with the landed values of the subject imports from the subject countries to determine likely injury margin. The likely injury margin post POI is significantly positive as except Singapore and South Africa as can be seen from the table below. This clearly shows likelihood of intensified injury to the domestic industry from subject countries in the event of revocation of anti dumping duty.

Country of Export	Producer	Likely Injury Margin (US\$/MT)	Likely Injury Margin (%)	Likely Injury Margin (%) Range
Singapore	M/s Mitsui Phenols Singapore Pte. Ltd.	***	***	(5-10)
South Africa	M/s Sasol Solvents	***	***	(0-5)
European Union	All producers/exporters from EU	***	***	5-10
USA	All producers/exporters from USA	***	***	10-15

Dumping margin and Injury Margin for POI and post POI on account of exports from subject countries to third countries

87. The dumping margin with respect to exports to third countries from subject countries has also been determined. It is noted that the likely dumping margin for producers and exporters from Singapore and USA on account of exports to third countries during post POI is positive, while the same is negative with respect to South Africa and EU. For the POI, the dumping margin for producers and exporters from Singapore, EU and USA on account of exports to third countries during POI is positive, while the same is negative with respect to South Africa.
88. The injury margin with respect to exports to third countries from subject countries has also been determined. It is noted that the likely injury margin for producers and exporters from Singapore during post POI is positive, while the same is negative with respect to South Africa, USA and EU. For the POI, the injury margin for producers and exporters from Singapore on account of exports to third countries during POI is positive, while the same is negative with respect to South Africa, EU and USA.

ii. Significant dumped and injurious exports from subject countries:

89. The domestic industry in its submissions before the Designated Authority claimed that the subject goods are being exported by the exporters from the subject countries to third countries at a price which is dumped prices. In this regard, the information relating to subject exports to various countries globally were examined by the Authority on country by country basis for the POI and for the period post investigation period, i.e., Jan 12-Dec 12. Export data for USA and EU was has been considered as per the customs data of the respective countries and for Singapore and South Africa, information has been taken from UN Comtrade. Considering these prices as FOB export prices, dumping margin and injury margin were determined for these transactions, after due adjustments (from FOB to ex factory in respect of dumping margin and from FOB to landed price in respect of injury margin). The share of dumped imports below normal value and share of injurious exports below NIP are considered significant.
90. It is seen that total volume of exports from subject countries to various countries globally during the POI as well as post investigation period was significant. Further, significant exports are made at dumped and injurious price by all the subject countries individually. It is, thus, seen that a very significant proportion of subject countries exports' made to third countries was at dumped prices and at a price where domestic industry would suffer injury, if these exports are diverted to Indian market. Further, considering demand in India, this volume of exports at dumping and injurious prices is quite significant.

iii. Capacities

91. The domestic industry has submitted that the capacity with the producers from subject countries as per 2011 World Market Outlook and Forecast up to 2016 is as follows:

Subject Countries	Capacity (MT)
European Union	1,742,200

South Africa	24,800
Singapore	186,000
USA	1,814,740
Total	3,767,740

92. It has been submitted that there exists significant capacity with the subject countries. Domestic Industry has further submitted that growth in production of phenol will lead to surplus production of acetone whose global demand is not increasing which is likely to lead to intensified dumping in the event of revocation of duty.

I. Causal Link

93. Under Section 9A (5) of the Act, the Authority is required to examine the likelihood of dumping and injury and the need for continuation of duties. The Authority has examined whether other parameters listed under the AD Rules have caused injury to the Domestic Industry.

- (a) **Volume and value of imports not sold at dumped prices:** - It is noted that the domestic industry is facing injury from dumped imports from the subject countries except EU during the POI and subject countries except Singapore during the Post POI in addition to countries attracting anti dumping duty.
- (b) **Contraction in demand:-** The Authority notes that the demand of the product under consideration has shown a positive growth throughout the injury period. Hence, contraction in demand is not a possible reason, which could have contributed to injury to the domestic industry.
- (c) **Changes in the patterns of consumption:-** The pattern of consumption with regard to the product under consideration has not undergone any change. Change in the pattern of consumption is therefore could not have contributed to the injury to the domestic industry.
- (d) **Trade restrictive practices of and competition between the foreign and domestic producers:** - There is no trade restrictive practice, which could have contributed to the injury to the domestic industry.
- (e) **Developments in technology:-** Technology for production of the product has not undergone any change. Developments in technology are, therefore, not a factor of injury.
- (f) **Performance of other products produced and sold by the domestic industry:** - The domestic industry is multi-product company. However, injury analysis has been made with respect to the product under consideration.
- (g) **Productivity:** - It is observed that Productivity of the domestic industry has decreased which is a result of decrease in the production.

Examination by Authority on the issues concerning likely hood of dumping and injury after disclosure statement

94. As regards the contention that sources relied upon, especially on likelihood, was not disclosed, the Authority notes that the letter filed by the domestic industry on likelihood relied upon by the Authority in this finding was placed in the public file and the interested parties had time to respond to the same. As regards the contention that other factor such as imports from other countries are causing injury to the domestic industry, the Authority notes that in a sunset review investigation the focus is on the likelihood of dumping and injury. The Authority has held in this finding that there exist likelihood of dumping and injury to the domestic industry in the event of cessation of anti dumping duties. With regard to the argument that there is an absence of causal link in the likely hood analysis, it is noted that imports of subject goods from subject countries are having an adverse price effect during the Post POI period and because of that (along with other factors), the operating performance of the domestic industry has gone down during the post POI period. It is also noted that the requirement under AD Rule is that subject imports need not be the sole cause of injury to the domestic industry.
95. As regards the contention about data relied on publically available information for examining imports from subject countries in the post POI period, the Authority notes that the data relied by the Authority is based on the information submitted by the responding producers and exporters from subject countries, and also the data submitted by the domestic industry and World Trade Atlas which is placed in the public file.

Conclusions on likely hood of dumping and injury in the event of revocation of anti dumping duties on subject countries

96. With respect to imports from Singapore, the Authority notes that dumping margin determined for the POI is positive and injury margin determined is negative. Both dumping margin and injury margin are negative for the Post POI period for exports to India. However, dumping margin and injury margin determined for third country exports during POI as well as post POI is positive which establishes likelihood of dumping and injury in the event of cessation of anti dumping duties from Singapore.
97. With respect to imports from USA, the Authority notes that dumping margin determined for the POI is positive and injury margin determined is negative. However, dumping margin and injury margin determined for post POI is positive which establishes likelihood of dumping and injury in the event of cessation of anti dumping duties from USA.
98. With respect to imports from EU, the Authority notes that dumping margin and injury margin determined for the POI is negative. However, both dumping margin as well as injury margin is positive during the post POI period which establishes likelihood of dumping and injury in the event of cessation of anti dumping duties from EU.
99. With respect to imports from South Africa, the Authority notes that there is sole producer in South Africa who has responded to the investigation. It is noted that even though the dumping margin determined for the POI is positive the injury margin determined for the POI, Post POI and for third country is negative. However, for examining the likelihood of dumping of subject goods and consequent injury to the domestic industry, the World Trade Atlas report containing the country wise exports to other countries during the POI and post POI was examined. It was noted that though on the weighted average basis, the dumping margin is positive and injury margin is negative for the POI, the volume of the exports to third countries below normal value is significant and account for 70.49% of their total exports while injurious exports to third countries during the POI account for 26.70% of the total exports to third countries. Post POI, the weighted average dumping margin and injury margin on the basis of World Trade Atlas report is positive, and the volume of the exports to third countries below normal value is significant and account for 48.35% of their total exports while injurious exports to third countries during the POI account for 48.35% of the total exports to third countries. Considering the huge demand of subject goods in India and the limited production capacity of the domestic producers in India, these volumes i.e. 42946 MT of subject goods which are below the normal value and 16,270 MT of subject goods which are below NIP are likely to be diverted to India and likely to be dumped and cause injury to the domestic industry (during the POI) in the event of revocation of anti dumping duties from South Africa. It is therefore concluded that cessation of duties is likely to lead recurrence of dumping and injury on account of imports from South Africa.

Conclusions

100. Having regard to the contentions raised, information provided and submissions made by the interested parties and facts available before the Authority as recorded in the above findings and on the basis of the above analysis, the Authority concludes that :
- i. There are continued imports of the product under consideration at dumped prices from the subject countries except EU during the period of investigation in this sunset review.
 - ii. Though imports of dumped subject goods from subject countries except EU are undercutting the prices of the domestic industry during the POI, the adverse impact of the same on the volume, prices and profitability of the domestic industry during the POI has not been observed.
 - iii. The subject goods are however likely to enter the Indian market at dumped prices if the anti-dumping duties in force ceases to operate and the situation of domestic industry is likely to deteriorate if the existing anti dumping duties from subject countries are allowed to cease.
 - iv. The deterioration in the performance of the domestic industry is likely to be because of dumped imports from subject countries.
 - v. Thus the anti-dumping duties on subject goods are required to be extended from subject countries.
101. Having concluded that there is likelihood of recurrence of dumping and injury on account of imports of subject goods from subject countries, if the existing anti dumping duties are allowed to cease, the Authority concludes that the anti dumping measure is required to be extended in respect of imports from subject countries.
102. After having concluded in the earlier paragraphs that non continuation of anti dumping duties from subject countries is likely to cause recurrence of dumping and injury to the domestic industry, it is recommended to extend the anti dumping duties on the imports of the subject goods from subject countries, which was imposed vide Notification

No.33/2008-Customs, dated the 11th March, 2008, extended vide Customs Notification No. 37/2012-Customs dated 19th July 2012.

103. An appeal against the orders of the Central Government that may arise out of this recommendation shall lie before the Customs, Excise and Service tax Appellate Tribunal in accordance with the relevant provisions of the Act.

J. S. DEEPAK, Designated Authority